Par. S. 17. II. 5. 53
280

अंक २

संख्या ५

मंगलवार

७ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २६११—२६६२]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २६६२—२६९४]

(मूल्य ४ आने)

225 P.S.D.

लोक सभा

मंगलवार, ७ अप्रैल १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर असीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वी बंगाल क विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी

*११९१. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर १९५२ तुक पूर्वी बंगाल के कितने विस्थापित व्यक्तियों को श्रम मंत्रालय के सेवा योजनालयों द्वारा नौकरी दी गई है ?

(ख) कितने व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची (वेटिंग लिस्ट) में हैं ?

(ग) कितबों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में (अलग अलग) नौकरियां दी गई हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ३३,८५७,

(ख) दिसम्बर १९५२ के अन्त में २२,२५३।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या नौकरी देने में विस्थापितों को कोई अधिमान दिया जाता है ?

श्री आबिद अली : योग्यता बराबर होने पर, विस्थापितों को अधिमान दिया जाता है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस प्रकार अधिमान दिये जाने के मामले में कोई संवैधानिक प्रश्न उठाया गया है ?

श्री आबिद अली : मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं लाई गई।

श्री एस० सी० सामन्त : न्यायनिर्णायक के निर्णय के फलस्वरूप रेलवे में हुए रिक्त स्थानों पर जितने विस्थापितों को नौकर रखा गया है, क्या माननीय मंत्री ने उन्हें अपनी संख्या में गिना है ?

श्री अबिद अली : जैसा कि मैं प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कह चुका हूं, यह विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य इससे अधिक जानना चाहते हैं तो वह रेलवे मंत्रालय से पूछ सकते हैं।

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को नौकरी

*११९२. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर १९५२ तक पश्चिमी पाकिस्तान के कितने विस्थापितों को श्रम मंत्रालय के सेवा योजनालयों द्वारा नौकरियां मिलीं ?

(ख) क्या सरकार के पास कोई सूचना है कि उन व्यक्तियों में से, जिन्हें नौकरी दी गई है, कितने प्रतिशत लोग अपनी नौकरियों पर क़ायम हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १,६७,०९२।

(ख) जी नहीं।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि किसी विस्थापित व्यक्ति का नाम नौकरी के लिए सेवा योजनालय के रजिस्टर में अधिक से अधिक कितने समय तक रहा ?

श्री आबिद अली : उनका नाम चालू रजिस्टर में दो महीने तक रहता है; कभी कभी नाम रजिस्टर में एक वर्ष से अधिक भी चलाया जाता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सेवा योजनालयों को ऐसे लोगों के परिचय पत्रों को जारी करने या रोके रखने के बारे में स्वविवेक का अधिकार है जिनका नाम रजिस्टर में दर्ज हो और जो उनके द्वारा अधिसूचित नौकरियों के लिए योग्य भी हों ?

श्री आबिद अली : यह सब उम्मीदवार की वरिष्ठता, चालू रजिस्टर में उसकी वरिष्ठता तथा उसकी योग्यता पर निर्भर करती है। उन्हें ऐसा कोई स्वविवेक प्राप्त नहीं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार के पास सेवा योजनालयों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें आई हैं कि अधिकारियों ने इस स्वविवेक का प्रयोग किया है और कुछ व्यक्तियों में भेदभाव किया है ?

श्री आबिद अली : जी हां। समय समय पर शिकायतें आई हैं और उनके बारे में जांच हुई है। जब कभी यह पता चलता है कि किसी अधिकारी ने अनुदेशों का पालन नहीं किया है, तो उसके खिलाफ़ कड़ी कार्यवाही की जाती है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मामूली तौर से कितने वक्त के बीच में उम्मीदवारों को ऐम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज के द्वारा जगह मिल जाती है ?

श्री आबिद अली : मैंने अर्ज कर दिया है कि यह वक्त निकालना जरूर मुश्किल है। कभी तो उसी दिन जगह मिल जाती है कभी दो दिन बाद मिल जाती है और कभी कभी दो दो साल नहीं मिलती ह।

लाला अचिंत राम : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या उनके पास कोई ऐसी शिकायत पहुंची कि नाम रजिस्टर करने के लिए अफसर रुपया मांगते हैं ?

श्री अबिद अली : जी हां, ऐसी शिकायतें पहुंची हैं और कार्यवाही भी की गयी है और बड़े और छोटे अफ़सरान को निकाल भी दिया गया है।

लाला अचिंत राम : आपको इस मामले में कुछ कामयाबी भी हुई है।

श्री आबिद अली : उम्मीद तो है कि काफी कामयाबी हुई है और मैंने अर्ज किया है कि सजा भी दी गई है और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर कोई भी साहब कहीं से भी इस मामले में इत्तला देंगे तो उस पर सख्ती से कार्यवाही की जायेगी।

खाद्यान्नों का आयात

*११९३. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में वर्ष १९५२ में खाद्यान्नों के उत्पादन में कोई सुधार हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो आन्तरिक खाद्य उत्पादन में होने वाले सुधार का विदेशों से होने वाले आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(ग) क्या वर्ष १९५३ के प्रथम अर्द्धांश के लिए खाद्यान्नों के आयात का कोई लक्ष्य निश्चित कर दिया गया है ?

(घ) यदि हां, तो कितना ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां।

(ख) खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन से स्थिति म जो सुधार हुआ है उसका प्रमाण इस बात से मिल सकता है कि आरम्भ में १९५३ के लिये हम २९ लाख टन खाद्यान्न बाहर से मंगा रहे थे परन्तु अब अनुमान लगाया गया है कि २५ लाख टन काफ़ी होगा। १९५१ में आयात ४७ लाख टन था और १९५२ में ३९ लाख टन।

आयात का लक्ष्य पूरे वर्ष के लिये निश्चित किया जाता है।

डा० राम सुभग सिंह : खाद्यान्नों के उत्पादन में किन किन राज्यों में सुधार हुआ है और सर्वाधिक सुधार किस राज्य में हुआ है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मद्रास, मैसूर, हैदराबाद तथा बम्बई के कुछ भागों को छोड़ कर, उत्तर में सुधार काफ़ी हुआ है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम के चावल उगाने वाले राज्यों में ख़रीफ की फ़सल पहले से अच्छी है और उत्तर में गेहूं की फ़सल और वर्षों जैसी ही है।

श्री आल्तेकर : क्या १९५२ वर्ष के बारे में अतिरिक्त खाद्यान्नों के राज्य-वार आंकड़े मिल सकते हैं ?

श्री दशरथ देव : मैं भाग (ग) का उत्तर नहीं समझ पाया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य थोड़ी देर ठहरें। मैं नहीं चाहता कि माननीय मंत्री एक एक करके राज्यों के आंकड़े पढ़कर सुनायें। यदि उनका उत्तर 'हां' हो तो विवरण सदन पटल पर रख दिया जाये।

श्री आल्तेकर : बम्बई की स्थिति कैसी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बम्बई एक बहुत कमी वाला राज्य है।

श्री वी० पी० नायर : खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसको ध्यान में रखते हुए क्या लोग इस बात की आशा करें कि खाद्य के कैलोरी मूल्य में भी वृद्धि होगी।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां, यह तो स्पष्ट है।

श्री दशरथ देव : मैं भाग 'ग' का उत्तर नहीं समझ सका। क्या वर्ष के प्रथम अर्द्धांश के लिए खाद्य-आयात का कोई लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : लक्ष्य पूरे वर्ष के लिए निश्चित किया जाता है।

श्री दशरथ देव : लक्ष्य क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हमने शुरू में २९ लाख टन का लक्ष्य निश्चित किया था परन्तु चूंकि अब स्थिति में सुधार हो गया है इसलिए ऐसी आशा है कि बजाय २९ लाख टन के हम २५ लाख टन ही आयात करेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : चूंकि एक वक्तव्य यह दिया गया था कि पश्चिमी बंगाल में बहुत बढ़िया फ़सल हुई है, मैं जान सकती हूं कि क्या इस बात का हिसाब लगाया गया है कि कीड़ा लगने से कितनी फ़सल को नुक़सान हुआ है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पिछले ३ या ४ वर्षों के मुक़ाबले में, बंगाल में इस वर्ष फ़सल बहुत अच्छी रही। पिछले सप्ताह में मैं वहीं था; उस समय वहां चावल खुले बाज़ार में १८ रु० से २० रु० प्रति मन की दर से बिक रहा था। गत वर्ष इस समय दर ३२ रु० थी।

श्री एस० वी० रामास्वामी : मद्रास में चावल का अनुमानित उत्पादन कितना था और उसमें कितनी कमी रही ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मद्रास ने लगभग ढाई लाख टन चावल मांगा था और हम उसे देने को तैयार हो गये हैं।

उन्होंने ५ लाख टन मिलो भी मांगा था; इस वर्ष मिलो का मिलना बाहर देशों में मिलो की उपलब्धता पर निर्भर है। फिर कीमत का प्रश्न है क्योंकि जो मिलो हम बाहर से मंगायेंगें उसके दाम गेहूं जितने ही होंगे। इसलिए हम मद्रास को हमारे पास जो गेहूं है उसी में से सहायता-प्राप्त मूल्य पर दे रहे हैं। इससे मिलो की मांग काफी पूरी हो सकेगी।

श्री एस० वी० रामास्वामी : मेरा प्रश्न यह था कि मद्रास में चावल का अनुमानित उत्पादन कितना था और उसमें कितनी कमी रही ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : राज्यों द्वारा जो मांग की जाती है, हम वही उनकी कमी समझते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : इस वर्ष के लिए चावल के बारे में सरकार ने किस देश से बातचीत की थी और कितनी मात्रा के लिए तथा किस मूल्य पर ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : आम तौर पर हम ३ या ४ देशों से चावल लेते हैं जिनमें से मुख्य बरमा, थाइलैंड और चीन हैं। बातचीत अभी जारी है और इस महीने के अन्त तक चीज़ के बदले चीज़ लेने का सौदा शायद तय हो जाये। हम शायद थाइलैंड और चीन से चावल लेने के लिए भी कोशिश करें परन्तु अभी कोई आखिरी फ़ैसला नहीं किया गया है।

श्री टी० एन० सिंह : वर्ष १९५० में खाद्यान्न आयात काफ़ी कम हो गया था और इस कमी से समझा जाता है कि सुधार हुआ है। मैं जान सकता हूं कि क्या इसी कसौटी का, जिसका १९५० में प्रयोग किया गया था, अब प्रयोग किया गया है या कोई दूसरी चीज़ है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं आपको आंकड़े बताता हूं।

१९५१ में हमने ४७ लाख टन का आयात किया है।

श्री टी० एन० सिंह : मैं वर्ष १९५० की आयात में कमी के बारे में कह रहा था।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : भारत में आम तौर से पांच वर्ष का एक चक्र होता है। एक वर्ष अच्छा होता है, एक खराब एक न अच्छा न बुरा और दो यों ही मामूली होते हैं। मैं पांच वर्ष के इस चक्र के आंकड़े आपको देता हूं।

१९४८ में हमने २८ लाख टन का आयात किया

१९४९ में ३७ लाख टन का

१९५० में २१ लाख टन का

१९५१ में ४७ लाख टन का।

१९५२ में हमने ३९ लाख टन का आयात किया है और इस वर्ष हमने इसको २९ लाख टन कर दिया है और आशा है कि स्थिति में सुधार होने के फलस्वरूप हम २५ लाख टन ही मंगाये।

श्री गोपाल राव : यह आंकड़े गेहूं के हैं या चावल के या दोनों के ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह अधिकांश रूप में गेहूं के बारे में है। इसके बाद अधिकतम मात्रा चावल की है। कुछ वर्षों में हमने मिलो भी मंगाया। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें विस्तृत आंकड़े दे सकता हूं।

सरदार हुक्म सिंह : माननीय मंत्री ने उत्तरी भारत के बारे में संतोष प्रकट किया है। उत्तरी भारत में इस वर्ष चने की फ़सल कैसी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : चने की फ़सल की जो स्थिति है वह उत्तरी भारत में मूल्यों की कमी में झलकती है। आशा है कि इस वर्ष चने की फ़सल अच्छी रहेगी। फ़सल कटनी शुरू हो गई है और दाम गिर रहे हैं।

श्री राघवाचारी : क्या केन्द्रीय सकार के पास उड़ीसा से चावल लेने के बारे में, जहां वह काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, कोई योजना है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह सच है कि उड़ीसा में गत सर्ष इस समय केवल ८०,००० टन का समाहार किया गया था और इस वर्ष उन्होंने लगभग २ लाख टन का समाहार किया है। आशा है कि एक लाख टन का समाहार और कर लिया जायेगा बशर्ते की हम वहां की मिलों में हुई घिच-पिच को दूर कर दें। उम्मीद है कि बढ़िया फ़सल के कारण ३ लाख टन से अधिक का समाहार हो जायेगा।

श्री राघवाचारी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या केन्द्रीय सरकार की बाहरी बाज़ारों में न जा कर सीधे समाहार करने की कोई योजना है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम विभन्न राज्यों में समानान्तर सरकारी एजेनसिया खोल कर सीधे ही समाहार नहीं करते। राज्य हमारे लिये समाहार करते हैं और हम उन्हें मूल्य देते हैं। वे विभिन्न राज्य जिन्हें हम चावल बांटते हैं उसे वहां से उठाने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष हमने एक दूसरी योजना सोची है ; वह यह कि केन्द्र स्वयं उड़ीसा से चावल खरीदे और उड़ीसा में ही स्टाक करे ताकि उन्हें भी कुछ सहायता मिले और उन्हें ज्यादा चावल लेने के लिये रुपया भी उपलब्ध हो सके।

श्री पी० टी० चाको : इन राज्यों से कमी वाले राज्यों को अनाज भेजने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है। क्या इस वर्ष कोई सुधार हुआ है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां। माननीय श्री अलगेशन तथा शास्त्री जी की सहायता से सारे उपलब्ध वैगन हमारे काम के लिये दे दिये गये हैं। उन्होंने अपना भरसक प्रयत्न किया है जिससे कि उड़ीसा में इकट्ठा किया गया सारा चावल कमी वाले राज्यों को जल्दी से जल्दी भेजा जा सके। हमारी एक और योजना है और वह यह है कि जहां जहां संभव हो समुद्री तथा रेल मार्ग द्वारा अनाज भेजा जाये। दो बन्दरगाह हैं ; एक विज़गापटम् जो उड़ीसा की सीमा के पास है और दूसरा चांदवाली या कुछ ऐसा ही, हमारा इरादा है कि इन बन्दरगाहों से स्टीमरों द्वारा भी चावल भेजा जाये।

श्री नम्बियार : यह कहा गया कि मद्रास सरकार को ढाई लाख टन की ज़रूरत है। इस सम्बन्ध में मैं जान सकता हू कि क्या मद्रास सरकार ने कहा है कि मूल्य आयात की दरों के अनुसार हों या कह है कि सहायता प्राप्त दरों के आधार प हों ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम मूल्यों में सहायता देने का इरादा नहीं रखते। इस वर्ष के आयुव्ययक में भी खाद्यान्नों के मूल्यों में सहायता देने का उपबन्ध नहीं है। परन्तु एक बात ज़रूर है। मद्रास में वर्त्तमान मूल्य स्तर स्थिर रखा जायेगा। मद्रास में चावल १७ रु० ८ आने से २२ रुपये प्रतिमन तक बिक रहा है। इस दर को नहीं बढ़ने दिया जायेगा।

श्री आल्तेकर : उड़ीसा में १९५२ में चावल की अतिरिक्त मात्रा कितनी थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जैसा मैं ने कहा, गत वर्ष उन्होंने डेढ़ लाख टन का समाहार किया था ; इस समय तक उन्होंने ८०,००० टन का समाहार कर लिया था । इस वर्ष अब तक वे २ लाख टन इकट्ठा कर चुके हैं और एक लाख टन और इकट्ठे करने की आशा करते हैं । हमारा विचार है कि बढ़िया फ़सल होने के कारण उन्हें ४ लाख टन इकट्ठा करने चाहिये । इसका मतलब यह है कि उनके पास चार लाख टन अतिरिक्त मात्रा होगी ।

मेडीकल छात्रों के लिये प्रतिव्यक्ति शुल्क

*११९४. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री विभिन्न मेडीकल कालिजों में मेडीकल छात्रों को प्रतिव्यक्ति शुल्क जमा करने की छूट देने से संबंधित अधिसूचना या परिचालन-पत्र की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

(ख) कितने राज्यों में प्रतिव्यक्ति शुल्क की छूट दी गई है ?

(ग) वे राज्य कौन से हैं जो अब भी अन्य राज्यों के मैडिकल छात्रों से प्रतिव्यक्ति शुल्क ले रहे हैं ?

(घ) इस संबंध में सामान्यता लाने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) स्वास्थय मंत्रालय द्वारा कोई अधिसूचना या परिचालन-पत्र जारी नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने समस्त भाग 'क' तथा 'ख' राज्यों को एक पत्र भेजा था प्रतिव्यक्ति शुल्क लेने की प्रणाली समस्त शिक्षा संस्थाओं में बन्द कर दी जाये ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २७]**

(घ) जिन राज्यों ने प्रतिव्यक्ति शुल्क लेना अभी बन्द नहीं किया है उनसे ऐसा करने के लिये कहा जा रहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या कारण है कि कुछ राज्य अब भी केन्द्र की बात नहीं मानते । इनमें से एक भाग 'ख' राज्य यानी मध्यभारत है दूसरा पश्चिमी बंगाल....

एक माननीय सदस्य : हिमाचल प्रदेश है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न कितना लम्बा है ? आप एक के बाद दूसरे राज्य का नाम लेते चले जा रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या कारण है कि कुछ राज्य भारत के विभिन्न भागों के नागरिकों में भेद भाव बरतते हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : शिक्षा मंत्रालय के परिचालन-पत्र में दी गई राय को जिन राज्यों ने नहीं माना है उनका कहना यह है कि वे ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र को लिखा है कि प्रति व्यक्ति शुल्क लेना बन्द करने से पहले उन्हें इस संबंध में कुछ सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ? ऐसे राज्य कौन कौन से हैं और उन्होंने कितनी राशि के लिये प्रार्थना की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इन राज्यों की तथा राशियों की सूची चाहते हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : मेरे विचार में ऐसे एक या दो राज्य ही होंगे जिन्होंने केन्द्रीय सरकार से इस बारे में प्रार्थना की हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किसी विशेष राज्य के बारे में पूछ सकते हैं ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : हमारे सामने इस तरह की कोई दरख्वास्त किसी स्टेट की नहीं आई है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : सदन पटल पर रखे गये विवरण में, बिहार से संबंधित मद २ में यह कहा गया है कि केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के दो विद्यार्थियों के लिये और जम्मू तथा काश्मीर के विद्यार्थियों के लिये कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उनसे कहा है कि इस तरह का भेद-भाव करना संविधान के तथा देश के हित में न होगा ?

राजकुमारी अमृतकौर : हम राज्यों से केवल कह सकते हैं । राज्य स्वायत्त हैं । हां या नहीं करना उन्हीं पर निर्भर करता है ।

श्री अच्युतन : यदि वे राज्य प्रतिव्यक्ति शुल्क न लें क्या केन्द्रीय सरकार उन को कुछ क्षतिपूर्ति देने का विचार रखती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कार्यवाही के लिये सुझाव नहीं दे सकते हैं आप यह पूछ सकते कि क्या इस तरह की कोई नीति है ?

श्री अच्युतन : क्या केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे राज्य को जो प्रतिव्यक्ति शुल्क की प्रणाली को बन्द न कर सकती हो, कुछ आर्थिक सहायता देगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता देगी ?

राजकुमारी अमृतकौर : केन्द्र कुछ छात्रों को सहायता दे रहा है परन्तु बड़े पैमाने पर तो यह सहायता नहीं दी जा सकती । यदि वह किसी एक राज्य को सहायता देता है तो स्वभावत: दूसरे राज्य भी सहायता मांगेंगे ।

श्री वी० पी० नायर : विवरण में तथा माननीय उपमंत्री के उत्तर में भाग 'क' तथा भाग 'ख' राज्यों के मेडीकल कालिजों को निर्दिष्ट किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि लेडी हार्डिंग मेडीकल कालिज की इस बारे में क्या स्थिति है ?

राजकुमारी अमृतकौर : लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज केन्द्रीय सरकार के अधीन है ; अत. देश भर के छात्र इसमें प्रवेश पाने के लिये आवेदन पत्र भेजते हैं । इन सब पर छात्रों की योग्यता के अनुसार विचार होता है ।

श्री वी० पी० नायर : कोई प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं है ?

राजकुमारी अमृतकौर : कोई नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या उन राज्यों के साथ जिन्होंने प्रति-व्यक्ति शुल्क न लेने की बात को नहीं माना है, अब भी बात चीत चल रही है ।

राजकुमारी अमृतकौर : जी हा । उनसे बार बार प्रति व्यक्ति शुल्क की प्रणाली बन्द करने के लिये कहा जा रहा है ।

मद्रास में दलिया वितरण केन्द्र

* **११९५. श्री बालकृष्णन् :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने मद्रास राज्य को हाल ही के अकाल से पीड़ित क्षेत्रों में दलिया वितरण केन्द्र खोलने के लिए अनुदान दिया है ?

(ख) यदि हां तो कितना ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :

(क) जी हां ।

(ख) ४७ लाख रुपये ।

श्री बालकृष्णन् : क्या सरकार को तामिलनाड के लोगों से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है कि मदुरा, रामनाड तथा तिन्नेवेल्ली ज़िले भयंकर अकाल से पीड़ित हैं; यदि हां तो क्या सरकार ने वहां कोई सहायता भेजी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सुदूर दक्षिण में तिन्नैवेली आदि ज़िलों में, जिनका माननीय सदस्य ने नाम लिया है, कमी की हालत पाई जाती है । हमें हर सप्ताह वहां की रिपोर्टें मिलती रहेंगी । परन्तु वहां सहायता देने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है । केन्द्र ने दलिया वितरण केन्द्रों की लागत का ५० प्रतिशत पूरा करना स्वीकार कर लिया है । प्रश्न दलिया वितरण केन्द्रों के बारे में है और मैं कह चुका हूं कि इन केन्द्रों को चलाने के लिए मद्रास सरकार को ४७ लाख रुपये दिये जा चुके हैं ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : दलिया वितरण केन्द्र कितने थे और इस वर्ष कितने बन्द किये गये ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ४७ लाख रुपया लेते समय उन्होंने दलिया वितरण केन्द्रों की एक सूची दी है; अनन्तपुर में ६६००० लोगों के लिए १३९ केन्द्र; ७३००० लोगों के लिए कुड्डाप्पा में १६४ केन्द्र; चित्तूर में १३०,००० लोगों के लिए २४७ केन्द्र; कुर्नूल में ३००० लोगों के लिए २७ और कोयम्बटूर में ४०,००० लोगों के लिए ८५ केन्द्र । सेलम को शामिल नहीं किया गया है ।

श्रीमती ए० काले : क्या इसी तरह के दलिया वितरण केन्द्र महाराष्ट्र के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में भी खोले गये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : केन्द्रीय सरकार ने तो यह कह रखा है कि वह लागत का ५० प्रतिशत पूरा करने के लिए तैयार हैं । हो सकता है कि वहां खोले गये हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री को पता हो तो ही कहें वरना उत्तर देने में कोई अर्थ नहीं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दलिया के एक समय के खाने की लागत कितनी होती है?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या दलिया वितरण केन्द्र की कोई प्रामाणिक लागत है या वह भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न हो सकती है ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार को तामिलनाड के कुछ ज़िलों से ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि हाल ही में कई दलिया वितरण केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं और उन्हें फिर से खोलने के लिए बड़ा आन्दोलन हो रहा है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं जैसा कह चुका हूं यह स्थानीय सरकार से सम्बन्धित मामला है । अपने वहां के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना उसका काम है । जहां ज़रूरी हों उन्हें केन्द्र खोलने चाहियें ।

श्री एन० एम० लिंगम : इन दलिया वितरण केन्द्रों को चलाने के लिए मद्रास सरकार ने कितनी सहायता मांगी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहले ही बतला चुके हैं कि यदि राज्य सरकार एक लाख दलिया वितरण केन्द्र खोलती है तो आधी लागत केन्द्र उठायेगा ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ४७ लाख रुपये तक ।

श्री नानादास : क्या सरकार को पता है कि इन केन्द्रों में रुपये की गड़बड़.

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । देश के किसी भाग में दलिया वितरण केन्द्रों में गड़बड़ होने से हमारा सम्बन्ध नहीं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या इन दलिया वितरण केन्द्रों को चलाने का कोई प्रमाप है, जैसे कि एक व्यक्ति के लिए चावल की कुछ मात्रा निश्चित है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : दलिया बनाने के लिए, वे चावल के साथ कुछ आटा, नमक और प्याज़ देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को ऐसे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं जिसे कि माननीय सदस्य स्वयं सोच सकते हैं । यदि आपके पास कोई निश्चित प्रमाप हों तो जवाब दें वरन रहने दें ।

खान स्वास्थ्य पर्षद्

*११९७. **श्री विट्टल राव** : (क) क्या श्रम मंत्री २१ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९२९ के उत्तर को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि क्या हैदराबाद राज्य ने कोठगुडियम, चेलान्दु तथा बेलामपल्ली में खान स्वास्थ्य पर्षद् स्थापित करने के बारे में कानून बनाने के लिए कोई क़दम उठाये हैं ?

(ख) क़ानून बनने तक इन कोयला खानों में उचित स्वच्छता सम्बन्धी प्रबन्ध के लिए कौन उत्तरदायी है ?

(ग) क्या सरकार को पता है कि यद्यपि सिंगारेनी कोयला-खान मज़दूर संघ ने कई बार राज्य सरकार का ध्यान इस तरह का क़ानून बनाने की ओर दिलाया है परन्तु एक वर्ष होने पर भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग) । उपलब्ध सूचना के अनुसार हैदराबाद सरकार इस तरह का क़ानून बनाने पर पूरी तरह से विचार कर रही है । खानों में स्वच्छता सम्बन्धी प्रबन्ध खान कम्पनी द्वारा किया जा रहा है । कोठगुडियम में नगरपालिका समिति भी स्वच्छता सम्बन्धी प्रबन्ध देखती है ।

श्री विट्टल राव : उत्तर में निर्दिष्ट नगरपालिका समिति कब बनाई गई थी ?

श्री आबिद अली : मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं ।

श्री विट्टल राव : क्या सरकार को पता है कि यह नगरपालिका समिति एक नामजद समिति है जिसमें कम्पनी के उच्च अधिकारी सदस्य हैं ?

श्री आबिद अली : यह राज्य सरकार से सम्बन्धित मामला है ।

मध्य प्रदेश टेलीफ़ोन एक्स्चेंज (आपरेटर्ज)

*११९८. **श्री जांगड़े** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सरकार (मध्य प्रदेश) के विभिन्न टेलीफ़ोन एक्सचेन्जों में काम करने वाले टेलीफ़ोन आपरेटरों के विरुद्ध "हितवाद" और "नागपुर टाइम्स" में शिकायतें प्रकाशित हुई हैं; और

(ख) स्थानीय प्राधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां; जबलपुर, अमरावती और रायपुर के सम्बन्ध में ।

(ख) वरिष्ठ अधिकारियों ने एक्सचेन्जों का अनायास निरीक्षण किया और कर्मचारियों में अनुशासन कड़ा किया । समाचार, पत्रों में इसके बाद कोई शिकायत नहीं निकली ।

श्री के० जी० देशमुख : यह शिकायतें किस प्रकार की थीं ?

श्री राज बहादुर : तरह तरह की थीं । कुछ आपरेटरों की अनम्रता के बारे में थीं कुछ बातों का देर से जवाब देने के बारे में, आदि आदि ।

पोस्ट मास्टर जनरलों की कान्फ्रेंस

* ११९९. **श्री जांगड़े** : क्या **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १० फ़रवरी १९५३ को अथवा उस के लगभग हुई पोस्ट मास्टर जनरलों की कान्फ्रेन्स में कौन सी बातों पर चर्चा की गई थी; और

(ख) उनकी सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण, जिसमें वह विषय दिये गये हैं जिन पर पोस्ट मास्टर जनरलों तथा विभिन्न प्रशासनीय एककों के अध्यक्षों के फ़रवरी १९५३ में नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में बातचीत हुई थी, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८ अनुबन्ध संख्या २८]**

(ख) सम्मेलन की सिफ़ारिशें विचाराधीन हैं। एक सिफ़ारिश, जो गावों में डाक सम्बन्धी सुविधायें देने के बारे में थी, पहले ही मंजूर कर ली गई है और क्रियान्वित की जा रही है।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान और आंध्र सर्किल बनाने का विचार कर रही है और दो या तीन डिवीज़न और बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न अभी विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में कोई निर्णय शीघ्र ही किया जाने वाला है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सम्मेलन में यह तय किया गया था कि डाकघर तब ही खोले जायेंगे जबकि राज्य सरकार नुक़सान को पूरा करने के लिए वापस न लौटाये जाने वाले अंश-दान दें ?

श्री राज बहादुर : इस बारे में एक विस्तृत वक्तव्य पहले ही दिया जा चुका है और गावों में डाकघर खोलने से सम्बन्धित नीति के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और क्या उन्हें कोई खास सुविधायें दी जायेंगी ?

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्या का ध्यान प्रेस विज्ञप्ति की ओर दिलाऊंगा। वैसे मैं यह बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर 'हां' में है।

श्री वी० पी० नायर : यह सम्मेलन कुल कितने घंटे हुआ और क्या उसमें पुरानी रियासतों के कर्मचारियों की वर्तमान सेवा शर्तों पर भी चर्चा की गई थी ?

श्री राज बहादुर : मैं ठीक ठीक घंटे तो नहीं बतला सकता परन्तु यह कह सकता हूं कि सम्मेलन तीन या चार दिन रहा। उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई जिसकी पूरी सूची सदन पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है।

श्री टी० के० चौधरी : क्या सर्किल आफ़िस के कर्मचारियों तथा सर्किल आफ़िसों के द्वितीय डिवीज़न के एसिस्टेंटों पर जो कार्य भार है उसके प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी ?

श्री राज बहादुर : उसमें नीति सम्बन्धी मोटी मोटी बातों पर बहस की गई थी। विस्तार में जाना उसके लिए संभव नहीं था।

श्री नानादास : सम्मेलन ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम ज़ातियों के लोगों को संचरण मंत्रालय में नियुक्त करने के बारे में क्या क़दम उठाये हैं ?

श्री राज बहादुर : सम्मेलन में डाक व तार विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के और अधिक लोगों को लेने के प्रश्न पर विचार किया गया था। सरकार द्वारा सिफ़ारिशों को मान लेने पर विभाग इस सम्बन्ध में क़दम उठायेगा। हम इस चीज़ की ज़रूरत को अच्छी तरह समझते हैं।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि डाक और तार विभाग ने प्रति वर्ष डाक और तार कर्मचारियों का वार्षिक सम्मेलन बुलाने का विचार किया है ?

श्री राज बहादुर : विभाग की ओर से कर्मचारियों का सम्मेलन बुलाने का विचार नहीं हुआ है, हां, कर्मचारियों की कान्फ्रेन्स में इस पर ज़रूर विचार किया जा सकता है।

श्री एस० सी० सामन्त : सम्मेलन ने और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिये किन किन जगहों की सिफ़ारिशें की हैं ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। फिर भी माननीय सदस्य के सूचनार्थ मैं यह बता सकता हूं कि बड़ौदा, हज़ारी बाग़, हैदराबाद और बंगलौर की सिफ़ारिशें की गई है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सीधे ही भरती करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था और क्या सेवा योजनालयों के द्वारा भरती की प्रणाली समाप्त कर दी गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सरकार को आपत्ति न हो तो, किसी ख़ास सम्मेलन के बारे में पूछे गये मामलों के सम्बन्ध में यह अच्छा होगा कि माननीय सदस्यों को सूचना की एक प्रतिलिपि दे दी जाये या उसे सदन पटल पर रख दिया जाये।

श्री राज बहादुर : मैंने सदन पटल पर एक विवरण रख दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : पुस्तकालय में ?

श्री राज बहादुर : मैंने सदन पटल पर एक विवरण रखा है जिसमें उन विषयों की पूरी सूची दी गई है जिन पर सम्मेलन में चर्चा हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मंत्री महोदय से ऐसे प्रश्न पूछने के बजाय विवरण को देखें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, मैं यह कहना चाहती हूं कि सूची में उस प्रकार की भर्ती का ज़िक्र नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या केवल सुझाव दे रही हैं।

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्या के सूचनार्थ मैं यह बता दूं यह सूचना पैरा ६(क) में दी गई है। विषय है "क्लर्कों तथा सम्बन्धित श्रेणियों के कर्मचारियों की भरती।"

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के पास अच्छी तरह से पढ़ने का समय नहीं होता।

कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा निधि

*१२००. **श्री जांगड़े :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा निधि आदि से सम्बन्धित अपनी ज़िम्मेदारी को केन्द्रीय श्रम मंत्रालय राज्य की सरकारों को सौंपने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे यात्री संघ

* १२०१. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रत्येक रेलवे ज़ोन में रेलवे यात्री संघ बन गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन में से कितनों को अभिज्ञात किया गया है ?

(ग) क्या यह संघ सफल सिद्ध हुए हैं ?

(घ) यदि ऐसा है तो उन्होंने क्या सुधार करने का सुझाव दिया है जिन्हें सरकार ने बाद में कार्यान्वित किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे यात्री संघ रेलवे प्रशासन द्वारा संगठित नहीं किये जाते । हां, यह संघ रेलों के विभिन्न क्षेत्रों में जनता द्वारा स्वयं बनाये गये हैं ।

(ख) सामान्यतः रेलवे प्रशासन द्वारा इन संघों को सरकारी रूप से कोई मान्यता नहीं दी जाती; इन संघों में से, जिनमें से कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ संघों के प्रतिनिधि मंत्रणा समितियों के सदस्य हैं ।

(ग) इनमें से कुछ संघों ने रेलवे को यात्रा करने वाले लोगों की ज़रूरतों का अन्दाज़ा लगाने में सहायता दी है ।

(घ) उनके द्वारा दिये गये सुझावों की जांच की जाती है और जो मंजूर करने योग्य समझे जाते हैं उन्हें क्रियान्वित किया जाता है ।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : संघ बनाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए ?

श्री अलगेशन : ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या यह सत्य है कि रेलवे यात्री संघ के कुछ प्रतिनिधि रेलवे सलाहकार समिति में नामित किये जाते हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां । उन्हें प्रादेशिक सलाहकार समितियों में नामज़द किया जाता है ।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या यह संघ वास्तव में प्रतिनिधिस्वरूप संस्थायें हैं या इन्हें केवल नेता बनने के ख्याल से बनाया गया है ?

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं मुझे इस पर राय देने की ज़रूरत नहीं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या इन सलाहकार समितियों के सदस्यों को वही अधिकार होगा जो पिछली सलाहकार समितियों के सदस्यों को प्राप्त था ?

श्री अलगेशन : जी हां । ये सलाहकार समितियां पुरानी स्थानीय सलाहकार समितियों की तरह ही हैं ।

श्री गिडवानी : भारतीय व्यापार मंडल (इंडियन-चेम्बर आफ़ कामर्स) तथा यात्री यातायात सहायता संघ (पैसेन्जर्स ट्रैफ़िक रिलीफ़ ऐसोसियेशन) बम्बई ने रेलवे सलाहकार संस्थाओं में नाम निर्देशन के बारे में सरकार से जो अभ्यावेदन किया था उसके बारे में क्या फ़ैसला किया गया है ?

श्री अलगेशन : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिए ।

श्री एम० डी० जोशी : अभी यह बताया गया कि इन संघों को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती परन्तु फिर यह भी कहा गया कि इन संघों की ओर से सदस्यों को सलाहकार समितियों में लिया गया है । तो क्या यह औपचारिक मान्यता नहीं है ?

श्री अलगेशन : जी हां, ऐसा भी समझा जा सकता है ।

श्री टी० के० चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री ने अपने आयव्ययक भाषण में उपभोक्ता समितियां या कुछ ऐसी ही समितियां बनाने का ज़िक्र किया था, मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसी कोई समिति बनाई गई है ?

श्री अलगेशन : कुछ समितियां बनाई जा चुकी हैं, और शेष जल्दी ही बना दी जायेंगी ।

श्री नम्बियार : इन सलाहकार समितियों को बनाते समय क्या यात्री संघ के लोगों से भी सलाह ली जाती है या इन्हें बिना सलाह के बना दिया जाता है ?

श्री अलगेशन : उनसे नाम देने के लिए कहा जाता है और उन नामों में से कुछ प्रतिनिधि चुने जाते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या इन सलाहकार समितियों के बनने के बाद भी ये यात्री संघ बने रहेंगे ?

श्री अलगेशन : ये तो बने ही रहेंगे ।

श्री कक्कन : क्या ये संघ रेलवे अधिकारियों को बिना टिकट चलने वालों और जेबकतरों का पता लगाने में सहायता देते हैं ?

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं, नहीं ।

केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद्

*१२०२. **सरदार ए० एस० सहगल :** **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत पशुपालन का सारा काम केन्द्रीय गोसवर्धन परिषद् उसी प्रकार करने लगे जिस प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कृषि सम्बन्धी सारा कार्य करती है ;

(ख) सरकार बेकार जानवरों की समस्या को आदर्श विधान बना कर या अन्य तरीक़े से किस प्रकार सुलझाने का विचार रखती है ; तथा

(ग) क्या सरकार गोसदन योजना को धन देगी और उनके द्वारा अनुत्पादक तथा ऐसे जानवरों की, जो उनके मालकों द्वारा बेकार समझे गये हों, व्यवस्था करेगी ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् को पशुपालन सम्बन्धी वह सारा कार्य सौंप दिया जाये जो इस समय भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था, भारतीय डेरी अनुसंधान संस्था तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जैसी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है । हां, हमारा विचार यह ज़रुर है कि परिषद् का पशु विकास से, विशेषतः गोशालाओं तथा गोसदन स्थापित करने से सम्बन्धित कार्यों के लिये पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जाये ।

(ख) तथा (ग) । अनुत्पादक तथा बेकार जानवरों को अलग रखने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में १६० गोसदन खोलने की एक योजना पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है । भाग 'क' तथा भाग 'ख' राज्यों के सम्बन्ध में ख़र्चा आधा आधा बांटा जायेगा और भाग 'ग' राज्यों के बारे में सारा ख़र्चा केन्द्र उठायेगा ।

श्री दाभी : केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् की रचना किस प्रकार की है और अब तक उसने क्या कार्य किया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसमें विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं और कुछ प्रतिनिधि .....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस सदन द्वारा पारित की गई कोई संविधि होगी ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे पूर्व-सूचना चाहिए ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह सत्य है कि इन १५० गोसदनों में से , जिन्हें पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष स्थापित किया जाना है, २० ग़ैरसरकारी तथा ३०.....

अनेक माननीय सदस्य : हिन्दी में ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री हिन्दी जानते हैं ? मुझे मालूम नहीं था ।

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : वह नहीं जानते ।

अनेक माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य अंग्रेजी में बोल सकते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : मेरे बराबर में बैठे माननीय मंत्री ने मुझे यह बताया कि वह हिन्दी नहीं जानते । इसलिए मैंने अंग्रेज़ी में शुरू किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अभी सीख रहे हैं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं हिन्दी समझता हूं ।

सेठ गोविन्द दास : मैं माननीय मंत्री-जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इन १५० गोसदनों में से ३० सरकारी और २० ग़ैरसरकारी सदन इस वर्ष स्थापित करने की योजना गोसंवर्धन काउंसिल ने स्वीकार की है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारे पास डिटेल्स नहीं है । इसके लिए नोटिस दीजिए ।

सेठ गोविन्द दास : जो दूसरी बात मंत्री जी ने कही कि इसका ५० प्रतिशत ख़र्च प्रदेश की सरकारें देंगी और ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देगी, तो इनमें से कितनी प्रदेश सरकारों ने इस ख़र्च को देना स्वीकार किया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारे पास इसकी डिटेल्स नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अब तक कितने राज्यों ने केन्द्रीय सहायता के लिए प्रार्थना की है और क्या किसी राज्य को कोई सहायता मंजूर की गई है और दे दी गई है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह सब जानकारी मेरे पास एक बड़ी सूची में दी हुई है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं देने को तैयार हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या ग़ैर-सरकारी गो-सदनों को सरकार लागत का ७५ प्रतिशत देगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे पूर्व-सूचना चाहिए ।

श्री रघवय्या : आंध्र में इन गोसंवर्धन संस्थाओं को सहायता देने या प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या क़दम उठाये हैं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ये १६० गो सदन देशभर के लिए हैं और यदि आंध्र में ज़रूरत होगी तो उसे भी यह मंजूर की गई कुल राशि के अनुपात में मिल जायेगी ।

श्री वी० पी० नायर : क्या माननीय उपमंत्री जी को मालूम है कि गोसदन स्कीम में किस क़दर कामयाबी मिली है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बहुत सक्सेस मिली है ।

बाबू राम नारायण सिंह : गो-सदनों में कौन कौन से कार्य होते हैं, गोरक्षा के या गोवध निवारण के ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखेंगे ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ये मुख्यतः बेकार और बूढ़े जानवरों की व्यवस्था करने तथा उनमें कुछ ताक़त बढ़ा कर उनको काम में लाने के लिए हैं ।

विदेशी पर्यटकों को सुविधायें

*१२०३. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** (क) **यातायात** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि विदेशी पर्यटकों ने रजिस्ट्री तथा बहिःशुल्क सम्बन्धी औपचारिकताओं के बारे में तथा ठीक ठीक दरों पर स्थान न मिलने की कठिनाइयों के बारे में शिकायतें की हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि पर्यटकों के लिए डाक बंगलों और रेस्ट हाउसों की व्यवस्था उचित नहीं है ?

(ग) क्या सरकार इसमें सुधार करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) । जी हां । इस बारे में शिकायतें आई हैं कि भारत में पर्यटकों की बहिःशुल्क के मामले में बड़ी सख्ती से जांच की जाती है और उनके ठहरने के लिए भी व्यवस्था उचित नहीं है । रजिस्ट्री का जहां तक प्रश्न है, प्रक्रिया को अब सरल बना दिया गया है । जिन विदेशियों के पास पर्यटक दृष्टांक होता है, उन्हें आते ही पुलिस में रजिस्टर कर लिया जाता है और साथ ही एक "निवास (रेज़ीडेन्शल) परमिट" भी जारी कर दिया जाता है । इसके बाद पर्यटकों के लिए पुलिस वालों को अपने इधर उधर घूमने के बारे में सूचना देने की आवश्यकता नहीं । लौटते समय उन्हें केवल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तथा निवास परमिट वापिस करने होते हैं । विदेशी पर्यटकों को एक " पर्यटक परिचय कार्ड" भी जारी किया जाता है । इसको दिखाने पर बहिःशुल्क सम्बन्धी जांच भी जल्दी हो जाती है और डाक बंगलों आदि में स्थान भी सुरक्षित हो जाता है ।

(ग) जी हां । सरकार सुधार करने के विषय पर विचार कर रही है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : इन पर्यटकों से मांगे जाने वाले रजिस्ट्री के फ़ार्मों की संख्या में कितनी कमी की गई है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास तो आने वाले पर्यटकों की संख्या ही है—फ़ार्मों की संख्या में कमी के बारे में सूचना नहीं है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : डाक बंगले और रेस्ट हाउसों की उचित व्यवस्था के लिए क्या अतिरिक्त सुविधायें दी गई हैं ?

श्री अलगेशन : हम राज्य सरकारों से सलाह कर रहे हैं । इन बंगलों को ठीक हालत में रखने के लिए वे भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : भारत में पर्यटक यातायात बढ़ाने के बारे में क्या सरकार ने विदेशी विशेषज्ञों से सलाह की है ?

श्री अलगेशन : जी नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सरकार ने उन राज्यों में जहां पर्यटक यातायात के लिये अभी तक कोई सुविधायें नहीं हैं, इन सुविधाओं को देने का कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री अलगेशन : हमने विभिन्न राज्यों में स्थित बड़े बड़े पर्यटक केन्द्रों को ले जाने वाली सड़कों के बनाने में अर्थ सहायता दी है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री के पास इन यात्रियों में से कुछ की यह शिकायतें आई हैं कि उनको पुलिस के सामने एक से अधिक जगह जाकर अपना पासपोर्ट और दूसरी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं ?

श्री अलगेशन : जब उनके पास पर्यटक परिचय कार्ड होगा तो उन्हें हर ज़िले में, जहां वे जायें, पुलिस वालों को इन परमिटों के दिखाने की ज़रूरत नहीं । एक बार 'निवास परमिट' मिल जाने पर, उन्हें इसे केवल लौटते समय ही वापस करना होता है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या उस पर्यटक मंडल ने, जो हाल ही में अमरीका से भारत आया था, भारत सरकार से ग़ैररस्मी तौर पर बातचीत की थी जिसमें उसने भारत स्थित आकर्षक स्थानों पर सामग्री के अभाव के बारे में खेद प्रगट किया था और क्या सरकार इन स्थानों के सम्बन्ध में उसे कोई सामग्री, प्रकाशन आदि देने का विचार करती है ?

श्री अलगेशन : जैसा मैं कह चुका हूं, इस मामले में देखभाल करना राज्य सरकारों का काम है और वह सब कुछ कर भी रही हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में जो यात्री जाते हैं, उनको इस प्रकार की सामग्री केवल एक स्थान पर बतलानी पड़ती है और हर जगह नहीं बतलानी पड़ती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें केवल एक जगह बतलानी होती है या सब जगह जहां वे जाते हैं ?

श्री अलगेशन : अन्य देशों के प्रबन्ध के बारे में मुझे ठीक ठीक पता नहीं। यहां भी हमने इसकी व्यवस्था की है।

डा० सुरेश चन्द्र : भारत में पर्यटक संस्थायें कितनी हैं ?

श्री अलगेशन : मुझे पूर्वसूचना चाहिए।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या डाकबंगलों, रेस्ट हाउसों और होटलों की दरों को प्रमापीकृत कर दिया गया है ?

श्री अलगेशन : जी हां । इन्हें 'होटल गाइडों' में प्रकाशित कर दिया गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं ने माननीय मंत्री से पूछा था कि क्या भारत सरकार ने पर्यटक मंडल से ग़ैररस्मी तौर पर बातचीत की थी, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि यह राज्य सरकारों से सम्बन्धित मामला है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री कह सकते हैं कि पर्यटक मंडल से यह ग़ैररस्मी बातचीत नहीं हुई थी और उसने इन सब बातों का सुझाव नहीं दिया था ?

श्री अलगेशन : मुझे खेद है कि माननीय सदस्या के एक साथ इतने प्रश्न पूछ डालने के कारण मैं उनके प्रश्न के पहले भाग का उत्तर न दे सका। यह सत्य है कि इन अमरीकी यात्रा एजेन्टों ने, जिन्होंने हमारे देश में लगभग पन्द्रह दिन तक भ्रमण किया, हमारे मंत्रालय के सामने अपने विचार रखे थे।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस मंडल ने क्या सुझाव दिये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । माननीय सदस्य इसके लिए अलग प्रश्न पूछें।

उड़ीसा में चावल पर लेवी

*१२०४. **पंडित लिंगराज मिश्र :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को उड़ीसा

सरकार से यह प्रार्थना प्राप्त हुई है कि उसे केन्द्र को या अन्य राज्यों को भेजे जाने वाले चावल पर १ रुपया प्रति मन के हिसाब से अधिभार वसूल करने की अनुमति दी जाये ताकि इस तरह प्राप्त राशि से उस राज्य के चावल उगाने वाले क्षेत्रों का विकास किया जा सके ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस तरह का अधिभार लगाने पर भी उड़ीसा के चावल का मूल्य अन्य राज्यों से या बाहर से आये हुए चावल के मूल्य से कहीं कम रहेगा ?

(ग) क्या उड़ीसा सरकार की इस प्रार्थना पर कोई फ़ैसला किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां। कोई लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु यह प्रार्थना बातचीत के दौरान में की गई थी।

(ख) जी हां, आधिक्य वाले कुछ अन्य राज्यों या बाहर के मुक़ाबले में।

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने निर्यात किये जाने वाले चावल के प्रथम तीन लाख टन पर आठ आने प्रति मन और उसके बाद १ रुपया प्रति मन बोनस अधिभार लेने की अनुमति दे दी थी, यह विचार किया गया कि सारे निर्यात पर बोनस की दर १ रुपया प्रति मन कर देने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

पंडित लिंगराज मिश्र : क्या लगाये जाने वाले अधिभार की दर चावल की सब क़िस्मों के लिए एक सी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां। चावल की सब किस्मों के लिए दर एक सी है--८ आना प्रति मन।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : काश्तकारों को दिया जाने वाला समाहार मूल्य कितना है और अधिभार को किस तरह काम में लाया जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उड़ीसा में समाहार मूल्य १३ रुपये ८ आने से शुरू होता है। बहुत बढ़िया चावल के लिए १८ रु० ३ आ०, बढ़िया के लिए १५ रु० ४ आ० और मामूली के लिए १४ रु० ६ आ० ४ पा० है। अधिभार काश्तकारों के पास सीधा नहो पहुंचता ; इसका प्रयोग चावल उगाने वाले क्षेत्रों तक अच्छी सड़कें बनाने और वहां की हालत ठीक करने में किया जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इसका यह मतलब समझा जाये कि काश्तकार को दिया जाने वाला समाहार मूल्य १४ रुपये है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अन्य राज्यों के मुक़ाबले में यह बहुत अधिक है। यह सस्ता किस प्रकार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो बहस की जा रही है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जानना चाहती हूं कि इसे सस्ता कैसे कहा जा रहा है--उड़ीसा के काश्तकारों को जो अधिक समाहार मूल्य दिया जाता है उसे सस्ता किस प्रकार कहा जा सकता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : आधिक्य वाले सारे राज्यों में चावल का स्थानीय मूल्य कम होगा। कमी वाले राज्यों में पहुंचकर पुराने मूल्य की अपेक्षा यह महंगा होगा। सामान्य समय में भी, उड़ीसा में चावल का मूल्य हमेशा कम होगा। अतः समाहार मूल्य निश्चित करते समय वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखा जाता है और तब ही मूल्य निश्चित किया जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : बंगाल में चावल का समाहार मूल्य क्या है ? क्या यह १० और ११ रुपये के बीच में नहीं है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नहीं, नहीं। वह मूल्य एक मन धान का है और यह चावल का है।

उपाध्यक्ष महोदय : भूसा हटाये हुए चावल का।

श्री टी० एन० सिंह : क्या समाहार मूल्य उड़ीसा सरकार के सुझाव के अनुसार निश्चित किया गया है और क्या अन्तिम रूप से तय किये गये मूल्य पर सरकार राज़ी हो गई थी या उसमें कुछ परिवर्तन किया गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : समाहार मूल्य उस समय निश्चित किया गया था जब नियंत्रण लागू किये गये थे और शायद उस समय सरकार ने स्थानीय सरकार की राय लेकर ही मूल्य निश्चित किया था।

श्री टी० एन० सिंह : मैं उड़ीसा के वर्तमान समाहार मूल्य की बात कर रहा हूं। क्या सरकार उस मूल्य के बारे में सहमत है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : गत चार या पांच वर्षों से समाहार मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समाहार मूल्य नियंत्रण लागू होने के समय निश्चित किया गया था।

श्री अच्युतन : क्या राज्य के आकार में और समाहार मूल्य में कोई सम्बन्ध होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या किसी माननीय सदस्य के आकार में और उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों में कोई सम्बन्ध होता है ?

कार्मिक संघ

*१२०६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विभिन्न संघों में पद धारण करने वाले कर्मचारी संघ सम्बन्धी कार्यवाहियां प्रशासन के अधीन रह कर करते हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार यह चाहती है कि इन संघों में बाहर वालों को पदाधिकारियों के रूप में न रखा जाये और समस्त कर्मचारी संघ बाहर वालों के बिना ही उन्नति करें ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार का विचार है कि धीरे धीरे बाहर वालों को संघ के पदाधिकारियों के रूप में रखना बन्द किया जाये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सरकारी कर्मचारियों के संघों को मान्यता दिये जान के लिए क्या यह जरूरी है कि उनके विधान में से "अवैतनिक" सदस्यों से सम्बन्धित खंड हटा दिया जाये ?

श्री आबिद अली : रक्षा विभाग के सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य औद्योगिक कम्पनियों के लिए अपने संघों में बाहर वालों को पद देने की मनाही नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सत्य है कि नागरिक उड्डयन विभाग के चार कर्मचारियों को, जो मद्रास की यूनियन के सदस्य थे, विभागीय नोटिस दे दिया गया था क्योंकि उन्होंने डाइरेक्टर-जनरल के, जो कार्मिक संघ सम्बन्धी कार्यवाहियों के सिलसिले में इन लोगों से मिलने का समय देकर भी नहीं मिला था, अनभ्र व्यवहार के प्रति विरोध प्रगट किया था ?

श्री आबिद अली : मुझे हर मामले के बारे में जानकारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस चीज़ की ओर उनका ध्यान दिला सकते हैं।

श्री नम्बियार : क्या श्रम मंत्री को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये एक सर्कुलर के बारे में पता है जिसमें कहा गया है कि

सरकारी कर्मचारियों के संघों में बाहर वालों को पदाधिकारयों के रूप में न रखा जाये ?

श्री आबिद अली : वह असैनिक कर्मचारियों के बारे में है ।

श्री नम्बियार : क्या गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया यह आदेश १९२६ के ट्रेड यूनियन अधिनियम के विरुद्ध नहीं है ?

श्री आबिद अली : पहले अधिकतर कार्मिक संघों में पद धारण करने वाले व्यक्ति ग़ैर-कर्मचारी हुआ करते थे । वर्तमान ट्रेड यूनियम अधिनियम के अनुसार संघ के ५० प्रतिशत पदों को कर्मचारियों के लिए सुरक्षित किया गया है । अधिनियम में कर्मचारियों को यही सुरक्षा दी गई है ।

श्री रघवय्या : यदि इन कार्मिक संघों के पदाधिकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं होंगे, तो क्या सरकार कार्मिक संघों के उन कर्मचारियों को, जिन्होंने उसके पद धारण कर रखे हों, स्थानान्तरण न किए जाने की तथा छुट्टी आदि की सुविधायें देगी जिससे वे संघ का काम अच्छी तरह कर सकें ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

श्री रघवय्या : क्या सरकार विश्वास दिलायेगी ...

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों के समय सरकार कोई विश्वास नहीं दिला सकती ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मंत्री के उत्तर से क्या यह समझा जाये कि संघ के ५० प्रतिशत पदाधिकारी बाहर वाले हो सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री आबिद अली : मैंने कहा था कि ५० प्रतिशत कर्मचारी होने चाहियें । यह अधिनियम में दिया गया है; बाक़ी ५० प्रतिशत बाहर वाले हों या एक भी न हो, यह संघ के सदस्यों पर निर्भर है ।

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर निकाला है कि सरकारी कर्मचारियों के संघों के पदों पर बाहर वाले न रखे जायें, मैं जान सकता हूं कि क्या श्रम मंत्रालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा है और कार्मिक संघ अधिनियम के सिद्धान्तों का ठीक तरह से अनुसरण करने के लिए कार्यवाही कर रहा है ?

श्री आबिद अली : गृह मंत्रालय द्वारा जो कुछ किया गया है हम उसे ठीक ही समझते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : गृह मंत्रालय के सर्कुलर में निर्दिष्ट 'असैनिक कर्मचारी' का क्या अर्थ है ? इसकी परिभाषा में कौन कौन से सरकारी कर्मचारी आते हैं ?

श्री आबिद अली : इसका औद्योगिक कम्पनियों से सम्बन्ध नहीं । यह केवल असैनिक कर्मचारियों तक ही सीमित है ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या असैनिक कर्मचारी की इस परिभाषा में सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारीगण तथा विभाग के इसी श्रेणी के कर्मचारी आते हैं ?

श्री आबिद अली : जी हां ।

डा० जयसूर्य : क्या यह सत्य है कि गृह मंत्रालय का सर्कुलर आने वाले ट्रेड यूनियन विधेयक पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि कोई बाहर वाला व्यक्ति न होगा ?

श्री आबिद अली : जी हां । ट्रेड यूनियन विधेयक के अनुसार, जिसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है, उन संघों में बाहर वाला व्यक्ति कोई न होगा जिनका सम्बन्ध केवल असैनिक कर्मचारियों से है ।

श्री पी० टी० चाको: क्या सरकार को पता है कि यदि बाहर वालों के लिए कार्मिक संघ के पदाधिकारी बनने की मनाही होगी तो इससे काफ़ी बेकारी बढ़ जायेगी क्योंकि बहुत से लोगों की आजीविका कार्मिक संघों पर निर्भर है ?

श्री आबिद अली: बहुत से गड़बड़ करने वालों को दूर रखा जा सकता है ।

कई माननीय सदस्य : हम उत्तर नहीं सुन सके ।

उपाध्यक्ष महोदय: वह उत्तर दे चुके हैं । माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते थे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या सरकार गृह मंत्रालय को यह आदेश देने की अनुमति देकर कार्मिक संघ से सम्बन्धित देश के क़ानून से बचना चाहती है कि सरकारी कर्मचारी कार्मिक संघों में बाहर वालों को न रखें ?

श्री आबिद अली : संविधान का सम्मान पूरी तरह किया जा रहा है और किया जाता रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने इस प्रश्न पर बहस करने के लिए काफ़ी समय दे दिया है । किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर बहस करने के लिए सप्ताह में तीन दिन दिये जाने की मैं व्यवस्था कर चुका हूं । प्रश्नों का घंटा इस काम में नहीं लाया जाना चाहिए ।

उत्तरी बिहार में गन्ने का मूल्य

*१२०७. **श्री विभूति मिश्र:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह घोषणा की थी कि उत्तरी बिहार में गन्ना उत्पादकों को, जो मिल के द्वार पर तथा बाहरी स्टेशनों पर गन्ना पहुंचायें, उन्हें १९४० से लेकर अप्रैल १९५२ तक गन्ने का एक ही मूल्य दिया जायगा ;

(ख) क्या यह तत्य है कि उक्त अवधि में गन्ना उत्पादकों को दोनों स्थानों पर एक ही मूल्य दिया गया था;

(ग) सरकार ने मिल के द्वारों पर और बाहरी स्टेशनों पर इस वर्ष भिन्न भिन्न मूल्य देने का निश्चय क्यों किया है; और

(घ) क्या यह तत्य है कि बिहार सरकार तीन आने प्रति मन चीनी उपकर के रूप में लेती है और एक आना प्रति मन सोसायटी को कमीशन के रूप में दिया जाता है अर्थात् गन्ना उत्पादकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त सरकार को चार आने प्रति मन कर देना पड़ता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एस० वी० कृष्णप्पा): (क) जी नहीं ?

(ख) जी हां ।

(ग) बाहरी स्टेशनों से गन्ना लाने में फैक्टरियों को जो भाड़ा देना पड़ता है उस को पूरा करने के लिए बाहरी स्टेशनों पर ख़रीदे जाने वाले गन्ने का न्यूनतम मूल्य फाटक पर ख़रीदे गये गन्ने के लिये निश्चित मूल्य से दो आना प्रति मन कम निश्चित किया गया है । पिछले मौसम तक, यह ख़र्चा चीनी के नियंत्रित मूल्य में ही शामिल कर लिया जाता था ।

(घ) बिहार सरकार ने चीनी के कारखानों को दिये जाने वाले गन्ने पर –/३/३ प्रति मन की दर से कर लगा रखा है । जो गन्ना सहकारी सभाओं के द्वारा ख़रीदा जाता है उस पर ९ पाई प्रति मन के हिसाब से सहकारी सभाओं को कमीशन देना होता है । यह कर और कमीशन चीनी के कारखानों द्वारा दिये जाते हैं, गन्ना उगाने वालों द्वारा नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : अभी यह बतलाया गया कि बारह तेरह साल तक गवर्नमेंट ने शुगरकेन की दो क़ीमत नहीं रखीं, इस साल क्या बात हो गई कि गवर्नमेन्ट ने दो क़ीमत रख दीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : १९५१–५२ तक हम क़ीमत निश्चित नहीं कर सकते थे; राज्य सरकारें निश्चित् करती थीं । १९५१–५२ और ५२–५३ से हम निश्चित करते हैं । हम उन्हें ७ आने प्रतिमन की छूट देते थे जो चीनी के नियंत्रित मूल्य में शामिल की जाती थी । इस वर्ष हम चीनी का मूल्य निश्चित नहीं कर रहे; इसलिये हम कोई कर शामिल नहीं कर सकते ।

श्री विभूति मिश्र : जब सरकार शुगर केन की प्राइस फिक्स करती है तो क्या उस में सरकार किसानों के प्रतिनिधियों को कोई प्रतिनिधित्व देती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मूल्य चीनी मिलों, गन्ना उगाने वालों और अन्य सम्बन्धित पक्षों से सलाह कर के निश्चित किये जाते हैं ।

श्री गोपाल राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गन्ने पर उपकर गन्ने की खेती में सुधार कर ने के लिये लगाया जाता है, क्या सरकार को पता है कि यह रुपया गन्ने की खेती में सुधार करने के लिये कभी ख़र्च नहीं किया जाता ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह गन्ना उगाने वाले क्षेत्र के विकास के लिये होता है और इस के लिये ही ख़र्च किया जा रहा है । यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट उदाहरण दें, तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

श्री विभूति मिश्र : इस बार सरकार ने जो गन्ने की क़ीमत मुकर्रर की है, तो क्या निर्णय करते समय गन्ने वालों के कोई प्रतिनिधि थे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जनता के वास्तविक प्रतिनिधि यानी संसद्-सदस्य तथा अन्य व्यक्ति थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद्-सदस्य जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं ।

श्री सारंगधर दास : क्या यह सत्य नहीं है कि गन्ने पर जो उप कर लगाया जाता है वह सामान्य राजस्व में मिला दिया जाता है और गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों के विकास के लिये एक अलग निधि के रूप में नहीं रखा जाता ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विभूति मिश्र : नार्थ बिहार ग्रोवर्स का क्या कोई रिप्रेज़ेन्टेटिव क़ीमत ठीक करने के समय मौजूद था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : समिति के जो सदस्य हैं मैं उनकी सूची देने के लिये तैयार हूं ।

सेवा योजनालय

*१२०८. **श्री मुनिस्वामी** : (क) श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हमारे देश में अधिकारीगण समय समय पर सेवा योजनालयों के निरीक्षण के लिये जाते हैं ?

(ख) क्या सरकार को पता लगा है कि सेवा योजनालयों में कुछ अनियमिततायें हैं जिन के कारण प्रार्थियों को नौकरी मिलने में विलम्ब हुआ है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रश्न का अभिप्राय स्पष्ट नहीं । हां, यदि माननीय सदस्य सरकार के ध्यान में विशिष्ट उदाहरण लायें तो उन पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मुनिस्वामी : जो प्रार्थी १९५१ में रजिस्टर हुए थे, क्या उन्हें अभी तक कोई अवसर नहीं दिया गया है ?

श्री आबिद अली : यदि उन के योग्य कोई जगह नहीं होंगी, तो उन्हें नहीं मिला होगा ।

श्री नम्बियार : क्या कोई मामले ऐसे हैं जिनमें कि कुछ प्रार्थियों को, उन के प्रार्थना पत्रों के कई बार नये किये जाने के बावजूद भी, लगातार ५ वर्षों तक कोई अवसर नहीं मिला है ?

श्री आबिद अली : जैसा मैं कह चुका हूं, यदि जगह नहीं हो, तो प्रार्थी को ५ वर्ष से अधिक समय तक भी अवसर नहीं मिल सकता है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या प्रार्थना पत्रों का नवीकरण भी किया जाना होता है और क्या इस से प्रार्थियों को व्यर्थ की कठिनाई तो नहीं होगी ?

श्री आबिद अली : चालू रजिस्टर पर अपना नाम जारी रखने के लिये उन्हें हर दो महीने बाद अपने प्रार्थनापत्र नये कराने होते हैं । इस में कोई कठिनाई नहीं होती ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या योजनालयों के कार्य की जांच करने के लिये नियुक्त की गई शिवा राव समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है ?

श्री आबिद अली : जी नहीं । इस के लिये अभी जल्दी है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : सूची पर जितने लोग होते हैं उन के मुकाबले में वे लोग कितने प्रतिशत हैं जिन्हें नौकरियां मिलती हैं ?

श्री आबिद अली : लगभग ३० प्रतिशत ।

श्री एस० वी० रमास्वामी : कितना समय लग जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले एक प्रश्न में पूछा जा चुका है । वह नहीं बता सकते । इस में २ दिन से ५ वर्ष तक लग जाते हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में से मज़दूरों का निकाला जाना

डा० लंका सुन्दरम् : उत्पादन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम् के ८१३ मज़दूरों को ३१ मार्च १९५३ से सरसरी तौर से कार्यवाही करके निकाल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में मान्यताप्राप्त मज़दूर संघ से पहले कोई राय ली गई थी;

(ग) क्या कारण है कि उन्हें मज़दूर संघ क़ानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित नोटिस नहीं दिया गया था जिस से कि मज़दूर संघ इस मामले को किसी मध्यस्थ या समझौता अधिकारी के पास ले जा सकते;

(घ) क्या यह सत्य है कि उत्पादन मंत्री ने जुलाई, १९५२ को मज़दूर संघ तथा मज़दूर संघ परिषद् विशाखापटनम् को यह आश्वासन दिया था कि यार्ड में कोई छंटनी नहीं की जायेगी;

(ङ) क्या यह छंटनी, जो सरसरी तौर पर इस समय हो रही है, इसलिये की जा रही है कि नौवहन इंजीनियरों की उस फ्रांसीसी फ़र्म के जिसे वहां काम सौंपा गया है, कमीशन तथा अन्य पारिश्रमिक आदि देने में जो खर्चा होगा उसे पूरा किया जा सके; तथा

(च) क्या इन लोगों के रहे चले आने से उस समय सहायता नहीं मिलेगी जब कि यार्ड में एक साथ तीन जहाज़ बनाए जाने लगेंगे जिस के लिये एक तीसरे 'स्लिपवे' के इस वर्ष जुलाई में चालू हो जाने की आशा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने ८१३ मज़दूरों को चूंकि वे फ़ालतू समझ गये थे ३१ मार्च १९५३ को उनकी नौकरी ख़त्म कर देन का नोटिस दिया गया था। नोटिस दिये जान के कारण, उन्हें, अन्य लोगों के साथ १४ दिन की मज़दूरी और महंगाई भत्ता दिया जायगा।

(ख) डाक्टरी परीक्षण के आधार पर जो मज़दूर ज्यादा आयु वाले और शारीरिक दृष्टि से अयोग्य समझे गये थे उनकी छंटनी के बारे में मज़दूर संघ से बातचीत हुई थी। चूंकि संघ के रवैये से विशेष सहायता मिलने की आशा नहीं थी, इसलिये इस मामले में उस से बातचीत करना बेकार समझा गया। फिर भी ३० मार्च को संघ को बता दिया गया था कि ऐसी कार्यवाही की जा रही है।

(ग) मज़दूर संघ क़ानूनों के अधीन छंटनी करने के लिये मज़दूर संघों को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है।

(घ) ८ जुलाई १९५२ को उत्पादन मंत्री ने मज़दूरों की एक सभा में कहा था कि शिपयार्ड में छंटनी नहीं की जायगी। इस का निर्देश सरकार के मेसर्स सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के साथ १ मार्च १९५२ को शिप यार्ड उन से लेते समय किये गये इस समझौते की ओर था कि ६ महीने तक कोई छंटनी नहीं की जायेगी।

(ङ) वर्तमान छंटनी इसलिये नहीं की जा रही कि ए० सी० एल० की फ्रांसीसी फ़र्म को पारिश्रमिक आदि देने में जो ख़र्चा होगा, वह इस से पूरा किया जाये।

(च) छंटनी शिपयार्ड की निर्माण क्षमता का पूरा ध्यान रखते हुए की गई है। यह अनुभव किया गया कि ये ८१३ व्यक्ति उस समय भी फ़ालतू ही होंगे जब कि शिपयार्ड एक साल में २ १/२ जहाज़ों के स्थान पर जो वह इस समय बनाता है, चार जहाज़ बनाने लगे। फ़ालतू मज़दूरों का हिसाब लगाते समय तीसरे 'स्लिपवे' के चालू होने की ओर पूरा ध्यान दिया गया है।

डा० लंका सुन्दरम् : भाग (ङ) के उत्तर को निर्दिष्ट करते हुए मैं जान सकता हूं कि नौवहन इंजीनियरों की इस फ्रांसीसी फ़र्म के साथ किये गये समझौते के अन्तर्गत क्या ३ लाख रुपये वार्षिक के वेतन और भत्ते देने, निर्मित जहाज़ों पर ४ प्रतिशत के हिसाब से कमीशन देने, जो वर्तमान क़ीमत के अनुसार ६८ लाख रु० प्रति जहाज़ की दर से ५ १/२ लाख रु० होगा, तथा मरम्मत आदि के सम्बन्ध में अतिरिक्त रुपया देने की व्यवस्था की गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां, माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना काफ़ी ठीक है।

डा० लंका सुन्दरम् : शिप यार्ड पर लादे गये इस ख़र्चे के अलावा, क्या उच्चकर्मचारी वर्ग पर एक लाख रुपया का अतिरिक्त ख़र्चा और किया जाता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं माननीय सदस्य की व्याख्या से सहमत नहीं।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या माननीय मंत्री को पता है कि फ्रांसीसी फ़र्म के साथ हुए समझौते के कारण जो १० से १५ लाख रुपये प्रति वर्ष का ख़र्चा बढ़ा है उस को इन मज़दूरों की मज़दूरी से पूरा करने का इरादा है, जिन्होंने अब तक एक दर्जन जहाज़ बना कर तैयार कर दिये हैं और जिन के जहाज़ों को लॉयड्स द्वारा ए–१ सर्टिफ़िकेट दे दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तर्क है, प्रश्न नहीं।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं माननीय सदस्य की व्याख्या से सहमत नहीं। यह छंटनी इसलिये नहीं की गई है कि इस से फ्रांसीसी फ़र्म का ख़र्चा पूरा किया

जाये; न ही मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि इस पर १५ लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जायेगा। फ़्रांसीसी फ़र्म को जहाज़ बनाने में कार्य कुशलता और मितव्ययता लाने के लिये नियुक्त किया गया है। इन बातों के कारण मैं माननीय सदस्य की व्याख्या नहीं मान सकता।

श्री एम० एल० द्विवेदी : नये प्रबन्ध के अन्तर्गत अधिक कार्य आरम्भ किये जाने की योजना को ध्यान में रखते हुए क्या यह संभव नहीं कि नये व्यक्तियों को काफ़ी समय के लिये रखा जाये; यदि ऐसा है तो क्या यार्ड के कार्यों में कमी होगी और क्या लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा जायेगा, जैसा अब तक रखा गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : स्थिति इस प्रकार है। वर्ष १९४९ से ही कुछ फ़ालतू मज़दूर चले आरहे हैं। मज़दूरों की संख्या में कमी करने के कई बार प्रयत्न किये गये हैं परन्तु समय समय पर हुए समझौतों के कारण असल छंटनी नहीं की जा सकी। अभी हाल ही में कम्पनी ने इस प्रश्न को फिर से उठाया है और वह इस नतीजे पर पहुंची है कि शिपयार्ड के विकसित हो जाने पर भी ८१३ मज़दूर फ़ालतू ही होंगे।

डा० जयसूर्य : क्या यह सत्य है कि जहाज़ों की मरम्मत करने वाला विभाग विज़गापटम से बम्बई भेज दिया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे पता नहीं।

श्री एच० एन० शास्त्री: मंत्री महोदय ने कहा कि १९४९ से फालतू मज़दूर चले आ रहे हैं। मैं जान सकता हूं कि फिर उन्होंने जुलाई १९५२ में यह आश्वासन क्यों दिया कि शिपयार्ड में कोई छंटनी नहीं की जायेगी और उस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए क्या यह छंटनी उस आश्वासन को निरर्थक नहीं बनाती ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं अपने उत्तर में कारण बता चुका हूं। यह सच है कि जुलाई १९५२ में मज़दूरों की एक सभा में मैं ने कहा था कि कोई छंटनी नहीं होनी चाहिये। यह इसलिये था कि जब शिपयार्ड को सिन्धिया कम्पनी से लिया गया था तो सिन्धिया कम्पनी ने एक शर्त रखी थी शिपयार्ड लिये जाने के छः महीने तक हम कोई छंटनी न करें। हमें उस समझौते को निभाना था। और इन्हीं परिस्थितियों में मैं ने कहा था कि कोई छंटनी नहीं होगी। दूसरे, उस के बाद से सरकार भरसक प्रयत्न करती रही है कि जहां तक संभव हो छंटनी न की जाये। सरकार का इरादा था कि छंटनी न की जाये और बाद के छः महीनों में हर कोशिश की गई है कि मज़दूरों को कोई दूसरा काम दिया जाये या शिपयार्ड में ही किसी तरह खपा लिया जाये। इन्हीं सब बातों के कारण छंटनी में इतनी देर भी लगी है।

श्री एच० एन० शास्त्री : क्या यह सत्य है कि नौकरी ख़त्म करने के लिये १४ दिन का नोटिस देने के ट्रेड यूनियन क़ानून व प्रथा से बचने के लिये प्रबन्धकों ने ३० मार्च को २ बजे मज़दूर संघ के पदाधिकारियों को बुलाया और उन्हें ८१३ मज़दूरों को निकालने के लिये एक नोटिस दिया जो दूसरे दिन सवेरे सात बजे लागू होना था और इस प्रकार उन्हें २४ घंटे का नोटिस भी नहीं दिया गया ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैंने इस विषय पर विधि मंत्रालय से भी परामर्श किया है। मुझे बताया गया है कि छंटनी के लिये स्थायी आदेशों के एस० ओ० (२७ ए) के अन्तर्गत नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एच० एन० शास्त्री : क्या माननीय मंत्री को पता है कि वहां का मज़दूर संघ छंटनी की इस नीति का विरोध करने के लिये हड़ताल के बारे में राय ले रहा है और इस के

अलावा निकाले हुए लोगों को काम दिलाने के लिये जन-सत्याग्रह कर रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इस का पता नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मज़दूरों ने पिछले महंगाई भत्ते के हिसाब में केवल ९ लाख रुपया दिये जाने, भविष्य में महंगाई भत्ता पूरा दिया जाने तथा कोई छंटनी न किये जाने पर राज़ी हो कर कोई समझौता किया था ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य किस बात को निर्दिष्ट कर रहे हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या यह सत्य है कि जनवरी १९५० में, जब यार्ड सिन्धिया कम्पनी के पास था, तो मज़दूरों ने अपने महंगाई भत्ते में से १५ रुपये प्रति व्यक्ति छोड़ देना मंजूर कर लिया था जिस से छंटनी न हो ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां, यह सत्य है। यह समझौता जनवरी १९५० में हुआ था।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या इस प्रकार छोड़ी गई राशि २१ लाख रुपये के लगभग थी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैंने हिसाब नहीं लगाया है ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या नई कम्पनी के बने के बाद—जिसमें सरकार का हिस्सा लगभग २/३ है—एक समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत पिछले महंगाई भत्ते के हिसाब में केवल ९ लाख रुपया लेना मंजूर करने पर उन्हें भविष्य में पूरा महंगाई भत्ता देने और छंटनी न करने का वचन दिया गया था ?

श्री के० सी० रेड्डी : माननीय सदस्य का वक्तव्य ठीक नहीं है ।

श्री श्रीकान्तन नायर : मैं जान सकता हूं कि १९४९ से ८१३ मज़दूर फालतू किस तरह हुए यद्यपि अब तक ढाई जहाज़ों की क्षमता नहीं बढ़ाई गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : १९४९ में यह देखा गया कि शिप यार्ड में आवश्यकता से अधिक मज़दूर हैं । उस के बाद वहां मज़दूरों की संख्या हमेशा अधिक ही रही । यह संख्या १००० और १८०० के बीच रही है । जैसा मैं बता चुका हूं ८१३ मज़दूरों की यह संख्या शिपयार्ड की उन्नति को ध्यान में रख कर निश्चित की गई है । इसे अपनी इच्छा से तय नहीं किया गया है बल्कि विशेषज्ञों की सलाह से तय किया गया है ।

श्री दामोदर मेनन : माननीय मंत्री ने एक समझौते को निर्दिष्ट किया और कहा कि डा० लंका सुन्दरम् द्वारा कही गई बातें ठीक हैं । क्या सरकार के इस कम्पनी में आने के बाद, कोई समझौता हुआ था और यदि हुआ था तो उस की शर्तें क्या हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : नई कम्पनी बनने के बाद, कोई निश्चित समझौता नहीं हुआ है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार यह कह सकती है कि मज़दूरों की छंटनी के बावजूद भी शिपयार्ड के जहाज़ बनाने के कार्यक्रम में कोई कमी न आयेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि किसी प्रकार से कमी नहीं होगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यह मज़दूर पिछली कम्पनी में कब से नौकर थे और क्या पिछले प्रबन्धकों द्वारा भी ये फ़ालतू समझे जाते थे ?

श्री के० सी० रेड्डी : नई कम्पनी मार्च १९५२ में ही बनी थी। सिन्धिया कम्पनी के समय में यह देखा गया कि मज़दूरों की संख्या काफ़ी अधिक है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि यह मज़दूर पिछली कम्पनी में कब से थे।

श्री नटेशन : सरकार ने सिन्धिया कम्पनी की इस शर्त को क्यों माना कि कम्पनी लेने पर उस में छंटनी न की जाये ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं यह तो नहीं बतला सकता कि उस समय सरकार का क्या विचार था। शायद उस समय के वातावरण को न छेड़ने और सन्देह उत्पन्न न करने के कारण ही ऐसा किया था।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या सरकार को पता है कि शिपयार्ड के लिये इस्पात की चादरें, बॉयलर और इंजन मंगाने की व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है और इस के अलावा इस्पात की प्लेटों में जैसे एंगिलों, चेनलों और जहाज़ के फ़र्शों में गलत तरह से छेद किये जा रहे हैं जिस से बड़ा नुकसान हो रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं माननीय सदस्य की इस बात को नहीं मानता कि व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है। जहां तक मुझे पता है कोई गड़बड़ नहीं हुई है।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मंत्री महोदय का ध्यान यार्ड के एक संस्थापक, श्री एम० ए० मास्टर के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि "जब तक अगले कुछ वर्षों के लिये जहाज़-निर्माण का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाया जायेगा और जब तक इस्पात की प्लेटें, इंजन तथा बॉयलर ठीक समय पर नहीं आते, तब तक इस बड़े उद्योग को लाभदायक तथा संतोषजनक आधार पर खड़ा नहीं किया जा सकता" ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां। श्री मास्टर द्वारा बतायी गई बातों पर, जिस को माननीय सदस्य ने उद्धरित किया है, ध्यान में रखा जायेगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : छंटनी में तथा योजना आयोग के प्रोग्राम में दिये गये उस वक्तव्य में क्या सम्बन्ध है कि लोहे तथा इस्पात की कमी के कारण जहाज़-निर्माण कार्यक्रमों में कमी की जायेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : कोई सम्बन्ध नहीं। जहाज़-निर्माण कार्यक्रम में कोई कमी न की जायेगी। वास्तव में, हम ने इस्पात के बारे में अपने यहां से ही अपनी ज़रूरतें पूरी करने तथा ज़रूरत पड़ने पर उसे बाहर से मंगाने के लिये आवश्यक क़दम उठा लिये हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय किसी व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरे एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि उस का उत्तर विवरण में दिया गया है। परन्तु मेरा प्रश्न यह था कि क्या सेवा योजनालयों के द्वारा भरती बन्द करने पर चर्चा हुई थी या नहीं। उहोंने कहा कि इसका उत्तर विवरण में है परन्तु उसमें यह चीज़ नहीं दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्य की व्याख्या है परन्तु माननीय मंत्री की व्याख्या दूसरी है। खैर, इस में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उड़ीसा मोटर ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड बरहामपुर (गंजम)

***११९६. श्री संगण्णा :** (क) रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे की संचित निधि में से उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कम्पनी, लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) में कोई धन लगाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कुल कितना ?

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक में इस कम्पनी की मासिक औसत आय तथा व्यय कितना रहा ?

(घ) उक्त काल में हिस्सेदारों को कितना लाभांश दिया गया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) ३ लाख रुपये ।

(ग) उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट एंड कम्पनी लिमिटेड ने पहली जनवरी १९५१ से काम करना शुरू किया और इस की पहली रिपोर्ट और हिसाब जनवरी १९५१ से मार्च १९५२ तक के १५ महीनों के बारे में प्रकाशित हुए हैं । १९५१५-२ के वित्तीय वर्ष तथा १९५२-५३ के पूरे वर्ष के बारे में अलग अलग सूचना उपलब्ध नहीं है । जनवरी १९५१ से मार्च १९५२ और अप्रैल १९५२ से दिसम्बर १९५२ के काल में इस कम्पनी की औसत मासिक आय और व्यय इस प्रकार हैं:—

	औसत मासिक आय रु० आ०पा०	औसत मासिक व्यय रु० आ पा०
जनवरी १९५१ से मार्च १९५२ के काल में	१,१६,८८८–४–४	१,११,३३५–१–८
अप्रैल १९५२ से दिसम्बर १९५२ के काल में	१,१५,६४४–१४–२	१,२७,८०९–८–६

(घ) १-१-५१ से ३१-३-५२ के काल में कम्पनी के हिस्सेदारों को जो लाभांश दिया गया वह इस प्रकार है:—

केन्द्रीय सरकार (रेलवे)	१२,६१० रु० ११ आ० ० पा०	
उड़ीसा सरकार	३२,१५८ रु० ३ आ० ९ पा०	
जनता	१,०११ रु० २ आ० ६ पा०	

चूंकि १९५२-५३ के दूसरे वर्ष के बारे में कम्पनी के हिसाब से अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है, इसलिये इस वर्ष का लाभांश अभी घोषित नहीं किया गया है ।

झालावाड़ रोड स्टेशन पर फ्रंटियर मेल का ठहरना

*१२०५. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : (क) रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पश्चिम रेलवे के शामगढ़ स्टेशन से लगभग दस यात्री प्रति दिन बुक किये जाते हैं ?

(ख) क्या सरकार को पता है कि झालावाड़ रोड (श्री छतरपुर) से लगभग ४०० यात्री प्रति दिन बुक किये जाते हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि फ्रंटियर मेल शामगढ़ पर ठहरता है और झालावाड़ रोड पर नहीं ?

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर 'न' में हो तो क्या सरकार झालावाड़ रोड पर फ्रंटियर मेल ठहराने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) शामगढ़ से औसतन २४३ यात्री प्रति दिन बुक किये जाते हैं, दस नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है ।

(ख) झालावाड़ रोड से औसतन १८६ यात्री प्रति दिन बुक किये जाते हैं, ४०० नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

हमीरा चीनी फैक्टरी

*१२०९. **सरदार अकरपुरी** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पैप्सू की हमीरा चीनी फैक्टरी ने पैप्सू और पंजाब के

गन्ना उगाने वालों द्वारा १९५१-५२ के मौसम में इस फैक्टरी को दिये गये गन्ने की क़ीमत का काफ़ी बड़ा भाग अभी तक नहीं चुकाया है; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि हमीरा चीनी फैक्टरी पटियाला स्टेट बैंक को रहन रख दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां । १०१.४ लाख रुपये की कुल क़ीमत में से ९.९ लाख रुपये अभी दिये जाने हैं ।

(ख) सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

रेलवे पूंजी परिसम्पत्

***१२१०. श्री के० सी० सोधिया : रेल** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे पूंजी परिसम्पत् का अन्तिम बार मूल्यांकन कब किया गया था;

(ख) क्या मूल्यांकन पुस्त-मूल्य के आधार पर किया गया था या अवक्षयण निकाल कर तत्कालीन मूल्य के आधार पर; तथा

(ग) क्या इन दो तरीकों से रेलवे में लगी पंजी में काफी अन्तर है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे की कुल पूंजी परिसम्पत् का मूल्यांकन कभी नहीं किया गया ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

***१२११. श्री एम० एल० अग्रवाल : स्वास्थ्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की हैदराबाद में २९ से ३१ जनवरी १९५३ तक होने वाली बैठक में पारित किये गये संकल्पों में जो सिफ़ारिशें की गई हैं उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाना सोच रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के संकल्पों में जो सिफ़ारिशें की गई हैं उन में से अधिकांश ऐसी हैं जिन्हें क्रियान्वित करना राज्य सरकारों का काम है। संकल्पों की प्रतिलिपियां राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित सिफ़ारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

विद्यार्थियों को यात्रा सम्बन्धी सुविधायें

***१२१२. श्री नानादास** : (क) क्या **रेल** मंत्री प्रधान मंत्री के २० मार्च १९५३ को मेरठ में दिये गये भाषण को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि क्या सरकार विद्यार्थियों को सस्ते दरों पर यात्रा सुविधायें देने का विचार करती है ?

(ख) यदि करती है, तो ये सुविधायें क्या हैं और यह योजना कब से लागू होगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) रेलवे विद्यार्थियों को, जब वे शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये यात्रा करते हैं, पहले से ही रियायती दरों के रूप में सुविधायें देती है ।

(ख) रियायत यह है : दूसरे दर्जे के किराये से पहले दर्जे में यात्रा, मध्य दर्जे के मेल के किराये से दूसरे दर्जे में यात्रा, तीसरे दर्जे के मेल के किराये से मध्यम दर्जे में यात्रा और तीसरे दर्जे के मेल के आधे किराये से तीसरे दर्जे में यात्रा । यह रियायत, जो गत महायुद्ध में उठा ली गई थी, पहली अप्रैल, १९५० से फिर दी जाने लगी है ।

अगरताल से कैलासहर तक हवाई सफर

९०९. **श्री दशरथ देव:** (क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अगरताल से कैलासहर (त्रिपुरा) के हवाई सफ़र का कराया कितना है और अगरताल से कैलासहर का फ़ासला क्या है और वहां जाने में कितना समय लगता है ?

(ख) क्या यह सच है कि एक दूसरी हवाई कम्पनी मुसाफ़िरों को इस से बहुत कम दर पर ले जाने के लिये तैयार थी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) अगरताल से कैलासहर तक भारत एयरवेज़ द्वारा कमलपुर होकर चलाई जाने वाली अननुसूचित सर्विस का किराया ३० रुपये है। कमलपुर हो कर इन दो स्थानों का फ़ासला ६७ मील है। भारत एयरवेज़ वहां तक पहुंचने में ४५ मिनट लेती है। इस समय अगरताल और कैलासहर के बीच कोई अनुसूचित हवाई सर्विस नहीं है।

(ख) जहां तक सरकार को पता है, ऐसी बात नहीं है।

त्रिपुरा के मैडिकल छात्र

९१०. **श्री दशरथ देव: स्वास्थ्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगी कि सरकार ने त्रिपुरा के उन छात्रों के लिये क्या प्रबन्ध किया है जो डाक्टरी पढ़ना चाहते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): भारत के विभिन्न मैडीकल कालिजों में भाग 'ग' तथा 'घ' राज्यों के लिये जो २७ सीटें सुरक्षित की गई हैं उन में से हर वर्ष दो सीटें त्रिपुरा के छात्रों के लिये होती हैं। त्रिपुरा की छात्रायें लेडी हार्डिंज कालिज, नई दिल्ली, में प्रवेश के लिये आवेदन कर सकती हैं।

मैसूर को अनाज दिया जाना

९११. **श्री एन० राचय्या:** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मैसूर सरकार ने १९५३ के लिये अनाज के बारे में केन्द्रीय सरकार से कोई प्रार्थना की है ?

(ख) यदि की है तो कितना चावल तथा अन्य अनाज मांगा गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) तथा (ख). मैसूर ने १९५३ के लिये २०,००० टन चावल तथा १६०,००० टन अन्य अनाज मांगा है।

बी० सी० जी० का टीका

९१२. **श्री भीखाभाई:** (क) **स्वास्थ्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार ने बी० सी० जी० के टीके के लिये राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में कोई केन्द्र खोला है ?

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५२-५३ में कितने लोगों के टीका लगाया गया ?

(ग) यदि नहीं, तो बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन कब आरम्भ होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) से (ग). राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

१९५० में जयपुर में एक बी० सी० जी० केन्द्र खोला गया था जिसे बाद में जोधपुर भेज दिया गया था। राज्य में लोगों के टीका लगाने का काम इस वर्ष शुरू होगा।

डाक जीवन बीमा पालिसियां

९१३. **श्री ए० एन० विद्यालंकार: संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत से पश्चिमी पाकिस्तान भेजी गई और वहां से भारत को भेजी गई डाक जीवन बीमा पालिसियों की संख्या;

(ख) उक्त पालिसियों का कुल मूल्य;

(ग) क्या अब पालिसियों का स्थानान्तरण बन्द कर दिया गया है; यदि हां तो क्यों;

(घ) स्थानान्तरण के लिये कितने प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं;

(ङ) स्थानान्तरण में कितना समय लगता है और क्या इस बारे में कोई शिकायतें आई हैं कि स्थानान्तरण करने में बडा समय लगता है; तथा

(च) क्या पालिसियों के परिपक्व हो जाने पर भुगतान शीघ्र कर दिया जाता है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर): (क) डाक जीवन बीमा पालिसियां न तो भारत से पाकिस्तान और न ही पाकिस्तान से भारत स्थानान्तरित की जा सकती हैं। १५ अगस्त १९४७ को भारत तथा पाकिस्तान की अलग अलग सरकारें स्थापित होने पर, डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में अविभाजित भारत सरकार का दायित्व पालिसी रखने वाले के अपनी नौकरी के लिये किसी एक सरकार को चुनने के आधार पर या जो लोग नौकर नहीं थे उनके बारे में ३१ मार्च १९४८ को उन के विकास के आधार पर दो सरकारों में बांट दिया गया था। १५ अगस्त १९४७ को कुल पालिसियों की संख्या ९२,५०८ थी जिसमें से पाकिस्तान सरकार ने अब तक लगभग ६९५० पालिसियों के लिये ज़िम्मेदारी ली है। उक्त आधार पर पाकिस्तान सरकार ने जितनी पालिसियों की ज़िम्मेदारी ली है उस की अन्तिम सूची की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) १५ अगस्त १९४७ को जितनी पालिसियां थीं उन का कुल दर्शनी मूल्य १८,९२,३१,६०० रु० है। उन ६९५० पालिसियों का मूल्य, जिन का पाकिस्तान ने दायित्व लिया है, १,६२,००,००० है।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

(च) जी हां, उन पालिसियों के बारे में जिनका भारत सरकार ने दायित्व लिया है।

नीलोर में अभ्रक उद्योग

९१४. **श्री नानादास :** (क) **श्रम** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नीलोर ज़िले में अभ्रक उद्योग में कितने मज़दूर काम करते हैं ?

(ख) कितने मज़दूरों को अभ्रक की खानों में क्वार्टर मिले हुए हैं ?

(ग) मज़दूरों को क्वार्टरों में और क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

(घ) नीलोर जिले में अभ्रक की किन किन खानों में मज़दूरों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) नीलोर ज़िले में अभ्रक खान उद्योग में लगभग आठ हजार।

(ख) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) वर्ष १९५१-५२ में अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि के कार्यकलाप की एक प्रतिलिपि जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २९]**

विशाखापटनम् पत्तन में ढेर लगाने के लिये प्लाट

९१५. **श्री देवगम :** क्या रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन पार्टियों के नाम जिन के पास विशाखापटनम् पत्तन में निर्यात के उद्देश्य से कच्ची धातुओं को इकट्ठा करने के लिये प्लाट हैं; उन में से हर एक के पास कितना क्षेत्र है, उन के प्रार्थना पत्र किस तारीख़ के हैं

और ७ मार्च १९५३ तक दिये गये प्लाटों की तारीखें क्या हैं;

(ख) उन पार्टियों के नाम जिन्होंने कच्ची धातुओं को इकट्ठा करने के लिये प्लाटों की मांग की थी, उन के प्रार्थना पत्रों की तारीख, उन पार्टियों के नाम जिन्हें प्लाट नहीं दिये गये तथा नहीं देने के कारण; तथा

(ग) विशाखापटनम् पत्तन में जिन लोगों के पास प्लाट हैं उन में से कितने वास्तविक निर्यातकर्त्ता हैं और कितने 'क्लियरिंग तथा फ़ारवर्डिंग एजेन्ट' हैं और उन के नाम क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कृपया सदन पटल पर रखे गये विवरण को देखिये। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ख) कृपया विवरण को देखिये जिसमें १९५२-५३ की स्थिति दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ग) कुल २१ लोगों के पास प्लाट हैं, जिनमें के सब के सब वास्तविक निर्यातकर्त्ता हैं। इन में से १३ 'क्लियरिंग तथा फ़ारवर्डिंग' ऐजेन्ट' बताये जाते हैं।

पटल पर रखे गये विवरण में नाम आदि भी दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३२]**

राजस्थान में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन

९१६. **श्री भीखाभाई: खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान को 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के सिलसिले में फ़रवरी १९५३ तक, वर्ष वार, कितना रुपया दिया गया; तथा

(ख) कितना रुपया ऋण के रूप में और कितना सहायता के रूप में दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि उप मंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में राजस्थान को १९५२-५३ तक मंजूर किये गये अनुदानों और कृषकों को दिया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३३]**

रेलों का पुनः वर्गीकरण

९१७. **श्री एम० एल० द्विवेदी: रेल** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे प्रणालियों को खंड प्रणाली में बदलने से अब तक कितना रुपया खर्चा हुआ है;

(ख) रेलों के पुनःवर्गीकरण से कितने रेलवे कर्मचारियों की (१) छंटनी की गई है, (२) बदली की गई है या (३) अन्य किसी प्रकार नौकरी से अलग किया गया है;

(ग) क्या किसी वर्ग में या सारे वर्गों में फिर कोई परिवर्तन किये जा रहे हैं या विचाराधीन हैं ; तथा

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग ८८ लाख रुपये।

(ख) (१) कोई नहीं,

(२) ३१५१,

(३) कोई नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पकालीन ऋण

९१८. **श्री बी० के० दास : खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को वर्ष १९५२ में काश्तकारों को अल्पकालीन ऋण देने के लिये कितना धन स्वीकृत किया गया

(ख) इन ऋणों की शर्तें क्या हैं ; तथा

(ग) चालू वर्ष में इन ऋणों के बारे में क्या कार्यक्रम है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) वर्ष १९५२-५३ में विभिन्न राज्यों को अल्पकालीन ऋण के रूप में निम्नलिखित राशियां दी गई थीं :—

	रुपये (लाख में)
मध्य प्रदेश	६६.८१
मद्रास	१००.००
उड़ीसा	०.६३
अजमेर	१३.७३
बिलासपुर	०.०७
दिल्ली	२.७३
हिमाचल प्रदेश	०.८०
मनीपुर	०.१६

(ख) भाग 'क' राज्यों के बारे में, इन अल्पकालीन ऋणों को इस शर्त्त पर दिया गया है कि उन्हें ३१ मार्च, १९५३ तक ३ प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज सहित वापस कर दिया जायेगा । भाग 'ग' राज्यों को दिया गया ऋण ३१ मार्च १९५३ तक वापस किया जाना है परन्तु उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा क्योंकि संविधान के अन्तर्गत किसी भी भाग 'ग' राज्य को कोई ऋण नहीं दिया जा सकता । इसलिये यह राशियां वसूल किये जाने वाले खर्चे के रूप में दी गई हैं ।

(ग) १९५३-५४ में ८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस राशि के दिये जाने पर अभी विचार किया जा रहा है ।

त्रावनकोर-कोचीन में भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना

९१९. श्री पी० टी० चाको : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२ में 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत त्रावनकोर-कोचीन में कुल कितनी भूमि को कृषि योग्य बना कर उस पर खेती की गई; तथा

(ख) इस योजना के अन्तर्गत १९५२-५३ में भारत सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन को कुल कितनी सहायता दी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) ६,००० एकड़ ।

(ख) १९५२-५३ में कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी गई ।

श्रम विवाद

९२०. डा० राम सुभग सिंह : क्या **श्रम** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२-५३ में भारत के विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों में मज़दूरों और मालिकों में हुए विवादों की संख्या;

(ख) इन विवादों से प्रभावित मज़दूरों की संख्या; तथा

(ग) कितने जन-दिवसों की हानि हुई ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) सूचना केवल पत्री वर्ष १९५२ के बारे में उपलब्ध है और उस के आंकड़े अस्थायी हैं । १९५२ में हड़तालों और तालाबन्दी की संख्या ९५५ थी ।

(ख) ८०७, ६२३

(ग) ३,३३०,६८४

रेलवे निरीक्षणालय

९२१. { सरदार हुक्म सिंह :
श्री बहादुर सिंह :

(क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे निरीक्षणालय ने वर्ष १९५२ में रेलों पर हुई किसी दुर्घटना के बारे में जांच की है ?

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों की जांच की गई ?

(ग) वर्ष १९५२-५३ में निरीक्षणालय की कुल लागत कितनी थी और रेलवे बोर्ड ने इस खर्चे में कितना अंशदान दिया ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) १३ ।

(ग) मार्च १९५३ के खर्चे के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष १९५२-५३ के ११ महीनों में यानी १-४-५२ से २८-२-५३ तक निरीक्षणालय पर, विभागीय पुस्तकों में दर्ज आंकड़ों के अनुसार, २,९५,८१३ रुपये खर्च हुए थे। रेलवे बोर्ड का रेलवे निरीक्षणालय के लागत में वार्षिक अंशदान २,८५,००० रुपये था।

बढ़िया किस्मों के बीज

९२२. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बाहदुर सिंह :

खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कुल क्षेत्र के, जहां खेती होती है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में १९५०, १९५१ व १९५२ में बढ़िया क़िस्मों के बीज बोये गये; तथा

(ख) क्या गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में बढ़िया क़िस्मों के बीज के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के कोई क़दम उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम०वी० कृष्णप्पा) : (क) इस समय राज्यों में कृषि सम्बन्धी आंकड़ों को इकट्ठा करने वाली प्रारम्भिक एजेन्सियां इस बारे में आंकड़े नहीं देतीं कि कितने क्षेत्र में बढ़िया बीज बोये जाते हैं; अतः इस के बारे में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। १९५२ में इस बारे में एक पड़ताल की गई थी और उस में जो सूचना इकट्ठी की गई थी वह सदन पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३४**]

हां, कई के बारे में सूचना उपलब्ध है। वर्ष १९५०, १९५१ तथा १९५२ में वह क्षेत्र जहां बढ़िया बीज बोये गये थे कुल क्षेत्र के क्रमशः ४९, ५० तथा ५४ प्रतिशत थे।

(ख) 'अधिक अन्न उपजाओ' के अन्तर्गत, राज्यों को बढ़िया क़िस्मों के बीजों को बांटने तथा उन की मात्रा बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है। इन के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने की ज़िम्मेदारी राज्यों की ही है। १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने क्रमशः ९ लाख, १३३ लाख तथा ६१ लाख रुपये मंजूर किये थे। इस के अलावा, भारती कृषि अनुसंधान परिषद् ने बाजरे और मक्का के बीजों को पैदा करने की योजनाओं को अर्थ-सहायता दी है। इन के बारे में विशेष समस्यायें हैं।

विजयानगरम् रायपुर रेलवे लाइन पर बिना टिकट सफर

९२३. **श्री संगण्णा** : (क) **रेल मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में से प्रत्येक में विजियानगरम्-रायपुर रेलवे लाइन (पूर्वी रेलवे खंड) पर कितनी आय तथा खर्च (चार्जेज) हुआ ?

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस रेलवे लाइन पर लोग बराबर बिना टिकट सफर करते हैं ?

(ग) यदि हां, तो इस के रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलों की आय सेक्शन-वार नहीं रखी जाती ; अतः यह बतलाना सम्भव नहीं है कि गत पांच वर्षों में विजियानगरम-रायपुर सेक्शन की आय क्या थी। यह स्पष्ट नहीं कि माननीय सदस्य का 'चाजज' से क्या अभिप्राय है। यदि उनका अभिप्राय इस सेक्शन के चलाने के खर्चे से है तो उत्तर यह है कि रेलों के चलाने का खर्चा सेक्शन-वार नहीं रखा जाता।

(ख) सरकार को पता है कि इस सेक्शन में लोग बिना टिकट सफर करते हैं।

(ग) विजियानगरम्-रायपुर सेक्शन पर बिना टिकट के सफ़र को रोकने के लिये टिकट एक्ज़ामिनरों द्वारा सामान्य चेकिंग के अलावा, बड़े बड़े स्टेशनों पर एक साथ चेकिंग और हेडक्वार्टर के टिकट एक्जामिनरों द्वारा अचानक चेकिंग की व्यवस्था की गई है।

रेल के डिब्बे

९२४. **श्री बी० एन० राय : रेल** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५३ में पूर्वोत्तर रेलवे पर तीसरे दर्जे के बिना पंखे वाले डिब्बों के मुक़ाबले में ऐसे डिब्बे कितने थे जिनमें पंखे लगे हुए थे ; तथा

(ख) वर्ष १९५३-५४ में उन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५२-५३ में २८ प्रतिशत डिब्बों में पंखे थे।

(ख) १९५३-५४ में ६ प्रतिशत वृद्धि करने का इरादा है।

दावों का गोरखपुर से कलकत्ता स्थानान्तरण

९२५. **श्री एच० एस० प्रसाद : रेल** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के पश्चात् गोरखपुर से कलकत्ता स्थानान्तरित किये गये दावों की कुल संख्या ; तथा

(ख) अब तक निपटाये गये मामलों की कुल संख्या ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पुनर्वर्गीकरण के पश्चात् गोरखपुर से कलकत्ता कोई दावे स्थानान्तरित नहीं किये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब से निर्यात किये गये खाद्यान्न

९२६. **प्रो० डी० सी० शर्मा : खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१ तथा १९५२ में पंजाब से कमी वाले राज्यों को चावल, गेहूं, चने और जौ की कितनी कितनी मात्रायें भेजी गईं ; तथा

(ख) उक्त काल में राज्यों को सहायता प्राप्त खाद्यान्नों के लिये कितनी सहायता दी गई ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) १९५१ व १९५२ में पंजाब से चावल, गेहूं और जौ निम्नलिखित मात्रा में भेजा गया :—

(हज़ार टनों में)

	१९५१	१९५२
चावल	४६	४३
गेहूं	—	—
जौ	—	४
कुल	४६	४७

चूंकि चने पर से १७ अगस्त, १९५० से नियंत्रण उठा लिया गया था, इस लिये उसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) केन्द्रीय सरकार देशीय खाद्यान्नों के लिये कोई सहायता नहीं देती। हां, १९५१ तथा १९५२ में राज्यों को विदेशों से आयात किये गये जो खाद्यान्न दिये गये थे उनको सस्ते दामों पर बेचने के लिये सहायता दी गई थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५१-५२ में ४६.०९ करोड़ रुपये की और १९५२-

५३ (दिसम्बर १९५२ तक) में २४.४३ करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। यह राशियां उस अर्थ सहायता की हैं जो वर्ष के दौरान में राज्यों को वास्तव में दी गई मात्राओं के सिलसिले में उत्पन्न हुई थी। वित्तीय वर्ष से, जब कि हिसाब की व्यवस्था की गई थी, इनका कोई सम्बन्ध नहीं।

राज्य फ़ार्मेसी परिषद्

९२७. **श्री बर्मन** : **स्वास्थ्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन राज्यों के नाम जहां फ़ार्मेसी अधिनियम १९४८, के अन्तर्गत 'राज्य फ़ार्मेसी परिषद्' स्थापित की गई है ;

(ख) उन राज्य परिषदों की संख्या जिन्हें केन्द्रीय फ़ार्मेसी परिषद् की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि जलपाइगुडी (पश्चिमी बंगाल) का 'फार्मेसी प्रशिक्षण केन्द्र' ५ सितम्बर, १९४९ को खोला गया था परन्तु केन्द्रीय परिषद् ने उसे अभी तक स्वीकृति नहीं दी है ; तथा

(घ) यदि ऐसा है तो वहां १९४९ से दाखिल किये गये विद्यार्थियों की स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल एक राज्य सरकार यानी पंजाब सरकार ने ही राज्य फ़ार्मेसी परिषद् स्थापित की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्यों कि फ़ार्मेसी अधिनियम, १९४८ में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अनुसार राज्य फ़ार्मेसी परिषदों की स्थापना के लिये केन्द्रीय फ़ार्मेसी परिषद् की स्वीकृति आवश्यक हो।

(ग) तथा (घ) पश्चिमी बंगाल की सरकार से प्रशिक्षण केन्द्र के खोले जाने की तारीख के बारे में पूछताछ की गई है। सूचना प्राप्त होने पर, सदन पटल पर रख दी जायेगी। प्रशिक्षण केन्द्र ने केन्द्रीय फ़ार्मेसी परिषद् को अपने पाठय-क्रम तथा परीक्षा की स्वीकृति के लिये अब तक नहीं लिखा है। राज्य फ़ार्मेसी परिषद् के बनने के बाद और पश्चिमी बंगाल में शिक्षा सम्बन्धी विनियमों के लागू होने से पहले, वे लोग जो उस संस्था से फ़ार्मेसी में 'डिप्लोमा आफ़ लाइसेन्शियेट' प्राप्त करते हैं, अपने आप को पंजीबद्ध कराने के लिये राज्य परिषद् के पास प्रार्थना-पत्र भेज सकते हैं। शिक्षा सम्बन्धी विनियमों के लागू हो जाने के बाद ऐसे लोगों का पंजीयन उस समय तक सम्भव नहीं होगा जब तक संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा भारत की फ़ार्मेसी परिषद् द्वारा स्वीकृत नहीं होती।

गन्ने का विकास

९२८. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में गन्ने के विकास के लिये राज्यों को कितना रुपया दिये जाने का विचार है ?

(ख) क्या कुछ राज्य इस कार्य के लिये कोई उपकर वसूल करते हैं ?

(ग) यदि हां, तो १९५२-५३ में प्रत्येक राज्य ने कितना रुपया वसूल किय और कितना खर्च किया ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) चूंकि सारे राज्यों से अभी योजनायें प्राप्त नहीं हुई हैं, इसलिये विभिन्न राज्यों को दिया जाने वाला रुपय अभी निश्चित नहीं किया गया है। परन्तु इसके लिये १८ लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिये १५ लाख रुपये के ऋण दिये जान की भी व्यवस्था की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता ह ।

विवरण

विभिन्न राज्यों द्वारा १९५२-५३ में गन्ने पर वसूल किता गया उपकर तथा उस वर्ष उपकर से प्राप्त राशि में से गन्ने के विकास पर किय. गया खर्च़

	आयव्ययक अनुमान के अनुसार आय	व्यय (अनुमान)
	(लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में)
यूपी०	४०५.३३	४४.१४
बिहार	१४०.००	९०.००
बम्बई	५०.५०	५३.३८
मद्रास	११.११	कुछ नहीं
मैसूर	१३.७०	१०.५०
	(अगस्त '५२ से जनवरी '५३ तक)	

जापानी तरीक़े से चावल उगाने का हैदराबाद में प्रशिक्षण केन्द्र

९२९. **श्री एच० जी० वैष्णव :**
श्री तेलकीकर :

खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद राज्य में चावल उगाने वालों को जापानी तरीक़े से चावल उगाने के बारे में प्रशिक्षण देने के लिये कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये केन्द्र खोले गये हैं और काश्तकारों को इस संबंध में क्या सुविधायें दी गई हैं ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां।

(ख) कांग्रेस अधिवेशन के समय नानल नगर में एक प्रदर्शन केन्द्र खोला गया था । इसी तरह का एक केन्द्र हिमायत सागर में स्थापित किया गया है । आने वाले खरीफ़ के मौसम में राज्य के धान उगाने वाले सारे आठ ज़िलों में ज़िला और तालुका स्तरों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायंगे । काश्तकारों को इस तरीक़े के बारे में प्रशिक्षण की सुविधायें दी जायेंगी ।

कलकत्ता टेलीफ़ोन एक्सचेंज

९३०. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर:** **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ते में टेलीफोन प्रणाली को स्वयंचलित बनाने की योजना पर खर्च का अन्तिम अनुमान कितना है ;

(ख) ३१ मार्च, १९५३ तक खर्चे की गई राशि ;

(ग) इस विभाग में सेवायुक्त गज़टेड तथा नान-गज़टेड अधिकारियों की संख्या ?

संचरण उप मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) लगभग १४.५ करोड़ रुपये

(ख) लगभग ५३६.५४ लाख रुपये

(ग) गज़ेटड ३३
नॉनगज़ेटेड ५५३

डाक व तार विभाग के लिये प्रेस

९३१. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** (क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने डाक व तार विभाग के लिये एक अलग प्रेस खोलने का फ़ैसला किया है ?

(ख) डाक व तार विभाग में एक वर्ष में छपाई का कितना काम होता है और उसका खर्चा कितना आता है ?

संचरण उप मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) विभाग द्वारा वार्षिक लगभग ५५०० टन कागज़ काम में लाया जाता है ;

छपाई की लागत (कागज़ सहित) लगभग ९४ लाख रुपये है।

विद्युत केन्द्र

९३२. **श्री एन० प्रभाकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे कि भारतीय रेलवेज़ के स्वामित्व में कितने विद्युत केन्द्र हैं और उनके द्वारा कितनी विद्युत का उत्पादन होता है।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : भारतीय रेलवेज़ के पास कुल मिलाकर १३३ विद्युत केन्द्र हैं जो लगभग ३५४.४० लाख यूनिट वार्षिक विद्युत पैदा करते हैं।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ

९३३. **श्री भीखाभाई : यातायात** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में पंचवर्षीय योजना के अन्त में राष्ट्रीय रजपथों के अन्तर्गत कितने मील सड़कें आयेंगी ; तथा

(ख) १९५३ के अन्त तक कितने मील सड़कें पूरी की जानी हैं और १९५४ में कितनी बनायी जानी हैं।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) राष्ट्रीय राजपथों में शामिल की गई राजस्थान की सड़कों की लम्बाई ३९० मील है जिसमें से अभी २५ मील नहीं बनी है। पंचवर्षीय योजना के अन्त में कुल लम्बाई में अन्तर न रहेगा।

(ख) संभवत : माननीय सदस्य वो बड़ी सड़कों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण को निर्दिष्ट कर रहे हैं, नये सिरे से बनाई जाने वाली सड़कों को नहीं। १९५३-५४ के अन्त तक लगभग ३ मील सड़क बन जाने की आशा है और १९५४-५५ में ८ मील और बन जाने की आशा है।

वस्तु विनिमय समझौते

९३४. **श्री अमजद अली : खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने खाद्यान्न-संबंधी अपनी ज़रुरतों के सिलसिले में पिछले दो वर्षों में कितने वस्तु विनिमय समझौते किये ; तथा

(ख) किन किन देशों से यह समझौते हुए और किन किन वस्तुओं के बदले में खाद्यान्न प्राप्त किये गये ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) पांच।

(ख) बरमा, चीन, रूस, पाकिस्तान और अर्जेन्टाइना से पटसन की वस्तुओं, कच्चा पटसन, चपड़ा, तम्बाकू, चाय और अमरीकी गेहूं के बदले में खाद्यान्न लेने के लिये समझौते किये गये।

भाटापाड़ा के लिये टेलीफ़ोन कनेक्शन

९३५. **श्री बी० एन० मिश्र :** (क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के रायपुर ज़िला स्थित भाटापाड़ा डाकघर में पब्लिक टेलीफोन कॉल आफ़िस कब से खोला गया है और १९५२-५३ में उससे कुल कितनी आय हुई ?

(ख) क्या भाटापाड़ा के लोगों न अपन घरों में या दुकानों आदि में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन किया है ?

(ग) यदि हां तो कितने आवेदन-पत्र आये हैं और कब से ?

(घ) क्या उन के घरों पर टेलीफोन कनेक्शन दे दिये गये हैं ?

(ङ) यदि नहीं तो क्यों ?

(च) क्या सरकार आवेदन करने वाले लोगों के घरों और दुकानों पर टेलीफोन कनेक्शन देना सोच रही है ?

(छ) यदि हां, तो उन्हें कनेक्शने कब तक दे दिये जायेंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भाटापाड़ा में पब्लिक कॉल आफिस २०-५-१९४८ को खोला गया था । अप्रैल १९५२ से फरवरी १९५३ के ११ महीनों में १०,२५४ रु० ११ आ० की आय हुई ।

(ख) जी हां ।

(ग) गत वर्ष से लगभग ३० आवेदन-पत्र आये हैं ।

(घ) अब तक ७ कनेक्शन दिये गये हैं ।

(ङ) तथा (छ). एक बड़ा स्विच-बोर्ड लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । चालू वर्ष में और अधिक कनेक्शन दिये जाने की आशा है ।

(च) जी हां ।

बालोदा बाज़ार के लिये पब्लिक काल आफ़िस

९३६. **श्री बी० एन० मिश्र : संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मध्य प्रदेश के रायपुर ज़िला स्थित बालोदा बाज़ार में एक पब्लिक कॉल आफिस खोलना सोच रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जी हां ।

रायपुर एक्सचेंज आफिस

९३७. **श्री बी० एन० मिश्र :** (क) **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के रायपुर एक्सचेंज आफिस में चालू टेलीफोन कनक्शनों की संख्या कितनी है और इस समय नये कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ?

(ख) उन्हें कब तक निबटा दिया जायगा ।

(ग) वहां के बोर्ड पर इस समय कितने टेलीफोन कनेक्शनों का काम हो सकता है ?

(घ) टेलीफोन रखने वाले को अपने टेलीफोन के साथ 'सीलिंग रोज़' से 'रोज़ट' तक के लिये कुल कितनी डोरी मिल सकती है ?

(ङ) क्या टेलीफोन रखने वाला उस की लम्बाई को अतिरिक्त डोरी के दान दे कर बढ़ा सकता है ?

(च) क्या डोरी की अधिकतम लम्बाई निश्चित है ?

(छ) यदि हाँ तो वह कितनी है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क)	सीधे कनेक्शन	२६६
	बढ़े हुए कनेक्शन (एक्सटेंशन)	४३
	विचाराधीन आवेदन पत्र	४२

(ख) मार्च १९५४ तक ।

(ग) २८५ ।

(घ) डोरी की लम्बाई निर्धारित नहीं है। टेलीफोन मांगने वाला जिस जगह टलीफोन लगवाना चाहता है उस के लिये जितनी डोरी की जरुरत होती है, उतनी दी जाती है ।

(ङ) जी हां, विशेष मामलों में; निर्धारित किराया देकर ।

(च) तथा (छ). कोई अधिकतम सीमा नहीं है परन्तु विभाग १० गज से अधिक डोरी देना पसन्द नहीं करता क्योंकि इस से लम्बी डोरियों में गड़बड़ हो जाने की संभावना अधिक हो जाती है ।

नीलोर में अभ्रक की खानें (सुविधायें)

९३८. **श्री नानादास :** (क) **श्रम** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नीलोर ज़िले की कौन कौन सी अभ्रक खानों में खानों के अन्दर बिजली, हवा निकालने के पंखे और 'लिफ्ट' का प्रबन्ध है ?

(ख) अन्य खानों में भी बिजली, पंखे और 'लिफ्ट' का प्रबन्ध किये जाने के लिये सरकार ने क्या क़दम उठाये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

अभ्रक उद्योग में मज़दूरों की मजूरी

९३९. **श्री नानादास**: (क) **श्रम** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य के अभ्रक उद्योग में लगे मज़दूरों को दी जाने वाली मजूरी की न्यूनतम व अधिकतम दरें क्या हैं ?

(ख) क्या यह दरें नीलोर ज़िले में लागू हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

नीलोर में अभ्रक की खानों के लिये क्वार्टर

९४०. **श्री नानादास**: (क) **श्रम** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नीलोर ज़िले में अभ्रक की खानों में कितने मज़दूरों को क्वार्टर दिये गये हैं ?

(ख) प्रत्येक प्रकार का क्वार्टर कितने क्षेत्र पर बना है और उस की रचना किस प्रकार की है ?

(ग) नीलोर ज़िले में अभ्रक की खानों में काम करने वाले मज़दूरों को क्वार्टर देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और उस के क्या परिणाम निकले ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जाती है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) एक सहायताप्राप्त गृहव्यवस्था योजना को लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

खली तथा कृषिहार

९४१. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत दो वर्षों में भारत में खली और कृषिसार की खपत में अनुमानित वृद्धि;

(ख) इन वस्तुओं की जितनी आवश्यकता होती है उस का कितना प्रतिशत भाग भारत में उत्पादित होता है और उक्त काल में बाहर से कितनी मात्रा मंगाई गई; तथा

(ग) भारत इन वस्तुओं के मामले में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख). गत दो वर्षों में देश में खली का उत्पादन लगभग बीस लाख टन प्रति वर्ष रहा है। इस में से कुछ मात्रा जानवरों के खाने के लिये और कुछ खाद के लिये काम में लाई जाती है। इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं कि खाद के लिये कितनी मात्रा काम में लाई जाती है। कोई खास मात्रा का आयात व निर्यात नहीं हुआ। देश में खली की जरूरतों का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि यह खली और पशु-उत्पादों के दामों पर निर्भर होती है। इसमें सन्देह नहीं कि पोषक तत्वों की दृष्टि से जानवरों को खिलाने के लिये हमें खली की वर्तमान उपलब्ध मात्रा से अधिक की आवश्यकता है। जहां तक कृषिसारों का प्रश्न है, इस समय जो मुख्य कृषिसार काम में लाये जा रहे हैं वे सल्फेट ऑफ़ अमोनिया और सुपर फ़ास्फेट हैं। १९५१ में सल्फ़ेट ऑफ़ अमोनिया की खपत ३ लाख टन तक पहुंच गई थी लेकिन १९५२ में ऊंचे दामों तथा कृषिसार का प्रयोग करने वाले कुछ बड़े बड़े क्षेत्रों में मौसम की हालत के कारण मांग गिर गई। देश में सल्फ़ेट आफ़ अमोनिया लगभग ३,६०,००० टन उत्पादित होता है। यह उत्पादन १९५१ में ५२,७०० टन था

और १९५२ में २,२०,३०० टन। १९५१ में एक लाख टन का आयात हुआ था और १९५२ में २,३२,६०० टन का। इस मामले में भी, मांग अधिकतर दामों पर निर्भर होती है, हालां कि प्रदर्शन और प्रचार से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आशा है कि १९५३ में खपत लगभग ५ लाख टन हो जायेगी। सुपर फ़ास्फ़ेट का जहां तक सम्बन्ध है वर्तमान यूनिटों की क्षमता लगभग २ लाख टन प्रति वर्ष की है परन्तु १९५१ और १९५२ में केवल ६०,००० टन वार्षिक का ही उत्पादन हुआ। इन वर्षों में खपत भी लगभग इतनी हुई थी। १९५१ तथा १९५२ में ३,००० टन का आयात किया गया। ज़रूरत का जहां तक सवाल है, इस में सन्देह नहीं कि इस से कहीं अधिक मात्रा की खपत हो सकती है परन्तु हमें इस के लिये प्रदर्शन और प्रचार द्वारा मांग बढ़ानी होगी और इस का मूल्य ऐसे स्तर पर निश्चित करना होगा जिस से कि काश्तकार इसे ख़रीदने आयें।

(ग) वर्तमान मांग के आधार पर, देश खली और कृषिसारों में आत्मनिर्भर है परन्तु यहां इस आत्मनिर्भरता का कोई विशष महत्व नहीं क्योंकि उत्पादन में वृद्धि करने तथा जानवरों को अच्छा खिलाने की दृष्टि से हमें मांग बढ़ानी होगी। ज्यों ज्यों मांग बढ़ेगी, देश में कृषिसार के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क़दम उठाये जायेंगे।

मोकामा स्टेशन पर चोरियां

९४२. **श्री झूलन सिन्हा:** रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ तथा १९५२ में मोकामा जंकशन पर गोदामों में से माल चोरी करने के कितने मामले हुए;

(ख) मोकामा में माल की चोरी के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के कितने दावे किये गये और अब तक कितना भुगतान किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि मोकामा पुल के लिये वहां इकट्ठा किये गये सामान की चोरी करने और उसे नुक़सान पहुंचाने के कारण रेलवे सम्पत्ति की हानि हुई है ; तथा

(घ) यदि ऐसा है तो कितनी हानि हुई है और इस सम्बन्ध में यदि कोई क़दम उठाये गये हैं या उठाये जाने वाले हैं तो वे क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दी जायगी।

कलकत्ता से इम्फाल माल भेजना

९४३. **श्री एल० जे० सिंह:** (क) रेल मंत्री कलकत्ता से इम्फाल के निकटतम स्टेशन तक माल भेजने में आम तौर पर लगने वाले समय के बारे में ४ मार्च १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९१ के सम्बन्ध में उठाये गये अनुपूरकों को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि कलकत्ते से इम्फाल के निकटतम स्टेशन तक माल भेजने में आम तौर पर कितना समय लग जाता है ?

(ख) मनीपुर रोड स्टेशन से इम्फाल माल पहुंचने में आम तौर पर कितना समय लगता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) कलकत्ते से इम्फाल (मनीपुर रोड) के निकटतम स्टशन तक माल भेजने में औसतन जो समय लगता है वह इस प्रकार है :—

पूरे वैगन का भार	११.५ दिन
छोटे छोटे भार जो पूरे वैगनों में नहीं जाते	३३ दिन

इन छोटे भारों को गाड़ियों में ले जाया जाता है और रास्ते के कई स्टेशनों पर उतारा-चढ़ाया जाता है ।

(ख) मनीपुर रोड स्टेशन से (सड़क पर चलने वाले वाहनों द्वारा इम्फाल पहुंचने में औसतन २ दिन लगते हैं ।

मुगलसराय रेलवे यार्ड में चोरियां

९४४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५१–५२ तथा १९५२-५३ में मुगलसराय रेलवे यार्ड में कितनी चोरियां हुईं;

(ख) कितने मामलों को पकड़ा गया; और

(ग) कितने मामलों में अभियुक्तों को छोड़ दिया गया और कितने मामलों में सजा हुई ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सूचना इकट्ठी की जा रही और मिलते ही सदन पटल पर रख दी जायगी ।

गेहूं का आयात

९४५. **श्री अमजद अली : खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०–५१ तथा १९५१–५२ में (१) अमेरिका, (२) कनाडा, (३) आस्ट्रेलिया, (४) अर्जेन्टाइना तथा (५) रूस से गेहूं कितनी मात्रा में आयात किया गया था ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम०वी० कृष्णप्पा) : जिन देशों के बारे में पूछा गया है उन से निम्नलिखित मात्रा में गेहूं आयात किया गया था :

(मात्रा '००० टनों में)

देश	१९५०–५१	१९५१–५२
अमेरिका	१५२.२	२७०२.८
कनाडा	१७५.५	२३८.५
आस्ट्रेलिया	६४९.६	१५३.५
अर्जेन्टाइना	६०६.८	३७०.५
रूस	——	९९.०
कुल योग	१५८४.१	३५६४.३

केन्द्रीय पटसन समिति

९४६. **श्री अमजद अली :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २६ मार्च, १९५३ को केन्द्रीय पटसन समिति के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित **प्रश्न संख्या** १०२० का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमों के अन्तर्गत एक केन्द्रीय पटसन समिति कितनी अवधि तक काम करती है;

(ख) अगली समिति कब बनाई जायगी; तथा

(ग) क्या आसाम के केन्द्रीय पटसन समिति के वर्तमान सदस्यों की आसाम राज्य ने सिफारिश की थी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) उस संकल्प के, जिसके अन्तर्गत यह समिति बनाई गई थी, किसी उपबन्ध द्वारा भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति की कालावधि किसी अवधि तक सीमित नहीं है । यह एक रजिस्टर्ड समिति है और यह अनिश्चित अवधि तक रह सकती है । इस के सदस्यों की कालावधि तीन वर्ष होती है जो कि उस तारीख से मानी जाती है जब कि वे इस समिति के लिये नाम निर्देशित किये जाते हैं । यह पाबन्दी उन सदस्यों पर लागू नहीं होती जो कि अपने पदों के कारण इस के सदस्य होते हैं और जो तब तक इस के सदस्य होते हैं जब तक कि वे अपने उन पदों पर नियुक्त रहते हैं ।

(ख) चूंकि रिक्त स्थान जब खाली होते हैं उसी समय भर दिये जाते हैं अतः इस में नई समिति बनाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ।

(ग) जी हां ।

खाद्यान्न वाहक

९४८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा स्वामित्व-प्राप्त खाद्यान्न वाहकों की संख्या;

(ख) भारत को कितनों की आवश्यकता है; और

(ग) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने निर्मित करने का आयोजन है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अल्लगेशन) : (क) सभी माल ढोने वाले भारतीय जहाजों में (जो कि इस समय कुल ८९ हैं) कुछ ऐसे उपयुक्त परिवर्तन कर के, जिस से कि खाद्यान्न इधर उधर न गिर सके, उन से खाद्यान्न वाहकों का काम लिया जा सकता है। किन्तु उन में से अधिकतर तटीय तथा अन्य व्यापार में लगे रहते हैं, अतः उन में से किसी से भी विशेष रूप से या लगातार खाद्यान्न वाहकों के रूप में काम नहीं लिया जाता है। उन से खाद्यान्न ढोने का काम तब लिया जाता है जब कि वे इस के लिये मिल सकते हों और जब इस काम की आवश्यकता हो।

(ख) १९५३ में २.१० लाख टन खाद्यान्न आयात करने का विचार है जिस के लादने के लिये ३६० जहाज लगाने पड़ेंगे।

(ग) पंच वर्षीय योजना में खाद्यान्न वाहकों के बनाने का कोई विशेष उपबन्ध नहीं है। योजना के अन्तर्गत भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों की संख्या में २ लाख ग्रौस टन से अधिक के ३७ जहाज बढ़ाने का विचार है। ये सब जहाज तटीय, पार्श्ववर्ती अथवा विदेशों के साथ किये जाने वाले व्यापार में खाद्यान्न वाहकों के रूप में काम में लाये जा सकेंगे, किन्तु इन का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि जहाजों से होने वाले व्यापार में भारतीय कम्पनियां और अधिक भाग ले सकें।

अंक ३ मंगलवार

संख्या ७ ७ अप्रैल १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सूची

वित्त विधेयक—याचिका समिति के प्रतिवेदन का पुरःस्थापन [पृष्ठ भाग २९४८]

अनुदानों की मांगें [पृष्ठ भाग २९४८—३०२४]

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय [पृष्ठ भाग २९४८—३०२१]

,, ,, २७—सीमा शुल्क [पृष्ठ भाग २९४८—३०२१]

,, ,, २८—संघीय उत्पादन शुल्कें [पृष्ठ भाग २९४८—३०२१]

,, ,, २९—निगम कर समेत आयों पर कर [पृष्ठ भाग २९४८—३०२१]

,, ,, ३०—अफीम [पृष्ठ भाग २९४८—३०२१]

,, ,, ३१—स्टाम्प [पृष्ठ भाग २९४८—३०२१]

,, ,, ३२—शाखा विषयों के प्रशासन और कोषागारों के प्रबन्ध के लिए अन्य सरकारों विभागों आदि को किया गया भुगतान [पृष्ठ भाग २९४८—३०२१]

,, ,, ३३—लेखा परीक्षा [पृष्ठ भाग २९४८—३०२१]

,, ,, ३४—मुद्रा [पृष्ठ भाग २९४८—३०२१]

कृपया पन्ना पलटिये

(मूल्य ६ आने)

मांग संख्या	३५--टकसाल	[पृष्ठ भाग २९४८—३०२१]
,, ,,	३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें	[पृष्ठ भाग २९४८--३०२२]
,, ,,	३७—वार्धक्य वृत्तियां तथा निवृत्ति वेतन	[पृष्ठ भाग २९४८--३०२२]
,, ,,	३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	[पृष्ठ भाग २९४८—३०२२]
,, ,,	३९--राज्यों को सहायक अनुदान	[पृष्ठ भाग २९४८--३०२२]
,, ,,	४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समन्वय	[पृष्ठ भाग २९४८—३०२२]
,, ,,	४१—असाधारण भुगतान	[पृष्ठ भाग २९४८--३०२२]
,, ,,	४२—विभाजन पूर्व के भुगतान	[पृष्ठ भाग २९४८—३०२२]
,, ,,	११६—भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	[पृष्ठ भाग २९४८--३०२२]
,, ,,	११७—मुद्रा पर पूंजी व्यय	[पृष्ठ भाग २९४८--३०२२]
,, ,,	११८—निवृत्ति वेंतनों का निष्क्रमण मूल्य	[पृष्ठ भाग २९४८—३०२२]
,, ,,	१२०—छंटनी किए गए व्यक्तियों को भुगतान	[पृष्ठ भाग २९४८--३०२२]
,, ,,	१२१--वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	[पृष्ठ भाग २९४८--३०२२]
,, ,,	१२२--केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम धन	[पृष्ठ भाग २९४८--३०२२]
,, ,,	४८--स्वास्थ्य मंत्रालय	[पृष्ठ भाग ३०२१--३०२२]
,, ,,	४९—चिकित्सा सेवाएं	[पृष्ठ भाग ३०२१—३०२२]
,, ,,	५०--लोक स्वास्थ्य	[पृष्ठ भाग ३०२१--३०२२]
,, ,,	५१--स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	[पृष्ठ भाग ३०२१--३०२२]
,, ,,	५९—सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	[पृष्ठ भाग ३०२१--३०२२]
,, ,,	६०—प्रसारण	[पृष्ठ भाग ३०२१--३०२२]
,, ,,	७०—विधि मंत्रालय	[पृष्ठ भाग ३०२१—३०२२]
,, ,,	७१—न्याय व्यवस्था	[पृष्ठ भाग ३०२१—३०२२]
,, ,,	७२--प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय	[पृष्ठ भाग ३०२१—३०२२]
,, ,,	७३--भारतीय भू-परिमाप	[[पृष्ठ भाग ३०२१—३०२२]
,, ,,	७४--वानस्पतिक परिमाप	[पृष्ठ भाग ३०२१—३०२२]
,, ,,	७५—प्राणकीय परिमाप	[पृष्ठ भाग ३०२१--३०२२]
,, ,,	७६—भूतत्वीय परिमाप	[पृष्ठ भाग ३०२१--३०२२]
,, ,,	७७—खानें	[पृष्ठ भाग ३०२१--३०२२]
,, ,,	७८--वैज्ञानिक अनुसन्धान	[पृष्ठ भाग ३०२१—३०२२]
,, ,,	७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	[पृष्ठ भाग ३०२१—३०२२]

कृपया बाकी कवर के तीसरे पेज पर देखिये

लोक सभा

मंगलवार, ७ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्षपद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

३.१५ म०प०

वित्त विधेयक

याचिका समिति के प्रतिवेदन का पुरःस्थापन

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं केन्द्रीय सरकार के १९५३–५४ के वित्तीय वर्ष के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के हेतु प्रस्तुत विधेयक पर याचिका समिति का प्रतिवेदन सविनय सदन के सम्मुख रखता हूं ।

अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की अगेतर चर्चा जारी रखेगा ।

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस–मध्य) उपाध्यक्ष जी, जैसा मैं ने कल कहा था कि ईस्टर्न यू० पी० की आबादी करीब दो करोड़ है, अर्थात् जितनी राजस्थान की है उस से ज्यादा, सी० पी० के बराबर और मैसूर के दूने से भी अधिक है । लेकिन आप विचार करें कि इस इतने बड़े भूभाग में केवल एक काटन मिल है और सिर्फ एक जूट मिल है और वहां की आबादी दो करोड़ है । इस के अलावा वहां पर जो भी इंडस्ट्री है वह होम इंडस्ट्री है और वह बनारसी क्लाथ, वूलन कारपैट और ओपियम इन तीन चीजों की इंडस्ट्री है । लेकिन आप देखेंगे कि इस वक्त हम पाकिस्तान को आबाद कर रहे हैं । हमारे ईस्टर्न यू० पी० में करीब तीन लाख मुसलमान वीवर्स हैं । केवल वही नहीं पाकिस्तान जा रहे हैं बल्कि हिन्दू लोग भी हिन्दुस्तान छोड़कर पाकिस्तान को भाग रहे हैं । इस का कारण यह है कि बनारसी इंडस्ट्री का धीरे धीरे खातमा हो रहा है और उस के साथ ही साथ वूलन कारपैट इंडस्ट्री का भी धीरे धीरे खातमा हो रहा है और हिन्दुस्तान के बाहर ईरान में मलाया में, अफ्रीका में, चीन में, अरब में जितने स्थानों पर हमारे बाजार थे उन बाजारों पर धीरे धीरे पाकिस्तान का हाथ फैल रहा है और अगर यही स्थिति रही तो थोड़े दिन में सारा मारकेट पाकिस्तान के हाथ में आ जायगा । अब मैं आप को बताऊंगा कि हमारे हिन्दुस्तान में यह कहा जाता है कि करीब २५, या ३० लाख पाउंड रेशम की हर साल आवश्यकता होती है । इस में से हिन्दुस्तान में कुल १४,१७,७३० पाउंड रेशम पैदा होता है । इस का अर्थ यह है कि ११ लाख से लेकर सोलह लाख पाउंड तक रेशम की हमारे यहां पर कमी है । इस कमी को सन् ४८ से पहले हम जापानी रेशम से, इटालियन रेशम से पूरा करते थे । लेकिन अब जब से यह टैरिफ हमारे यहां शुरू हुई है और ३० पर सेंट ऐड वेलोरम ड्यूटी और

[श्री रघुनाथ सिंह]

तीन रुपये १४ आने प्रति पाउंड के हिसाब से सरचार्ज लगाया जाने लगा है तब से हमारे यहां हिन्दुस्तान में जापानी और इटालियन रेशम १४५ रुपये में पड़ता है जो कि पाकिस्तान में १२८ रुपये में पड़ता है। होता यह है कि सौ रुपये में १७ रुपये का फर्क पड़ता है और यही सब से बड़ा कारण है कि जो व्यापारी हमारे ईस्टर्न यू० पी० के हैं वे अपना माल बाहर नहीं भेज सकते। लिहाज़ा वह पाकिस्तान में जाकर बस गये हैं। यहां मैं आप को यह बताऊंगा कि हिन्दुस्तान में जो १४,१७,७३० पाउंड रेशम होता है उस में से खुद मैसूर में १३,५०,००० पाउंड पैदा होता है और काश्मीर १,२०,७३० पाउंड पैदा करता है, लेकिन मैसूर खुद ९ लाख ५० हजार पाउंड की अपने यहां खपत करता है अर्थात् मैसूर में जितना रेशम पैदा होता है उस का ६० प्रतिशत रेशम मैसूर खुद अपने यहां खपत करता है। काश्मीर १५,४४० पाउंड रेशम अर्थात् जितना पैदा करता है उस का साढ़े तेरह प्रतिशत अपने यहां खपत करता है। इस प्रकार हिन्दुस्तान में जितना रेशम जो लोग उत्पादन करते हैं अर्थात् मैसूर और काश्मीर, वह उस का ५५ प्रतिशत अपने यहां अपनी इंडस्ट्री के लिए प्रयोग में लाते हैं और सिर्फ ४५ प्रतिशत बाकी हिन्दुस्तान के लिए छोड़ दिया जाता है। हमारी गवर्नमेंट की यह नीति बहुत खतरनाक है। अगर हम इस नीति पर चलते रहे तो बनारस की सिल्क इंडस्ट्री का सत्यानाश हो जायगा।

अब मैं आगे चल कर आप को बताऊंगा कि ११ लाख से ले कर १६ लाख पौंड की जो रेशम की कमी है, अगर उस की हम पूर्त्ति नहीं करते तो सब से बड़ा व्यौपार जो हमारे हिन्दुस्तान का रहा है, उस के सब विदेशी मारकेट हम अपने हाथ से खो देंगे। आज होता क्या है कि जापानी रेशम जो बनारस में आता था, उस में बहुत रेशम बनारसी सामान के लिये पाकिस्तान से स्मगल हो कर आता है। फल यह होता है कि चूंकि पाकिस्तान से रेशम स्मगल हो कर आता है अतएव वहां सस्ता पड़ता है, सरकारी प्रश्रय है। बनारस में काम करने वाले तो ज्यादातर मुसलमान हैं, लेकिन पूंजी लगाने वाले हिन्दू हैं। इस वास्ते जो पूंजी लगाने वाले लोग हैं वे धीरे धीरे ईस्टर्न पाकिस्तान की तरफ़ जा रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कराची शहर में एक बनारस मारकेट क़ायम की है। बनारस नाम की कालोनी कायम की है। जहां की वह ऐनकरेज कर रहा है कि आज़मगढ़ के, मऊ के, बनारस के बनारसी कपड़ा बनाने वाले पास्किातान में जा कर आबाद हो जायं। इस का फल यह हो रहा है कि धीरे धीरे बनारस से जो ज्यादा अच्छे कारीगर हैं वे तो पश्चिमी पाकिस्तान जा रहे हैं और जो हिन्दू पूंजी देने वाले हैं वे धीरे धीरे ईस्टर्न पाकिस्तान की ओर नज़र किए हैं। नतीज़ा यह है कि वार टाइम में जो बनारसी कपड़ा ३०० और ६०० रुपये की क़ीमत में बिकता था, आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि आज वह ६० रुपये का है, फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं है। पहले क्या होता था कि हम रेशम इटली से मंगाते थे हम पहले रेशम चीन से मंगाते थे, पहले हम रेशम जापान से लेते थे, लेकिन आज चूंकि हमारे ऊपर ड्यूटी है, ३० पर सेंट आप की इम्पोर्ट ड्यूटी है, और ३ रुपये १४ आने का है आप का सरचार्ज और इस के अलावा सेल्स टैक्स। तो इस तरह भाव में १४५ और २८ रुपये तक का अन्तर हमारे और पाकिस्तान के अन्दर पड़ता है। साथ ही साथ आप इस में और आगे देखें कि पाकिस्तान ने ७५ पर सेंट ड्यूटी बनारसी कपड़े पर लगाई है जिस से कि बनारसी सामान जो ईस्टर्न यू० पी० की खास चीज़ है, वहां न जा सके। सीलोन ने २० पर सेंट ड्यूटी लगाई है, बरमा ने ६० पर सेंट

और ईरान ने, आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि, २५० रियाल टैक्स लगाया है इस तरह कैसे आप इस इंडस्ट्री को पाल सकेंगे ?

लिहाज़ा मेरे दो तीन सजेशन्स हैं अगर इस इंडस्ट्री को आप क़ायम रखना चाहते हैं। आप को मालूम होना चाहिये कि हम काम्पीटीशन से नहीं डरते। बनारसी रेशम की इंडस्ट्री सारी दुनिया में केवल बनारस में है। हम किसी कम्पीटीशन से नहीं डरते। लेकिन जब हमारे पास सामान नहीं रहेगा, तो फिर हम बाहर की मारकेट से काम्पीट नहीं कर सकेंगे। तो हमें सामान दीजिएगा। आप को याद है कि बनारसी कपड़ा रोम तक जाता रहा है, विश्व में जाता रहा है, सारे ईस्टर्न एशिया में और साउथ एशिया में बनारस का माल छाया हुआ था। लेकिन आज चारों तरफ़ से हम भाग रहे हैं और पाकिस्तान धीरे धीरे सब मारकेट पर हमला करता हुआ चला जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो जो बनारसी सामान बाहर जाता रहा है उस का सत्यानाश हो जायगा। मैं कहूंगा कि अगर आप अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी और सरचार्ज को क़ायम रखना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है जो बनारसी सामान जापानी रेशम का बन कर हिन्दुस्तान से बाहर भेजा जाय, उस पर आप जो ड्यूटी लें और सरचार्ज लें, उस को आप वापस कर दें। फल यह होगा कि ४५ रुपये ड्यूटी के रूप में और सरचार्ज के रूप में जो आप चार्ज करते हैं अगर वह ४५ रुपये आप हम को फेर देते हैं तो बाहर पाकिस्तान ही नहीं, कोई भी हमारे कम्पीटीशन में आवे, उस का सामना हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस के लिये भी अनुरोध करूंगा कि यह जो जार्जेट नाम की चीज़ और आर्टीफीशियल सिल्क जो क़रीब ६ करोड़ रुपये की साल में हिन्दुस्तान में आती है, उस को बन्द करना चाहिये। अगर इस को आप बन्द नहीं करते तो याद रखें, चाहे काश्मीर वाले और मैसूर वाले आज हंस लें, लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब कि बनारस वालों की तरह उन को भी रोना पड़ेगा।

दूसरी इंडस्ट्री कारपैट की है। सन् १९५० में हम ने छः करोड़ रुपये का वूलन कारपैट एक्सपोर्ट किया। सन् १९५१ में ४ करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट किया और सन् १९५२ में हम ने दो करोड़ रुपये का कारपैट एक्सपोर्ट किया। छः करोड़ रुपये की कारपैट जो आज से हम दो वर्ष पहले एक्सपोर्ट करते थे आज उस की जगह हम दो करोड़ रुपये की कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं। चीन का आज ब्लाकेड है। चीन की कारपैट हिन्दुस्तानी कारपेट से कम्पीट करती थी। आज ईरान की हालत आप को मालूम है। ईरान की कारपेट भी हिन्दुस्तान की कारपेट से कम्पीट करती थी। तो ईरान की खराब हालत होने से और चीन का ब्लाकेड होने से हम दुनिया की कारपेट मारकेट पर कब्ज़ा कर सकते थे। लेकिन आज अपनी उल्टी नीति के कारण आप कारपेट इंडस्ट्री का नाश कर रहे हैं। कैसे नाश कर रहे हैं, मैं आप को समझाता हूं। आप ने वूल के ऐक्सपोर्ट को खोल दिया। आप ने यह किया कि जो फाइन वूल है वह तो आप इम्पोर्ट करते हैं और जो मोटे क़िस्म का वूल है, उस का आप एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने का फल यह हुआ कि हिन्दुस्तान की ऊन का भाव बढ़ गया। और जब हिन्दुस्तान के वूल का भाव ज्यादा हो गया तो कारपेट का भाव भी आटोमैटिकली ज्यादा हो गया।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

जब हिन्दुस्तान की कारपेट का भाव ज्यादा हो गया तो बाहर कारपेट की ख़रीद कम हो गयी। इस वास्ते मैं तो कहूंगा कि छः करोड़ रुपये सालाना हिन्दुस्तान में डावर के रूप में, विदेशी सिक्के के रूप में हम हिन्दुस्तान में

[श्री रघुनाथ सिंह]

लाते थे, दो वर्ष के अन्दर आप ने उस में से ४ करोड़ रुपये हिन्दुस्तान के खोये हैं। मैं तो आप से कहूंगा कि अगर वूल के एक्सपोर्ट पर आप थोड़ी ड्यूटी लगा देते तो हम बाहर कम्पीट कर सकते थे। हम चीन की मारकेट, ईरान की मारकेट, हम दुनिया की सारी मारकेट को कैप्चर कर के दिखा देते। आप अगर थोड़ी ड्यूटी वूल के एक्सपोर्ट पर लगा दें तो हम दो वर्ष पहले जो छः करोड़ रुपये की कारपेट एक्सपोर्ट करते थे, हम आप को इतमीनान दिलाना चाहते हैं कि हम बनारस से १२ करोड़ रुपये की कारपैट एक्सपोर्ट कर के दिखा देंगे। बाहर से जो वूल इम्पोर्ट करते हैं, तो साल में सिर्फ छः करोड़ रुपये की वूल आप इम्पोर्ट करते हैं और क़रीब इतने की ही आप बाहर भेजते हैं। आप इस छः करोड़ के एक्सपोर्ट के बजाय हम से १२ करोड़ रुपये का कारपैट का एक्सपोर्ट लीजिये। हम १२ करोड़ रुपये बनारस से देने को तैयार हैं और साथ ही साथ दुनिया की मारकेट को कैप्चर करने को भी तैयार हैं। ग्वालियर वग़ैरह में जो कालीन बनते हैं उन की अपेक्षा बनारस में ९० पर सेंट क़ालीन बनते हैं और बाक़ी १० पर सेंट सारे हिन्दुस्तान में बनते हैं। हिन्दुस्तान के बाहर जो क़ालीन जाते हैं वे बनारस के होते हैं। आप अगर हम को वूल देते हैं, रा मैटीरियल देते हैं तो हम १२ करोड़ रुपया सालाना आप को दे सकते हैं।

इस के साथ ही साथ एक और इंडस्ट्री हमारे यहां की है और वह ओपीयम की इंडस्ट्री है। ग़ाज़ीपर में ओपीयम का कारखाना हिन्दुस्तान का ही नहीं, संसार का सब से बड़ा कारखाना है। फायनैंस मिनिस्टर साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्हों ने वेजेस की जो हालत थी, मज़दूरी की जो पहले प्रथा थी, उस को तो कारखाने में तोड़ दिया और अब पेमेंट सिस्टम को रखा है। इस से लेबर क्लास को तो राहत मिली। लेकिन साथ ही साथ आप इस बात को समझिये कि ३० रुपये में तो आप अफ़ीम ऐग्रीकल्चरिस्ट से खरीदते हैं और १२० रुपये और १३० रुपये और १४० रुपये और २०० रुपये सेर तक के दाम में बेचते हैं। २०० परसेंट, ३०० पर सेंट आप उस अफीम पर पैदा करते हैं। आप ने मज़दूरों को तो फ़ायदा पहुंचाया लेकिन जो ग़रीब किसान हैं, जो अफीम का उत्पादन करते हैं, उन को आप ने क्या राहत दी। इस वास्ते मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि जहां तक कि अफीम का सम्बन्ध है, हम अफीम के पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अफीम का उत्पादन बन्द हो जाय तो ठीक है, लेकिन उस कारखाने को आप क़ायम रखते हैं, उस को आप चलाते हैं, तो वहां जो किसान लोग हैं जो अफ़ीम का उत्पादन करते हैं, उन को भी आप कुछ राहत दें।

अन्त में आप से यही प्रार्थना करूंगा कि काशी का वस्त्र बहुत प्रसिद्ध वस्त्र रहा है। काषाय वस्त्र भगवान बुद्ध और भिक्षु लोग पहनते थे। काशी से ही उस का नाम पड़ा है। चीन का नाम आप ने सुना होगा कि चीन का नाम हिन्दुस्तान का दिया हुआ नाम है। चीन का नाम उस का नहीं है। संस्कृत में रेशम को चीनांशुक कहते हैं। वही चीनांशुक से चीन का नाम हिन्दुस्तान ने चीन को दिया था। इस तरह हिन्दुस्तान ने चीन का नाम चीन रखा। यह हमारी सब से प्राचीन इंडस्ट्री है। माता सीता के स्वयम्बर में जब लोग गये तो काशी का वस्त्र पहनने के लिए होड़ थी यज्ञ मंडप अयोध्या में जब कि काशिराज गये तो उन के वस्त्र को देख कर लोग ताज्जुब में हो गये थे। जिस वस्त्र को भगवान बुद्ध ने धारण किया, जिस वस्त्र को भगवान राम ने धारण किया और जिस वस्त्र को माता सीता ने धारण किया, तथा जिस वस्त्र के लिये रोम के लोग लालायित रहते थे, तो अगर इतनी प्राचीन इंडस्ट्री की हम हत्या करें, अपने हाथ से और वह भी आज़ादी मिलने के बाद,

तो इस से ज्यादा अफ़सोस की बात कोई नहीं हो सकती।

मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम आप कोई कमीशन या कमेटी बिठायें जो बनारस और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के इन तीनों व्यापार और उद्योगधन्धों की ओर ध्यान दें और खासकर कारपैट इंडस्ट्री के बारे में तो हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिए, ओपियम की इंडस्ट्री के बारे में मैं ज्यादा ज़ोर नहीं देना चाहता। अकेली कारपैट इंडस्ट्री से बारह करोड़ रुपया हम दे सकते हैं और बनारसी साड़ी और सिल्क की जो इंडस्ट्री है उस के जरिए सात, आठ करोड़ रुपया सालाना हम बाहर से पैदा कर के आप को दे सकते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप इन इंडस्ट्रीज़ के वास्ते एक कमीशन क़ायम कीजिए, भले ही आप फ़िलहाल क़ानून चाहे मत बनाइय, लेकिन इतना कीजिए कि जो जापानी रेशम और इटैलियन रेशम पर ड्यूटी आप हम से लेते हैं सरचार्ज लेते हैं, उसे आप एक्सपोर्ट के समय वापस कीजिय। आप हिन्दुस्तान की इंडस्ट्री मैसूर के रेशम, काश्मीर के रेशम को उन के उत्पादकों को तरक्की दें, लेकिन जो माल तैयार कर के और बना कर हम बाहर भजते हैं, अगर आप ४५ रुपया ड्यूटी के रूप में और सरचार्ज के रूप में जो लेते हैं, उसे लेना छोड़ दें तो मैं आप को विश्वास दिलाता हुं कि हम आप को कल सारी दुनिया का मार्केट फिर कैप्चर कर के दिखा देंग।

श्री रामचन्द्र रेडडी (नल्लोर) : मैं केवल दो विषयों पर बोलना चाहता हूं। तम्बाकू आबकारी आरोपण पद्धति की कई एक त्रुटियों और मिथ्याभ्रान्तियों को दूर किया जाना चाहिय। तम्बाकू का उल्लेख इस प्रकार हुआ है:— "किसी भी रूप में साक अथवा रासाक, तैयार किया हुआ अथवा साबूत—पत्ते, डंठल तथा तने सहित जो पौधे के रूप में नहीं हो, बल्कि ज़मीन से निकाला गया हो, तम्बाकू कहलाता है।"

और विभाग की प्रवत्ति यह है कि साफ़ किय जाने से पहले ही तम्बाकू के पौधों पर कर लगाया जाता है। और सरकार का कहना है कि चूंकि कई एक क्षत्रों में तम्बाकू की काश्त बहुत कम और कहीं-कहीं होती है, और केन्द्रीय आबकारी निरीक्षक उन तम्बाकू उत्पादकों पर कर नहीं लगा सकते, अतः खड़ी फसलों पर ही कर लगाया जाता है। किन्तु यह बात परिभाषा के विरुद्ध है, अतः करारोपण की यह विधि अस्थायी ही नहीं अपितु अवैध है। यदि सरकार ही इस तरह की अवैध बात करे तो उत्पादकों को इस तरह का कोई अवैध कार्य करनेका दोष नहीं दिया जाना चाहिय। फसल काटने के समय के इस प्रकार के प्रयोग सफल भी नहीं होते। प्रायः अनावृष्टि कृमि, भूमि की विविध उर्वरता, खाद-आदि की व्यवस्था में अन्तर आदि के कारण फसल बहुत कम होगी, और फसल काटने के समय सही परिणामों का पता नहीं चलेगा। इस प्रणाली के करारोपण का यह परिणाम है कि बहुत अधिक भ्रष्टाचार होता जाता है, क्योंकि निरीक्षक तथा निम्न कोटि के कर्मचारी वर्ग द्वारा यह काम होता है। प्रायः देखा गया है कि उड़ीसा स्थित बांलनगीर, कालाहांडी तथा सम्बलपुर ज़िलों में तम्बाकू के पौधों की एक कतार पर भी कर लगाया जाता है। इस बात की बहुत शिकायत की जा चकी है, और वास्तिवक उपभोक्ता को बहुत ही कम विमुक्ति, शून्य के समान, दी जाती है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि कानून की कड़ी पैरवी हो, और इस अस्थायी करारोपण की शिकायत का कोई मौका नहीं दिया जाय।

मद्रास राज्य स्थित गुंटूर क्षेत्र में छोटी २ काश्त करने वालों को कुछ विमुक्ति दी जाती

[श्री रामचन्द्र रड्डी]

है, और यह विमुक्ति उन के निज के उपभोग तक ही सीमित है, किन्तु एक ही क्षेत्र के भिन्न २ तालकों को भिन्न २ स्तर की विमुक्तियां दी जाती हैं जिस से उपभोक्ताओं की ओर से शिकायत होती है। अतः इस प्रकार की मिथ्याभ्रांतियों को दूर किया जाना चाहिय ।

हमें यह भी बताया जाता है कि ५५ के स्थान पर ५८ वर्ष की आयु में सरकारी कर्मचारियों को काम से निवृत्त किया जायगा। इस से बढ़ती हुई बेकारी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभी से नौकरी दिलाऊ केन्द्रों पर भीड़ लगा करती है, और जब एसी दशा हो जाय तो बेकारों की संख्या कहां तक बढ़ जायेगी, और नई पीढ़ी पर उस बेकारी से कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः बेकारों का ध्यान रखा जाना चाहिये और उन्हें इस प्रकार की संरक्षा प्रदान की जानी चाहिये। संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी हुई जातियों को नौकरी के बारे में विशेष संरक्षा प्रदान की गई है। इन जातियों में पढ़े-लिखे व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है और यदि निवृत्ति-सीमा ५८ वर्ष पर निश्चित की गई तो इन का और औरों का क्या हाल होगा। और ऐसी हालत में नौकरी की आस लगाये बैठे व्यक्तियों को और भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। संविधान में दी गई संरक्षा भी उन्हें मिलने से रहेगी। और कदाचित् इस से स्वयं नौकरी के लिये आयु की सीमा को ऊंचा करना पड़ेगा। कारीगरों और विशेषज्ञों की सेवा-अवधि को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि देश के विकास के लिये उन का होना आवश्यक है। हां, यदि ऐसे पदाधिकारी हों जिन की सेवायें अनिवार्य हैं और जिन के बिना कौशल से काम नहीं चल सकता, तो उन्हें रखा जाना चाहिये। न्यायाधीशों की तो एक विशेष बात है। वे जितने ही बूढ़े, होंगे, उतना ही अधिक उन का अनुभव होगा। किन्तु अन्य श्रेणियों में इस प्रकार सेवा-अवधि की सीमा को बढ़ाना न केवल अनावश्यक है, अपितु देश की बढ़ती बेकारी के लिये खतरनाक है। अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह-मंत्री ने बतलाया कि १९५० में कलकत्ता में ३१४ असामियों के लिये ५०,००० प्रार्थना-पत्र आये थे, और माननीय श्रम मंत्री श्री गिरि ने बतलाया था कि नौकरी दिलाऊ केन्द्रों को नौकरी दिलाने में बड़ी कठिनाई आ रही है, क्योंकि बेकारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। अतः, इन परिस्थितियों में सेवा-अवधि की सीमा बढ़ाने से बहुत ही हानि होगी, और जनता के साथ अन्याय होगा। अतः कोई अन्तिम निश्चय करने से पहले सरकार को इस पर अच्छी तरह से सोच लेना चाहिये।

हर्ष का विषय है कि लेखापरीक्षा विभाग के पुनः संगठन के लिये प्रयत्न जारी हो रहा है। इस विभाग में आमूल परिवर्तन करते समय सरकार को चाहिये कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर और भी अधिक विश्वास करे, और लेखा आदि के सम्बन्ध में उस से परामर्श प्राप्त करे, ताकि वर्तमान वित्तीय त्रुटियां दूर हो सकें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दीख रहा ह ाक कोई भी सदस्य बोलने का इच्छक नहीं है।

कई माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को अध्यक्ष की दृष्टि को आकर्षित करने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री आर० के० चौधरी (गौहटी): वह आदत अब छोड़ दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चाको

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : मेरा विचार था कि वित्त मंत्री के उत्तर से घाटे के वित्त पर की बहस समाप्त हो चुकी

होगी, किन्तु कई माननीय सदस्यों ने न केवल कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं अपितु स्थिति के सम्बन्ध में खतरे का घंटा बजाया है। पहले ज़माने में शादी के समय रोना-पीटना हुआ करता था, और इस विवाह बन्धन को कोई भारी चीज़ माना जाता था, किन्तु अब बूढ़े भी विवाह कर लेते हैं। दिन भर की थकान के बाद मनुष्य को घर और आश्वासन मिलना चाहिये, और वह विवाह से ही इन बातों की आशा करता है। विवाह, यदि वर एवं वधू एक दूसरे से सहमत हों, एक कल्याण है, अन्यथा विवाह दुखदायी बन जाता है। रसायनशास्त्र में हमें सिखलाया जाता था कि पानी विवर्ण और निर्गन्ध है, और अब मैं घाटे के वित्त को भी इसी तरह का समझने लगा हूं। मैं आशा करता हूं कि घाटे के वित्त से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब देखने का यह प्रश्न है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था से संचित धन को किसी उत्पादक कार्य में लगाया जा रहा है अथवा नहीं।

मैं इस सिलसिले में उन दो एक बातों का, जो भारत में हुई हैं, हवाला देना चाहता हूं। करारोपण न तो ठीक है और न बुरा। यदि करारोपण से एकत्र किया गया धन देश की भलाई में लग जाय तो ठीक बात है, किन्तु ऐसी बात नहीं कि करारोपण से कहीं क्रांति हुई हो जैसा कि त्रिवेन्द्रम् से आने वाली माननीया सदस्या ने कल हमें बतलाया था। हां यदि करों का भार ग़रीबों पर पड़े तो बहुत ही बुरी बात हो जाती है। घाटे की वित्त-व्यवस्था में भी ऐसी ही बात है। विगत तीन-चार वर्षों से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने घाटे की वित्त व्यवस्था चलाई, जिस से मुद्रास्फीति-विषयक प्रवृत्तियां स्थितिशील रहीं। इस से यह भी एक और लाभ होगा कि लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ जायेगी। अतः मेरा निवेदन है कि इस तरह की वित्त-व्यवस्था करने का यह सब से अच्छा मौका है।

दूसरे यह कि हम इस संचित धन से जर्मनी की तरह एक ऐसा जुआ नहीं खेलना चाहते जैसा उस ने १९१४–१८ में खेला था। हम इसे उत्पादक कार्यों में लगायेंगे। आय-व्ययक से आप को पता चलेगा कि हम इस घाटे की वित्त-व्यवस्था से लगभग ११० करोड़ रुपये जमा करेंगे, और इस के विपरीत हम उत्पादक नियोजन में २२५ करोड़ रुपये लगायेंगे। इसी से सब बातों का इलाज होगा। और एक बात भी बतलाना चाहता हूं। आजकल लोकवित्त विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था के सारे दोषों को आयव्ययक सम्बन्धी नीतियों से नियंत्रित किया जा सकता है। हम ने अपने देश में नियंत्रणों को अभी नहीं छोड़ा है, और हम किसी भी समय नियंत्रणों को पुनः बिठा सकते हैं। तो इस तरह इन बातों में हमें कठिनाई नहीं होगी। मुद्रास्फीति की त्रुटियों को किसी भी समय हमारी नीति से काबू में लाया जा सकता है। रिज़र्व बैंक द्वारा भी साख पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। आयात-निर्यात की स्थिति भी हमारे पक्ष में है। पृष्ठ १४१ पर के व्याख्यात्मक स्मृतिपत्र से यह भी पता चलाया जा सकता है कि सर्वोपरि स्थिति अच्छी है और भारत में लेन-देन से १५६.४१ करोड़ रुपये का आधिक्य प्राप्त होगा और विदेशों से १८६.०६ करोड़ रुपये का घाटा होगा।

मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश में लेन देन से कोई भी घाटा नहीं होगा। विदेशों के साथ के लेन देन से ही तो घाटा हो जाता है। इस से यह अभिप्रेत है कि विदेशों के साथ के लेन देन से जनित त्रुटियों का हमारे देश के वित्त पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[श्री पी० टी० चाको]

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

ग्रामीण ऋणों के प्रश्न पर कई एक सरकारी तथा गैर सरकारी समितियों ने विचार किया है। सरैया समिति तथा गाडगिल समिति ने बहुत समय पहले इस प्रश्न पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, और पंच वर्षीय योजना में भी ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देने की व्यवस्था की जा चुकी है। किन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आयव्ययक तथा योजना में योजना बनाने वालों और वित्त मंत्री ने हमारी कृषि सम्बन्धी समस्या पर अधिक महत्व नहीं दिया है। योजना में सहकारी संस्थाओं की वृद्धि तथा पुनःसंगठन की सिफारिश की गई है। वास्तव में, समस्या यह है कि इस को कैसे समझा जाय। पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अल्पकालीन ग्रामीण ऋणों के लिये लगभग ५ करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं, और मध्यकालीन ग्रामीण ऋणों के लिये लगभग ५ करोड़। रिज़र्व बैंक अधिनियम में कई संशोधन करने के बाद हम रिज़र्व बैंक को इस बात की आज्ञा दे रहे हैं कि वह सहकारी प्रधान बैंकों तथा अनुसूचित बैंकों को कुछ राशि ऋण के रूप में दें। किन्तु मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि अधिक अन्न उपजाओ पूछताछ समिति ने इस सारी स्थिति को देखकर यही बतलाया है कि ग्रामीण ऋण के लिये हमें कम से कम १०० करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत हम केवल १५ करोड़ रुपये दे रहे हैं, और रिज़र्व बैंक शायद १० करोड़ रुपये दे सकेगा——जब कि हमें कम से कम १०० करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ग्रामीण ऋण ग्रस्तों पर योजना बनाने वालों ने विचार नहीं किया है और आयव्ययक के अन्तर्गत भी कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं की गई है।

४ म० प०

गाडगिल कमेटी तथा सरैया कमेटी की सिफारिशों पर भी कोई विचार नहीं किया गया है। और ग्रामीण ऋणग्रस्तता को कम भी नहीं किया गया है। हमारे कृषकों के लिये ग्रामीण ऋण की योजना की यही भूमिका है।

त्रावणकोर-कोचीन के छोटे २ साहूकारों की समस्या को भी आप के सामने रखना चाहता हूं। बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम से अभी तक यहां के साहूकारों पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था। किन्तु अब इस अधिनियम की धारा २४ से उन पर बुरी चोट आई है। उक्त अधिनियम की धारा २४ में यह उपबन्धित है कि इन देहाती अथवा अर्द्ध-देहाती बैंकों को अपनी संचित निधि का एक विशेष प्रतिशत नगदी के रूप में इम्पीरियल बैंक अथवा रिज़र्व बैंक में जमा कराना पड़ेगा। किन्तु वहां इस प्रकार की सुविधायें नहीं हैं। अतः अनुसूचित बैंकों में जो भी धन जमा करा दिया जायेगा, उसे विचार में लाया जाना चाहिये। मेरे राज्य में कृषकों को सहकारी प्रधान बैंकों द्वारा कोई भी ऋण नहीं दिया गया, और बात इस के विरुद्ध कही गई। इस का यह कारण बताया गया कि त्रावणकोर और कोचीन में दो सहकारी प्रधान बैंक हैं। अभी कुछ वर्ष पहले इन दोनों राज्यों को एक कर लिया गया है। अतः, मैं अन्त में वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह त्रावनकोर-कोचीन की समस्या पर विचार करें, तथा इस राज्य के ग्रामीण ऋण के लिये अधिक से अधिक वित्त की व्यवस्था करने का प्रयत्न करें।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली): मैं सर्वप्रथम महीन कपड़ों पर आबकारी कर के पुनः समायोजन की ओर निर्देश करना चाहता हूं।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : वित्त विधेयक पर बहस के दौरान में यह बात आ जायेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य अब इस की ओर क्यों निर्देश कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने यही शिकायत की कि उन्हों ने साधारण चर्चा में जो बतलाया था मैं ने उस का उत्तर नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्यों इसे वित्त विधेयक पर ही स्थगित नहीं किया जाय। अब हम अनुदान की मांगों पर विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य केवल उन ही बातों तक सीमित रहें जो इस से संगत हों। वित्त विधेयक पर चर्चा के समय उन्हें इस बात के लिये बहुत मौका मिलेगा।

श्री जी० डी० सोमानी : मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता किन्तु इतना कहना चाहता हूं कि सरकार पहले से ही पुनरीक्षित आधार पर आबकारी शुल्क इकट्ठा कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल ही इस पर बातचीत करें।

श्री जी० डी० सोमानी : मुझे मालूम नहीं कि मौका भी मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु मैं यहां असंगत बातें नहीं होने दूंगा।

श्री जी० डी० सोमानी : मैं तो केवल इतना कहना चाहता था कि जब वित्त मंत्री जी की इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा है, तो इस की पूछ ताछ क्यों नहीं होती।

वित्त विधेयक के सम्बन्ध में एक और बात बताना चाहता हूं। मैं सट्टे से होने वाले भावी घाटों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आयकर जांच आयोग ने बहुत समय पहले कई सिफारिशें की थीं, किन्तु सरकार को बहुत देर बाद यह बात याद आई है, जब कि मुनाफ़े की बौछाड़ नहीं रही है। यदि वित्त विधेयक में प्रस्तावित संशोधन पारित हुआ तो स्टाक एक्सचेंज (श्रेष्टि-चत्वर) के मूल लेनदेन तथा भविष्य के सौदों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि व्यापार तथा उद्योग के विभिन्न भागों में इतने वास्तविक व्यापारी हैं जिन्हें सट्टे के या द्वैधरक्षण के सौदों से घाटा पूरा करने की आज्ञा नहीं मिल सकेगी। इस सम्बन्ध में बहुत से प्रतिनिधान भेजे जा चुके हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी वित्त विधेयक पर ही रखा जा सकता है। अब हम वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत अनुदानों के लिये मांगों पर विचार करेंगे।

श्री जी० डी० सोमानी : राजस्थान के दो कांग्रेसी मित्रों द्वारा कल कही गई बात की ओर भी निर्देश करना चाहता हूं। यह है अकाल की स्थिति के बारे में। माननीय डा० काटजू को अभी हाल के दौरे से पता चला होगा कि राजस्थान की, विशेष रूप से बीकानेर की, क्या दशा है। वहां लोग भूख से मर रहे हैं, और पत्ते खा-खा कर गुज़ारा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार पर्याप्त सहायता नहीं दे सकती, अतः मैं भारत सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान सरकार को कोई ठोस राशि दी जाय ताकि वह इस स्थिति का सामना कर सके। वित्तीय एकीकरण करार की शर्त्तों के अनुसार माननीय राज्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि सौराष्ट्र की पिछड़ी स्थिति की जांच-आदि करने के लिये एक समिति बिठाई जायेगी। मेरी यह प्रार्थना है कि यह कमेटी न केवल सौराष्ट्र की स्थिति के सम्बन्ध में पूछताछ करे अपितु अनेक ख भाग राज्यों की पिछड़ी दशा की जांच करे--क्योंकि उन सभी ख भाग राज्यों के साथ उक्त करार किया गया है। चुनांचि राज्य-मंत्री ने बहुत समय पहले इस बात का आश्वासन दिया है, और इस में काफी देर हो चुकी है, अतः यह छताछ प्रारम्भ होनी

[श्री जी० डी० सोमानी]

चाहिये—और विशेषतः उन अन्य ख भाग राज्यों की जिन के साथ इस प्रकार के करार किये जा चुके हैं। जहां तक पूंजी के संकलन और उद्योगों के विकास का सम्बन्ध है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने उस दिन आय-व्ययक सम्बन्धी वाद विवाद का उत्तर देते हुए इस बात की ओर संकेत किया कि ऐसी कार्यवाहियां की जायेंगी जिस से कि उद्योगों में धन लगाना अधिक आकर्षक बनाया जा सके। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही की जायगी।

पूंजी लगाने वालों की कठिनाइयां स्पष्ट हैं। सरकार ने करों में जो रियायतें दी हैं, उन से औद्योगिक विकास में सहायता मिली है। इसलिए हमें ठीक दृष्टिकोण से सारी स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। हमें न केवल उत्पादन का प्रस्तुत स्तर बनाए रखना है बल्कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी हैं कि उद्योग पंच वर्षीय योजना के अधीन पूरा योग दे सकें।

विभिन्न उद्योगों के अभिनवीकरण के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय का रवैया ऐसा मालूम पड़ता है कि करारोपण जांच समिति की रिपोर्ट आने तक इस प्रश्न को उठा रखा जाय। परन्तु यह मामला बहुत आवश्यक है और देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे मालूम है कि सरकार को अपने राजस्व में कुछ हानि उठानी पड़ेगी परन्तु इस का फल यह होगा कि उद्योग न केवल देश में कम दामों पर अपना माल बेच सकेंगे बल्कि विदेशी मण्डियों में भी स्पर्धा कर सकेंगे। अन्ततोगत्वा इस कार्यवाही से लाभ ही होगा।

म केवल पटसन और कपड़ा उद्योग की चर्चा करूंगा। पटसन उद्योग की स्थिति अब अच्छी नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान और दूसरे कई देशों में पटसन की मिलें खुल गई हैं, यदि जल्दी ही इस की दशा सुधारने के लिए कार्यवाही न की गई तो विदेशी मण्डियां हमारे हाथ से छिन जायेंगी। इसी प्रकार कपड़ा उद्योग की स्थिति पर भी विचार करना होगा। इस उद्योग को उत्पाद-कर का कुछ अंश अपने लिए नई मशीनें आदि खरीदने के लिए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसी कोई योजना बनाई जा सकती है जिस का खर्च सरकार और उद्योग दोनों आधा आधा दें। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस प्रश्न को करारोपण जांच समिति की रिपोर्ट आने तक स्थगित नहीं करेंगे बल्कि कोई समिति नियुक्त करेंगे जो उद्योगों के अभिनवीकरण की आवश्यकताओं का अध्ययन करे और या योजना आयोग से ही यह काम करने को कहगे।

श्री बी० के० दास (कोन्टाई) : विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में कई विषयों की चर्चा की गई है परन्तु मैं केवल एक ही मामले का जिक्र करूंगा, जिस की मेरे माननीय मित्र श्री मोरारका ने कल आलोचना की थी। नमने की बहुमुखी राष्ट्रीय पड़ताल के लिए ४३ लाख रुपये की मांग की गई है। मैं कह नहीं सकता कि इस पर की गई आलोचना ठीक है या नहीं। परन्तु यह निश्चित है कि जब तक हमारे पास ठीक ठीक आंकड़े ही नहीं होंगे, हमारी आर्थिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कठिनाई ही रहेगी।

वित्त आयोग ने आंकड़े न होने के कारण विभिन्न राज्यों में उत्पाद करों का बटवारा जनसंख्या के आधार पर किया। इसी प्रकार योजना आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि जैसे वह चाहता था उस ढंग से काम नहीं किया जा सका। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि हमारे पास ठीक आंकड़े हों।

यह बहुत अच्छी बात है कि डा० मथाई जैसे महानभाव के सभापतित्व में करारोपण

जांच समिति नियुक्त कर दी गई है। आशा है कि वह करारोपण की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट दे सकेगी।

इस वर्ष वित्त मंत्री ने कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं रखा है। पिछले वर्ष उन्होंने कहा था कि विकास कार्यों के लिए अधिक धन का प्रबन्ध करने के हेतु और कर लगाने चाहियें। उन का कहना है कि हमारे देश में करों की राशि कुल राष्ट्रीय आय का ७ प्रतिशत है जब कि दूसरे देशों में २१ प्रतिशत है। परन्तु करों की राशि से अधिक महत्व इस बात का है कि वह राशि खर्च कैसे की जाती है। इस वर्ष का आय व्ययक विकास कामों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। इस सम्बन्ध में भी ठीक ठीक आंकड़े होने चाहिएं ताकि यह पत चल सक कि हमारे कार्य कहां तक सफल हो रहे ह

इस मंत्रालय का एक और महत्वपूर्ण काम विभिन्न विभागों के खर्च पर नियंत्रण रखना है। हम ने यह देखा है कि इस काम को करने में कई बार कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये कठिनाइयां उत्पन्न न हों और काम ठीक ढंग से चलता रहे।

एक दिन प्रश्नोत्तर काल में मालूम हुआ कि हम ने पश्चिमी बंगाल सरकार को ८ करोड़ रुपये का जो अनुदान दिया, दिसम्बर, १९५२ तक उस म से केवल ४ करोड़ रुपया उस सरकार को दिया गया था। इस कारण उस सरकार को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। नियंत्रण तो रहना चाहिए परन्तु ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिएं।

मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि प्रन ि के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय को वाणिज्यिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। पुनर्वास वित्त व्यवस्थान जो ऋण देता है, उस पर ६ प्रति शत सूद लिया जाता है। हमें बताया जाता है कि वित्त मंत्रालय का विचार है कि इस के प्रशासन का खर्च उसी धन में से निकलना जो कि ऋण के रूप में दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस से पुनर्वास के लिए ऋण लेने वालों को बड़ी कठिनाई होती है। इस मामले पर पुनर्वास वित्त व्यवस्थान विधेयक पर चर्चा के समय भी विचार होगा, इसलिए मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे।

श्री बंसल (झज्जर रिवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, जब कल मैं इस हाउस में अपने दोस्तों की तकरीरें सुन रहा था तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बादशाह थे। उन को गायन विद्या का बड़ा शौक था। उन्हों ने अपने राज्य में एलान करवाया कि मेरे राज्य में जितने गायक हैं, वे अपने अपने साज बाज लेकर मेरे दरबार में हाजिर हो जायें। सब अच्छे अच्छे गायक उन के दरबार में आये। और उन में से एक गायक वह आया जो एक नये तरीके का साज बना कर लाया। उस म ..स ने कई चीजों के साज मिला कर एक नया साज बनाया। उस ने समझा कि इस नये साज से मैं नया स्वर पैदा करूंगा तो बादशाह मेरे धोखे में आ जायेंगे और मुझे बड़ा इनाम देंगे। मगर बादशाह के वजीर ने उस की यह चाल जान ली उस ने बादशाह से कहा कि हुजूरवाला, इन गायकों से यह कहा जाय कि अपने अपने साज अकेले अकेले और अलग अलग बजायें ताकि उन की तारीफ मालूम हो। उन सब ने अपने अपने साज बजाये, लेकिन जब उस की बारी आई तो वह भी ताड़ गया कि यह वजीर की साजिश है। उस ने कहा कि हुजूर जो मेरा साज है वह एक शामिल बाजा है और वह अकेले नहीं बजता। यही हाल मेरे दोस्तों

[श्री बंसल]

का ह कि वह एक शामिल बाजा बजाते हैं जो कि पुराना ही राग अलापता है और उस पुराने राग में तरह तरह के तार अपने आवाज देते हैं। जब उन की समझ में आता है कि फाइनन्स मिनिस्टर कोई नई चीज़ करने जा रहे हैं तो कहते हैं कि अनआर्थोडाक्स मैथड एडाप्ट किय जा रहे ह, और जब कोई अनआर्थोडाक्स मैथड ऐडाप्ट किया जाता है तो कहते हैं कि इस म डेन्जर है, खतरा है। जब आर्थोडाक्स मेथड ऐडाप्ट किया जाय तो कहते हैं कि वह पुराना तरीका है, इस से कुछ होने वाला नहीं है। मझे एक कम्यूनिस्ट भाई की तकरीर सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने यह कहा कि डफिसिट फाइनेन्सिग में बड़ा डेन्जर है। मैं ने अपने दिमाग को थोड़ा टटोला तो मुझे याद आया कि पिछले साल उन्हीं की तरफ से उन के लीडर ने हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से अपील की थी कि अगर मामूली तरह से इन्वेस्ट करने के लिये रुपया नहीं आता है तो आप डेफिसिट फाइनेन्सिग कीजिये।

एक माननीय सदस्य : किस ने कहा कि डेन्जर है ?

श्री बंसल : आप ही के एक भाई ने कहा था कि डेन्जर है, जरा याद कीजिये। तो मैं अपने भाइयों से अपील करूंगा कि वह हर एक चीज़ की नुक्ता चीनी करें, ज़रूर करें, यह उन का हक है, लेकिन वह जो ठोस चीज़ें हों उन को भी हाउस के सामने रक्खें।

यानी इस वक्त यह सारा देश एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है, देश एक प्लानिंग के दौर में से गुजर रहा है और उन को तरह तरह की नई बातें सोचनी हैं अब अपोजीशन के मेम्बरों के लिए यह कहना काफी नहीं होगा कि इस तज़वीज़ में यह खतरा है और अगर यह तज़वीज़ नहीं करेंगे तो यों खतरा हो जायगा। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के मेम्बर कारपैट पर नहीं हैं कारण कि उन्होंने एक प्लान देश के सामने रख दिया है। इस वक्त कारपैट पर वह लोग हैं जो हर मौके पर हमारी सरकार की नुक्ताचीनी करते हैं। हमारे एक भाई न जो उस ओर बैठे हुए हैं कल कहा था कि इस प्लान में बकारी के मसले को हल करने की कोई ठोस और बड़ी तजवीजें नहीं हैं जनाब इस बकारी के मसले पर मैं बहुत दिनों से गौर करता रहा हूं यहां तक कि जब यह ड्राफ्ट प्लान सोचा जा रहा था और हमारी पार्टी के जेर गौर था तो मैं ने उन को एक छोटा सा नोट दिया था और उस में यह बताया था कि हमें अपना इनवेस्टमेंट करीब करीब दुगना कर देना चाहिए जितना कि इस प्लान में है। इस इनवैस्टमट को दुगना करने के लिए हमारे भाई को यह सोचना होगा कि हम को कंट्रोल उस हद तक सख्त कर देने होंगे जितने कि हम ने अभी तक नहीं देखे हैं। क्या हाउस इस बात के लिए रजामन्द है कि इतने कड़े कंट्रोल लगा दिये जायें जितने कि हम ने कभी नहीं देखे हैं। इस हाउस में जब भी कंट्रोल का जिक्र आया उस वक्त यह आवाज़ उठी कि हम कंट्रोल नहीं चाहते हैं, कंट्रोल हमारी नैतिकता के खिलाफ है, कंट्रोल से हमारा मारल गिर जाता है। उन के खिलाफ हमारे इस तरफ के भाई भी हैं और उस तरफ के भाई भी हैं। इनवैस्टमेंट के दूसरे मानी क्या हैं। आखिर इनवैस्टमेंट के मानी हैं टैक्सेशन, कम्पलसरी सेविंग, वालंटरी सेविंग या डैफिसिट फाइनेन्सिग। यह सब चीज़ें अच्छी तरह से इस प्लान में अपने आर्डर आफ प्रायरिटी के मुताबिक हैं। और अगर कोई भाई चाहें कि नहीं यह टारगेट और बढ़ाये जायें तो मैं उन से कहना चाहता हूं कि वह एक मर्तवा अपने दिमाग को इस के लिए तैयार कर लें कि हमें बड़े भारी दरजे पर डैफिसिट फाइनेन्सिग करना है। डैफिसिट फाइनेंसिंग के क्या मानी हैं। अभी गोकि

हमारे प्लान में बहुत थोड़ा डैफिसिट फाइनेंसिंग दिया गया है और बहुत थोड़ा डैफिसिट फाइनेंसिंग किया गया है। कि हर तरफ से यह आवाज़ आने लगी है कि इनफ्लेशन हो जायगा। जो भाई डैफिसिट फाइनेंसिंग की बात कहते थे और कहते थे कि डैफिसिट फाइनेंसिंग होना चाहिये वह भी अब यह कहते हैं कि डैफिसिट फाइनेंसिंग में खतरा है। मैं भी जानता हूं कि इस में खतरा है लेकिन किया क्या जाय। आखिर हमारे सामने जो मसले हैं उन का हल हम को ढूंढना है, और उस को ढूंढने के लिए हम को तरह तरह की तजवीज़ों से काम लेन चाहिए। जितने हमारे रिसोर्सेज़ हैं उन को हमें देखना है। हम को यह देखना है कि टैक्सेशन से कितना रुपया आ सकता है, वालंटरी सेविंग से कितना आ सकता है, कितना कम्पल्सरी सेविंग से आ सकता है, और हमारी इकानामी में किस हद तक डैफिसिट फाइनेंसिंग इस्तैमाल किया जा सकता है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

तो मैं समझता हूं कि हमारे प्लान में जो यह प्रायरिटीज़ और टारगेट्स रखे गये हैं यह इन सब चीज़ों को देखते हुए, कि हमारे देश में तरह तरह की आवाज़ें उठती हैं कि कोई कहता है कि टैक्स कम लगाओ, कोई कहता है कि डैफिसिट फाइनेंसिंग कम करो, कोई कहता है यह कम करो कोई कहता है वह कम करो. यह ठीक ही रखे गये हैं और मैं समझता हूं कि यह हमारे प्लान के लिए काफी हैं। मुझे तो खुद यह डर है कि यह टारगैट थोड़े हैं मगर जब मैं सब चीज़ें देखता हूं और यह सोचता हूं कि हमारे देश का आर्थिक मैयार कैसा है तो मैं समझता हूं हमें इन्हीं टारगैट्स पर सबर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इन तीन वर्षों मै हमारी आर्थिक स्थिति कैसी संभलती है।

अब टैक्सेशन के बारे में यह सवाल आता है कि क्या टैक्सेशन और बढ़ाना चाहिए। ठीक है। शायद इस बात की गुंजाइश हो कि टैक्सेशन और बढ़ाया जाय। मगर जो लोग तिजारत से और इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं वह जानते हैं कि आज के हालात में अगर टैक्सेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, तो जो इनवैस्टमेंट प्राइवेट सैक्टर में करीब सौ करोड़ रुपये सालाना का हो रहा है, वह नहों हो पायेगा। और अगर वह नहीं हो पायगा तो गवर्नमेंट को दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। उस इनवेस्टमेंट को पूरा करन के लिय तो आखिर यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि टैक्सेशन बढ़ाया जाय या न बढ़ाया जाय या डैफिसिट फाइनेंसिंग किया जाय या न किया जाय। सवाल यह है कि हमें अपने हालात को देखते हुए कौन सी चीज को किस हद तक बरतना है। अब यह बहुत मुमकिन है कि अगर हमारे कम्युनिस्ट भाई अपनी उस तजवीज को जो कि रूस में जारी की गई थी यहां जारी करें तो पचास वर्ष केबाद हमारे यहां स्वर्ग दिखाई दे, मगर मैं जानना चाहता हूं कि शाट टर्म में उस का क्या नतीजा होगा। हमेशा यहां जो रूस में पंच वर्षीय योजना बनाई गई, उस की दलील पेश की जाती है। बार बार उधर से यह कहा जाता है कि देखिये रूस में क्या किया गया। मैं जानता हूं कि प्रोफैसर मारिस डाब साहब को हमारे भाई वाइबिल से बढ़ कर मानते हैं। जब वह यहां आये थे तो उन्हों ने कुछ तकरीरें दी थीं और जो उनकी दूसरी तकरीर थी उस में से मैं कुछ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं : उन्हों ने कहा कि रूस में जो पहला पंचवर्षीय आयोजन बना तो उस समय कनज्म्प-शन को ४/५ यानी ८० पर सेंट से घटा कर दो-तिहाई कर दिया गया था। यानी करीब ६६ परसेंट पहिले पीरियड में कर दिया गया। गोकि उन्होंने यह भी कहा था कि ६ परसेंट कनज़म्प्शन बढ़ाया जायगा। न जाने उ न्होंने

[श्री बंसल]

यह कैसे कह दिया क्योंकि आखिर में वे कहते हैकि जो ६ परसेंट बढ़ाना चाहते थे वह बढ़ा हीं, बल्कि जितना उन का टारगेट था उस से कहीं कम रहा। मगर हमारे प्लान में रहन सहन का मैयार इन पांच वर्षों में घटेगा नहीं बल्कि कुछ न कुछ बढ़ेगा ही। तो अखिर यह जो प्लानिंग है, यह इन सब चीज़ों को मजमुई तौर से देख कर कि कौन कौन सी तरकीब सब से ज्यादा फायदेमन्द होगी, किया गया है ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह कहा जाता है कि इनवैस्टमेंट कम है। मैं भी यह समझता हूं कि कम है। मगर यहां के हालात देखते हुए, जैसा मैं ने अर्ज़ किया, हमें इन टारगैट्स से ही सब्र करना पड़ेगा। मुझे तो डर है कि जितना इनवैस्टमेंट हम ने इस प्लान में दिया है, दो हजार उनहतर करोड़ रुपये का, वह भी हम पूरा कर पायेंगे या नहीं। मुझे यह डर इसलिए नहीं है कि रुपया नहीं होगा क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी तरकीबों से जो कि देश के लिए मुजर न हों रुपया इकट्ठा कर सकती है। मगर हमारी ऐक्सपेंडिंग मैशिनरी ऐसी नहीं है जो कि इस रुपये का अच्छा इस्तैमाल कर सके । आपने देखा होगा कि हमारे हाउस के सामने जो एक के बाद एक पबलिक ऐकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट आया करती है उस में कोई भी ऐसी नहीं होती जिस में कोई न कोई स्कैंडल न निकले। वह सच होते हैं या गलत इस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं उन की तफसील में नहीं गया हूं। लेकिन उस से यह असर ज़रूर होता है कि जो अथारिटी पबलिक ऐक्सपेंडीचर को हैंडिल करती है, वह डिमौरेलाइज्ड ज़रूर है । वह पबलिक आथारिटी ऐसी नहीं है कि उस में सभी बेईमान हैं, बल्कि उस में बहुत से ईमानदार आदमी हैं, जो कि एक एक पाई को बहुत गौर के साथ खर्च करते हैं लेकिन वह डिमौरेलाइज्ड हैं, इसलिए कि अगर वह ईमानदारी से भी खर्च करना चाहते हैं तो उन्हें डर लगा रहता है कि न मालूम कब हमारी पकड़ कर ली जाय और यह डर बढ़ता जाता है जब कि यह इन्क्वायरी होती है । मैं यह नहीं कहता कि यह इन्क्वायरी न हो । आखिर यह हमारी गरीब पबलिक का पैसा है और इस को बहुत गौर से खर्च करना चाहिए। और एक एक पाई पर मोहर होनी चाहिए। मगर मैं यह समझता हूं कि जब हम को यह डर है कि हम इतना रुपया भी इनवैस्ट कर सकेंगे या नहीं तो और ज्यादा टारगैट बढ़ाना एक बेसूद बात होगी। हां यह उस वक्त हो सकता है कि जब आप अपने पूरे फ्रेम को बदल दें और अपने पबलिक ऐकाउंट के मैथड को इस तरह ढांचे में ढालें कि एक पाई भी बेकार खर्च न हो सके। मगर यह करना बहुत आसान बात नहीं है । इसलिए मैं अपने अर्थ मंत्री जी से यह पुरजोर अपील करूंगा कि वह पबलिक ऐकाउंट्स कमेटी की तीसरी और छटी रिपोर्टों को मद्देनजर रखते हुए जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उन के मुताबिक इस तरह से एक्स-पेन्डीचर पर फाइनेन्शल कंट्रोल करें और ऐसी तजवीज़ सोचें कि जिस से ऐग्जीक्यूटिव के हाथ में जो पैसा खर्च करने की ताकत है वह ज्यों की त्यों बनी रहे और देश का पैसा भी फ़िजूल खर्च न हो ।

कल मेरे मोहतरिम दोस्त बी० शिवाराव की तक़रीर से मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। उन्होंने बताया कि पबलिक ऐडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लैवल पर अभी ऐसा है कि वहां बहुत कुछ सुधार की गुंजायश है । मेरा भी बिल्कुल यही तजर्बा है । मैं देखता हूं कि जब कि ऊपरी हिस्सों में, यानी गवर्नमेंट आफ़ इंडिया में और सैक्रेटेरिएट लैवल पर तो बहुत काफ़ी तबदीली हुई है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे चलते जायं, वैसे वैसे यह

दिखाई देता है कि वही पुराने ढरे पर पबलिक ऐडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। इस में अब दो चार ऐक्सैप्शन्स हैं, उन की बात मैं नहीं कहता। लेकिन यह ज़रूरी है कि कोई न कोई ऐसी स्कीम बनाई जाय जिस से कि हमारा पबलिक ऐडमिनिस्ट्रेशन नीचे के दरजे का, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लैवल का और अधिक सुधरे। वह पबलिक की डिमांड्स और तकलीफों के लिये ज़्यादा रिसपौंसिव हों और जो कुछ पबलिक चाहे उस को वह जल्दी से करने को तैयार हों। आखिर जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का खर्चा होता है वह हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट्स ही करती हैं और वह नीचे जा कर इंजीनियर्स से और डिस्ट्रिक्ट लैवल पर खर्च होता है। इसलिये जब तक वहां सुधार न हो और उन की ज़हनियत न हो कि उन को यह पैसा देश की भलाई के लिये खर्च करना है, यह नहीं कि वह सर्प बन कर बैठे रहें, तब तक हमारी डैवलैपमैंट स्कीम्स नहीं चलने पावेंगी।

अभी कल मेरे भाई ने उधर से एक चीज़ फिर दोहराई। बावजूद इस के कि हमारे फायनैंस मिनिस्टर कई बार इस का जवाब बहुत अच्छी तरह से दे चुके हैं कि हमारे देश में इनडायरैक्ट टैक्स का दरजा डायरैक्ट टैक्स से कहीं ज़्यादा है। हम लोगों को जो इस तरफ़ बैठते हैं बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमारे भाई तक़रीर कर जाते हैं और सुनने के वक्त यहां नहीं रहते, जिस का नतीज़ा यह होता है कि दो दो तीन तीन मर्तबा बावजूद फायनैंस मिनिस्टर के जवाब देने के भी उन को यह बात समझ में नहीं आती और वह उलटे घड़े की तरह रहते हैं कि कितना ही पानी डालो वह पानी उस में नहीं जाता। यह इनडायरैक्ट और डायरैक्ट टैक्सेशन की जो बात है तो उन्हों ने कहा कि सन् १९५३ में यानी इस साल के बजट में इनडायरैक्ट टैक्स की परसेंटेज ६२ फ़ी सदी हो गयी। इस के जवाब में वित्त मन्त्री साहब ने फरमाया था कि बहुत से टैक्सैज ऐसे होते हैं कि जो ग़रीब आदमी पर नहीं पड़ते, जैसे कि ऐक्सपोर्ट ड्यूटी। ऐक्सपोर्ट ड्यूटी का इनसीडैंस ग़रीब आदमी पर, अवाम पर, नहीं पड़ता, और वह काफ़ी बड़ा हिस्सा है, उस टैक्सेशन में जो कि ऐक्सपोर्ट ड्यूटी से आता है। इस साल ५१ करोड़ रुपया ऐक्सपोर्ट ड्यूटी से होगा। इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिन पर कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, जैसे मोटर कार्स हैं। उस के ऊपर जो इनसीडैंस है, वह ग़रीब आदमी पर नहीं पड़ता। इसी तरह से कुछ पीने की चीज़ें होती हैं, शौकीन, जैसे बीयर, लिकर, जिन का टैक्स ग़रीब आदमी नहीं देता। इसी तरह से सिल्क और कई चीज़ें हैं।

तो मैं ने देखा कि अगर इन सब चीज़ों को हटा दिया जाय तो क़रीब क़रीब हमारे यहां इनडायरैक्ट टैक्स सिर्फ़ ३७ परसेंट रह जायगा, न कि ६२ फी सदी। तो इस को आप देखें। मैं समझता हूं कि ३७ फी सदी कोई ज़्यादा नहीं है। आप किसी भी देश की ओर देखें और हमारे देश को लें तो मालूम होगा कि इनडायरैक्ट टैक्स का कुल मिला कर ३७ परसेंटेज कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है।

श्री सी० आर० चौधरी (नरसावपेट) : हमारा देश अर्ध-विकसित और गरीब है। हमारे उद्योगों तथा कृषि के विकास की बड़ी आवश्यकता है। देश के विकास की पंच वर्षीय योजना के अनुसार इस काम पर २०६९ करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। परन्तु क्या हम उस ओर जा रहे हैं ?

इस योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन हमारे पास नहीं है और हमें विदेशी सहायता लेनी पड़ेगी। अनुमान है कि हमें विदेशों से ६५५ करोड़ रुपये की सहायता लेनी पड़ेगी। वह न मिली तो करारोपण और भीतरी ऋणों का सहारा लेना होगा।

[श्री सी० आर० चौधरी]

और यदि वह भी न हुआ तो सरकार को घाटा पूरा करने के लिए नोट छापने पड़ेंगे।

क्या मैं वित्त मंत्री से पूछ सकता हूं कि उन्होंने विदेशी सहायता लेने से पहले यह देख लिया था कि देश में करारोपण तथा ऋण लेकर काम नहीं चल सकता ? हम पहले ही विदेशों से १८६ करोड़ रुपये की राशि उधार ले चुके हैं। कोलम्बो योजना के अधीन भी हम आते हैं परन्तु उस पर जितना खर्च होता है, वह यह योजना बने वालों के पास है ही नहीं; अतः इस का असफल रहना अवश्यभावी है।

इस योजना में सब से पहले कृषि विकास की चर्चा है और फिर यह कहा गया है कि छोटे उद्योगों पर १० प्रतिशत खर्च किया जायगा। मूल उद्योगों की चर्चा ही नहीं की गई। इस में कृषि तथा परिवहन के विकास पर ज़ोर दिया गया है। इस तथाकथित सहायता योजना का फल यह होगा कि हमारी उत्पादन शक्ति कम होगी और पूंजीपति देशों पर हमारी निर्भरता बढ़ जायगी। विश्व बैंक तथा अमरीका से मिलने वाली डालर सहायता भी ऐसी ही है। यह बैंक इतना अधिक सूद लेता है कि बृटिश औपनिवेशिक विकास निगम ने इस से ऋण लेने से इनकार कर दिया था।

अमरीका के जो पूंजीपति भारत में अपनी पूंजी लगाते हैं, वह भी हमारे राष्ट्रीय धन को देश से बाहर ले जाने का एक ढंग मात्र है। तो ऐसी स्थिति में सरकार प्रत्यक्ष कर क्यों नहीं लगाती ? कृषि आय पर कर क्यों नहीं लगाती ? बिना क्षतिपूर्ति दिए भूमि सुधार क्यों नहीं किए जाते ? इसलिए कि इस से आप के समर्थकों——अमीरों पर बोझ पड़ेगा जिन्हों ने आप को सत्ता दी है।

आप के कार्यकलाप से स्पष्ट है कि आप घाटा पूरा करने के लिए नोट छापने पर तुले हुए हैं। क्या हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप ऐसा कर सकें ? ऐसी कार्यवाही से तो अमीर लोगों को लाभ होगा और गरीब तथा मध्यवर्ग के लोगों को हानि होगी।

हम इस बात के विरुद्ध नहीं हैं कि ऋण लिये जायं। परन्तु ऋण, देने वाले और लेने वाले की समानता के आधार पर लिए जाने चाहिएं। ये इसलिए होने चाहिएं कि हमारे उद्योगों और कृषि का विकास हो सके। हमें अपना विकास इस ढंग से करना चाहिए कि हम आत्म निर्भर बन सकें। वित्त मंत्री भीख मांगना चाहते हों तो मांगें परन्तु यदि उस से पूंजीपति देशों पर हमारी निर्भरता बढ़ती है तो हमें उस पर आपत्ति होगी।

मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हमारे आर्थिक ढांचे के लिए अमरीकी डालर पूंजी वैसी ही है जैसे कि शरीर में नासूर।

श्री एच० पी० सिंह (ज़िला गाजीपुर–पाश्चम) : सभापति महोदय, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो मांगें यहां पर पेश हैं, मैं उन का हृदय से समर्थन करता हूं। यों तो देश बहुत बड़ा है और आर्थिक नीति से देश के सब व्यक्तियों को एक ख्याल पर लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज़ादी हासिल करने का जो सब से बड़ा मक़सद ग़रीबों को राहत पहुंचाना था, उस का ख्याल सरकार को अवश्य करना चाहिए। चुनाव घोषणा या आज़ादी की कल्पना कर के जो किसान आज गांवों में बैठे हुए हैं, अपनी कल्पना को पूरी न होते देख कर उन्हें बड़ी घबराहट और मायूसी पैदा होती है। आज अवस्था यह हो रही है कि उन को खाने के लिए अन्न नहीं है और पहिनने के लिए वस्त्र नहीं है और जीवन की जब यह आवश्यकतम वस्तुएं भी उन को नहीं मिलतीं तो उन किसानों और मज़दूरों

के हृदय में सरकार के प्रति नाना प्रकार के ख्याल उठा करते हैं, और जिनका फ़ायदा हमारे विरोधी भाई उठाते हैं और ग़लत प्रलोभन देकर उनको बहकावे में लाकर बहुत सी चीजों को अपनी सरकार द्वारा कराने की कल्पना कराया करते हैं। ऐसी ऐसी वहकाने वाली बातें उनके सामने पेश किया करते हैं और उन नादान काश्तकारों और मजदूरों का जो मुद्दतों से सताये जा रहे हैं और जो पेट के लिये, न्याय के लिये और दवा के लिये ग़रीबी की दशा में तरसते रहते हैं, उनका ऐसे प्रलोभनों में फंस जाना स्वाभाविक है और वह उनमें फंस भी जाते हैं। इसलिये सब से ज्यादा ज़रूरत इस बात की है कि ग़रीब तबके की तरफ हमारी सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिए।

मैं एक ऐसे ज़िले का रहने वाला हूं जो बहुत ग़रीब और पिछड़ा हुआ जिला है, वहां ग़ाजीपुर शहर में एक ओपियम फैक्टरी सरकार की तरफ से चलती है। अपने देश में दो फैक्टरीज़ चलती हैं, जिनमें ग़ाजीपुर की ओपियम फैक्टरी सब से बड़ी फैक्टरी है जहां से करोड़ों रुपये का माल तैयार करके बाहर भेजा जाता है। यह खेद का विषय है कि सरकार उस फैक्टरी को बिल्कुल भूल सी गयी है और उस फैक्टरी का एडमिनिस्ट्रेशन आज कैसे चलता है, सरकार इस बारे में कुछ जानती ही नहीं। और मालूम ऐसा होता है मानो सरकार यह जानती ही नहीं कि इस तरह की कोई फैक्टरी इस देश के अन्दर चल रही है और उसकी कोई खास और अच्छी व्यवस्था है। करप्शन, भ्रष्टाचार, चोरबाज़ारी और घूसखोरी का उस फैक्टरी में इतना बोलबाला है कि हर वर्ग का आदमी तबाह है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार उधर ध्यान दे और उस फैक्टरी को ठीक से चलाने का प्रयत्न और प्रबन्ध करे तो बहुत काफ़ी रुपया सरकार को वहां से मिल सकता है।

अफ़ीम के उत्पादक काश्तकारों को ३० रुपये से लेकर ३५ रुपये फी सेर के हिसाब से दाम दिये जाते हैं, लेकिन वही अफ़ीम कमीशन ऐजेन्ट को ४०० रुपये सेर सरकार द्वारा दिया जाता है और ६०० रुपये सेर कमीशन एजेन्ट अफ़ीम खाने वालों के हाथ में बेचता है तो जहां सरकार को अफ़ीम से इतना लम्बा मुनाफा होता है वहां अफीम के उत्पादकों को केवल ३० और ३५ रुपये के हिसाब से दाम दिये जायें, यह कहां तक मुनासिब है। इस सम्बन्ध में मेरा तो सुझाव है कि अफ़ीम पैदा करने वालों को भी अधिक दाम दिया जाय। उत्पादकों को काफी अधिक दाम न देने का नतीजा यह होता है कि बीच के आदमी चोरी से ब्लैक मार्केट पर किसानों से ८० रुपये और १०० रुपये सेर के भाव से अफीम खरीद लेते हैं और वह दूसरी जगहों पर ले जा कर के उसको खाने वालों के हाथ बेचते हैं।

इस के सम्बन्ध में मुझे ज्यादा नहीं कहना है। कहना यही है कि इस फैक्टरी की तरफ सरकार का खास ध्यान होना चाहिए। अगर इसका समुचित प्रबन्ध सरकार करे तो इस से उसको बहुत बड़ी आमदनी हो सकती है। साथ ही किसानों का भी इस से हित होना चाहिए। क्योंकि जो उसके खास उत्पादक हैं वह किसान ही हैं।

मेरे बहुत से मित्रों ने सरकार की आर्थिक नीति का विरोध किया है। मुझे इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि सरकार ने अभी तक ग़रीबों को कोई खास राहत नहीं पहुंचाई है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने आज जो पंच वर्षीय योजना की है, उसके सम्बन्ध में, सरकार का पूरा प्रयत्न और ख्याल यही है कि उसको कामयाब बना करके ग़रीबों को फायदा पहुंचाये लेकिन इसके करने में जो बाधायें हैं उन को हम तो

[श्री एच० पी० सिंह]

ज्यादा महसूस करते ह, लेकिन गरीब तबका इसे कम महसूस करता है ।

मैं आखिर में फायनेन्स मिनिस्टर साहब से यह अपील करूंगा कि वह खास तौर से गरीबों की तरफ ध्यान दें और जो जो वादे कांग्रेस ने किये हैं किसानों व मजदूरों से, उन को पूरा करें ।

मैं इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई उपनगर) : कल मेरी मित्र कुमारी एनी मस्करीन ने सरकार को करों के लिये दोष दिया था मैं यह पूछना चाहती हूं कि बिना पैसे के कौन सी सरकार चल सकती है ?

हमें भारत के करदाता संघ की एक चिट्ठी मिली है जिस में उन्होंने इस बात की सराहना की है कि आय कर की विमुक्ति सीमा ३०००) से बढ़ा कर ४२००) कर दी गई है । इस से मध्य वर्ग को काफी आराम मिलेगा और लोग बचत योजना में उत्साह से योग दे सकेंगे। मेरा विचार है कि छोटी बचत योजना का काम महिला संस्थाओं को सौंप दिया जाय तो वे उसे भली प्रकार कर सकेंगी ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पंच वर्षीय योजना में सामाजिक सेवाओं को महत्व दिया गया है । सामाजिक समस्यायें बहुत उलझी हुई हैं और उनका हमारे आर्थिक ढांचे पर बहुत प्रभाव पड़ता है । जनसंख्या की वृद्धि, बेकारी, अपराधी बच्चों का सुधार— ये समस्यायें हैं जिन्हें जीवन स्तर ऊंचा कर के हल किया जा सकता है ।

स्त्रियों के उद्धार की समस्या भी हमारे सामने है । स्त्रियों का व्यापार तथा वेश्या-वृति को रोकना भी बहुत आवश्यक है । सरकार से मेरा निवेदन है कि इन समस्याओं को हल करने के लिये क़ानून बनाये ।

यह बड़े संतोष का विषय है कि ४ करोड़ रुपये की राशि सामाजिक सेवा करने वाली संस्थाओं को सहायता देने के लिये रखी गई है। मुझे खुशी है कि एक गैर सरकारी बोर्ड इस राशि के प्रबन्ध के लिये बनाया गया है। मेरा निवेदन है कि यह बोर्ड ऐसी स्थितियां उत्पन्न करे कि यह काम सुचारु रूप से हो सके । परन्तु कई काम बार बार हो जाते हैं। इसको रोकने के लिये अच्छा होगा कि एक समाज सेवा विभाग बनाया जाय ।

खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की नियुक्ति होना एक सराहनीय बात है । गांवों को अपनी आवश्यकता में स्वावलम्बी बना कर ग्राम-विकास सर्वोत्तम रूप में हो सकता है। गांधी जी ने अर्थ शास्त्र नहीं पढ़ा था परन्तु वह देश की निर्धनता को जानते थे और उनका विश्वास था कि खादी तथा ग्राम उद्योग ही से यह दूर हो सकती है । हम सुनते हैं कि बनी हुई वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है पर यह अचम्भे की बात है कि शिक्षित व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में बेकार हैं। इसका अर्थ है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है । मैं आशा करती हूं कि माध्यम शिक्षा आयोग इस समस्या का कोई हल निकालेगा ।

सम्पदा शुल्क विधेयक हमें यह यज्ञ करने का अवसर देता है । धन उनके लिय ही वरदान है जो उसका उपयोग ज़रूरत-मन्दों के लिये करते हैं । भागवद्गीता में कहा गया है यज्ञ के वास्तविक अर्थ है 'त्याग' हमें आशा करनी चाहिए कि पंच वर्षीय योजना तथा धन जो निर्धनों आदि की सेवा में प्रयोग होगा, हमारा 'कामधेनु' होगा । यदि भारत की नींव भूदान यज्ञ की प्रविधि के आधार पर

रखी जाती है तो देश में किसी के भी साथ कोई झगड़ा नहीं होगा अपितु प्रत्येक के प्रति सद्भावना की ही सरिता उमड़ेगी ।

श्री के० एल० मोरे (कोल्हापुर व सतारा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : हमारे देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं की ओर वास्तविक पहुंच निकालने के लिये माननीय वित्त मंत्री को बधाई अवश्य मिलनी चाहिए। उन्होंने हल में तथा जन साधारण में यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर दिया है कि वह परिस्थिति के पूर्ण ज्ञाता हैं और आर्थिक वर्ष ऐसे सागर के अशान्त जल से सुरक्षित पार हो जायेंगे।

उन्होंने अपने कठिन परिश्रम तथा उत्पादकीय वृद्धि से योजना को आयव्ययक में सम्मिलित कर लिया है। मैं उन व्यक्तियों से सहमत नहीं हूं जो घाटे का आयव्ययक बनाने के लिये वित्त मंत्री को दोषी ठहराते हैं ।

अपने राज्य की समस्या के सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री को कोयना-जल-विद्युत योजना के लिये धन व्यवस्था करने तथा दुर्भिक्ष के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के लिये हार्दिक वधाई देता हूं। जैसा कहा जा चुका है कि योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि तथा समान वितरण करना है। कृषि हमारे देश की ८० प्रति शत जन संख्या को प्रभावित करती है और अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग है। ऋण सुविधाओं की मांग बढ़ रही है और आजकल जो ऋण सुविधायें उपलब्ध हैं वे अपर्याप्त हैं। अतः उत्पादन क्षेत्र में और भी उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिये सरकार को ग्राम-अर्थ-व्यवस्था में यथाशीघ्र प्रगति करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार को कृषि वस्तुओं के अनुचित मूल्य के विरुद्ध गारन्टी देनी चाहिए तथा भूमि समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

मुझे खेद है कि वित्त मंत्री ने अब भी तम्बाकू पर अन्तः शुल्क सम्बन्धी नीति में संशोधन नहीं किया है। ९४ करोड़ रुपये के सम्पूर्ण राजस्व में ३५ करोड़ रुपये केवल तम्बाकू शुल्क से प्राप्त होता है। इतने पर भी सरकार ने तम्बाकू के कृषिकों तथा व्यापारियों की कठिनाइयों को दूर करने की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है। इन कठिनाइयों की जड़ यह है कि अन्तः शुल्क मुख्य कर तम्बाकू पर, समान सिद्धान्तों के आधार पर नहीं लगाई जाती और न ही इसका लगाना दृढ़ प्रशासकीय नीति पर होता है। शुल्क लगाने सम्बन्धी इस भेद भाव ने अनेकों दुष्टाचार फैला दिये हैं और सरकार को राजस्व भी थोड़ा मिलता है। यदि समान शुल्क लगाई जाती है तो अधिकतर कठिनाइयां दूर हो जायेंगी तथा केन्द्रीय अन्तः शुल्क विभाग के खर्च में भी भारी कमी होगी ।

हम देखते हैं कि मिले हुए क्षेत्रों में, और मिले हुए प्रदेशों में भी निष्कासन के मामले में भेदभाव रखा गया है। उदाहरण के लिये पूना-क्षेत्र में कुछ श्रेणियों का निष्कासन छः आने पर होता है जब कि जयसिंहपुर आदि क्षेत्रों में यह दर लागू नहीं है और इसके फलस्वरूप कृषिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए तथा कृषिकों को ऐसी ही वस्तुएं उत्पन्न करने का अवसर मिलना चाहिए।

पंच वर्षीय योजना में कहा गया है कि काम चाहने वालों को काम प्राप्त करने का अधिक अवसर दिया जायगा। परन्तु इसमें काम देने की गारन्टी की कमी है। अतः मेरा सुझाव है कि हमारे देश की विकास

[श्री के० एल० मोरे]

योजना में काम देने की दृढ़ योजना होनी चाहिए ताकि देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिये जीवनयापन के साधन की गारन्टी हो ।

श्री मगन लाल बागड़ी (महासमुन्द) : उपाध्यक्ष जी, तथा अर्थ विभाग के मंत्री महोदय जी, क़रीब क़रीब कांग्रेस के जितने मेम्बर यहां एम० पी० बन कर आये हैं और जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया है, सब इस बात को मानते हैं कि जो अर्थ व्यवस्था है वह देश के ग़रीबों के हितों में नहीं जा रही है और न ग़रीब को किसी तरह से राहत दिला रही है । तो फिर यह सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है मैं भी इसको मानता हूं कि जो हमारी अर्थ व्यवस्था है वह अर्थ व्यवस्था देश के ग़रीबों के हित में नहीं जा रही है । और देश में बहुत बड़ा असंतोष है । तो फिर देश में इतना बड़ा असंतोष है तो हमको सोचना है कि जो हमारी अर्थ व्यवस्था जो इस तरीके से चल रही है क्या वह वैसी ही चलेगी या उसमें परिवर्तन होना चाहिए । उसमें परिवर्तन करने की बहुत सख्त जरूरत है । अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो आप फिर भ्रष्टाचार की बात करते ही रहेंगे । आप के पास पैसा कम है और आप बड़ी बड़ी अपनी प्लानिंग करते रहिये, लेकिन न कोई नतीजा निकलेगा और न देश का भ्रष्टाचार बन्द होगा और न देश को किसी किस्म की राहत मिलेगी, क्योंकि जो आज की अर्थ व्यवस्था है उस अर्थ व्यवस्था की जो बुनियाद है वह पूंजीवाद की तरफ जा रही है, अगर उसकी बुनियाद पूंजीवाद की तरफ जाती है तो फिर आप कभी इस बात का विश्वास नहीं कर सकते कि देश के ग़रीब किसानों को, इस देश के मजदूरों को, और इस देश के मध्यम वर्गों को राहत मिलेगी । नहीं मिल सकती और जो भ्रष्टाचार चल रहा है वह भ्रष्टाचार भी बन्द नहीं हो सकता है ।

जो आज हमारी अर्थ व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में हमारे बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि हम पूंजीवाद की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे अर्थ विभाग के जो मंत्री हैं, उनकी नीति, उनकी पालिसी, बराबर धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ मुल्क को ले जा रही है । अगर यह कायम रहती है तो फिर कोई बात इस मुल्क में ठीक तरीक़े से नहीं हो सकती बल्कि जैसा कि आम तौर से कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं वही हालत रहेगी। हम तो विरोधी हैं, हम को तो कहने का हक़ है ही । लेकिन आप में से ज्यादातर लोग रोज़ाना बहस में कहते हैं कि देश की हालत बहुत खराब है, हम नाज़ुक स्थिति से गुज़र रहे हैं, यह बात आप सब महसूस करते हैं, लेकिन यह नहीं सोचना चाहते कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस को रोकने की क्या तरक़ीब है। हम लोगों ने, विरोधी लोगों ने, बार बार आपके सामने यह चीज़ रखी कि इस देश के अन्दर, इस भारतवर्ष के अन्दर, इस कृषी प्रधान देश के अन्दर, पूंजीवाद अर्थ व्यवस्था नहीं चल सकती । इसमें समाजवादी अर्थ व्यवस्था ही आप को लागू करनी चाहिए । लेकिन आप बहुमत पार्टी के लोग हैं । आप हमारी दलीलों को सुनना नहीं चाहते और केवल यह कह कर कि चूंकि हम विरोधी दल के लोग हैं, आप की टीका करना ही हमारा कर्त्तव्य है, देश के हित की बात हम नहीं करते, ऐसा आप का ख्याल है और इस ख्याल को रख कर ही आप हमारी बातों की उपेक्षा करते हैं, और उसका नतीजा मुल्क को भुगतना पड़ रहा है ।

आज मुल्क असंतोश की राह पर बढ़ रहा है और आज की अवस्था यहां तक पहुंच गई है कि मुल्क को और जनता को कांग्रेस पार्टी पर जो विश्वास था, वह आज नहीं है । पन्द्रह अगस्त सन् १९४७ के दिन लाखों करोड़ों

देशवासियों ने आजादी का दिन मनाया था, लेकिन आप देखते हैं कि पन्द्रह अगस्त सन् १९५२ को वह विश्वास और इतमीनान की भावना दिखाई नहीं देती और आखिर इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? जब से देश को स्वतंत्रता मिला है, तब से आप की पार्टी ही राज्य करती आ रही है और कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का राज्य यहां पर नहीं रहा। आप इन सब बातों पर सोचना नहीं चाहते। आप को ७०० करोड़ रुपया इनकम टैक्स की शक्ल में बड़े बड़े सेठ, साहूकार और पूंजीपतियों से वसूल करना था, लेकिन आप उनसे कुल ७० करोड़ रुपया वसूल कर पाये और वह भी कम्प्रोमाइज और सुलह के द्वारा वसूल किया गया, आप के पास इतनी बड़ी फोज और पुलिस आदि होते हुए भी आपने ७० करोड़ रुपया कम्प्रोमाइज और सुलह के द्वारा उन पूंजीपतियों और सेठों से वसूल किया। मैं जानता हूं कि दिल्ली के एक सेठ साहब पर ६० लाख रुपया इनकम टैक्स का आता था, लेकिन हमारे मंत्रालय ने १२ लाख ले कर सेटिलमेंट कर लिया। उसी तरह मैं आप को बतलाऊं की मध्य प्रदेश में रायगढ़ के एक साहूकार के ऊपर ८० लाख रुपया इनकम टैक्स का निकलता था, लेकिन हमारे यहां के कुछ कांग्रेस एम० पीज़० के बीच में पड़ने की वजह से तीस पैंतीस लाख रुपये में सेटिलमेंट किया गया.....

श्री त्यागी : यह बिलकुल गलत बात है।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर—मध्य) : यह एक माननीय सदस्य पर आक्षेप है। इस प्रकार आक्षेप करना उचित नहीं है।

श्री त्यागी : उन्हें अपना आरोप प्रमाणित करना चाहिए। मुझे अत्यन्त खेद है।

श्री मगन लाल बागड़ी : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री जी० पी० सिन्हा (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची) : उन्होंने एक संसद् सदस्य पर आरोप लगाया है। या तो उन्हें उसे प्रमाणित करना चाहिए तथा सम्बन्धित संसद् सदस्य का नाम बता देना चाहिए अथवा अपना आरोप वापिस ले लेना चाहिए।

श्री मगन लाल बागड़ी : यह कोई जरूरी नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य मंत्रालय पर तथा इस सदन के माननीय सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं। यदि इन आरोपों के प्रमाण उनके पास नहीं हैं तो उन्हें ऐसे आरोप नहीं करने चाहिएं। यह इस सदन की प्रथा है। माननीय सदस्य ने किसी का नाम नहीं लिया यह तो और भी आपत्तिजनक बात है। वे चाहें तो मंत्री जी को लिख सकते हैं और उन्हें नाम तथा आरोपों के प्रमाण बता सकते हैं। यदि उनके पास प्रमाण नहीं है तो उन्हें इन आरोपों को वापिस ले लेना चाहिए।

श्री मगन लाल बागड़ी : मैं इसका सबूत दे सकता हूं और अगर वह सबूत ग़लत होंगे तो मैं सजा पाने के लिये तैयार हूं।

श्री जी० पी० सिन्हा : नाम बता दीजिये।

श्री मगन लाल बागड़ी : नाम मैं नहीं बताऊंगा, सबूत देने को मैं तैयार हूं, आप इनक्वारी करायें और मैं सबूत दूंगा और अगर सबूत ग़लत निकले तो आप मुझे उसके लिये सजा दे सकते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरी राय में माननीय सदस्य का कहना है कि वे हमें नाम

[श्री सी० डी० दशमुख]

बतायेंगे किन्तु अभी इस वक्त सदन को नहीं बतायेंगे ।

सभापति महोदय : वे यह कह चुके हैं और आगे उन्होंने यह भी कहा है कि यदि उनके आरोप ग़लत निकले तो सज़ा पाने के लिये तैयार हैं ।

श्री मगन लाल बागड़ी : मैं आप से कह रहा था कि हमें जहां सात सौ करोड़ रुपये वसूल करने थे, वहां हम केवल सत्तर करोड़ रुपये ही वसूल कर पाये ।

दूसरी तरफ हमारे मुल्क में आये दिन बैंक्स फेल हो जाते हैं और उन बैंको में बहुत काफ़ी रुपया मध्यम वर्ग के लोगों और ग़रीब किसानों का रहता है और इस तरह यह बैंक्स जो आये दिन अपनी गलती से, किसी ग़लत धारणावश या बेइमानी करके जो ऐसी कार्यवाही करते हैं उससे मुल्क के उन लोगों का जो बैंकों में रुपया जमा करते हैं, बैंक्स फ़ेल हो जाने से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और उनका रुपया डूब जाने से उनके अन्दर असन्तोष की भावना बढ़ती है । कई बार समाजवादी पार्टी ने आप से कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, राष्ट्रीयकरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप को पैसे की जरूरत है और यह पूंजीपति लोग एक एक, दो दो बैंकों को खोल कर जनता के पैसे के ऊपर जो लाखों करोड़ों रुपये का व्यापार करते हैं, उससे देश को काफ़ी नुक़सान होता है लेकिन खेद का विषय है कि सरकार का ध्यान उधर नहीं जाता और यह सारी चीज़ें बतलाती ह कि आप किधर जा रहे हैं और आपकी नीति क्या है और आप किन सिद्धान्तों पर अपनी अर्थ व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं ?

इसी तरीके से अगर आप पे कमीशन की रिपोर्ट को देखें तो मालूम पड़ेगा कि जहां पर थर्ड डिवीज़न क्लर्क्स की तनख्वाह साठ से घटा कर पचपन रुपये करने का सवाल था, उसको गवर्नमेंट ने फ़ौरन इम्पलीमेंट कर दिया और साथ ही जहां पर बड़े बड़े सरकारी अफ़सरों की तनख्वाहों को बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, उसको भी फ़ौरन अमल में लाया गया, लेकिन आपने उस मध्यम वर्ग के क्लर्क की बात नहीं सोची जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन की बैक बोन है और जो एडमिनिस्ट्रेशन की एफ़िशियेन्सी को बनाता है और आपकी हुकूमत को सफाई से चलाने की जिम्मेदारी जिस पर आती है, उसके पेट के सवाल पर आपने ग़ौर नहीं फरमाया कि उसकी हालत में भी कुछ सुधार किया जाय । यह सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि आप किधर जा रहे हैं और आप देश में पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप सब से पहले इस बात पर सोचिये कि आप के जो सरकारी मुलाज़िम हैं, वह कैसे पेट भर खा सकें और कैसे उनके बाल बच्चे आराम से जीवन व्यतीत कर सकें और मैं समझता हूं कि जब ऐसी व्यवस्था आम कर देंगे तब यह जो घूसखोरी है वह भी खत्म हो सकती है और कम हो सकती है, अगर आप ऐसा न करके उनमें घूस खाने की मनोवृति पैदा करने का अवसर देते ह और फिर यहां पर हम बैठकर कहते हैं कि आज सब जगह घूसखोरी और रिश्वत चलती है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इसलिये मैं ने आप से अभी अर्ज किया था कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं ।

इसी तरीके से हमारी हुकूमत में जो छोटे छोटे अंग हैं और जो किसानों और मज़दूरों से डीलिंग करते हैं, वहां क्या हालत हो रही है, एक किसान को अगर खजाने

के अन्दर रुपया जमा करना होता है और अगर वह भल से एक या दो आना कम जमा कर जाता है तो होता यह है कि सरकार को वह एक आना या दो आना उस किसान से वसूल करने के लिये कम से कम तीन, चार रुपया खर्च करना पड़ता है। उस किसान को एक आना या दो आना जमा करने के लिये चार रुपये राह में खर्च करने पड़ते हैं और इस व्यवस्था के कारण हम देखते हैं कि देश के अन्दर असंतोष फैला हुआ है।

मिलों के अन्दर हम देखते हैं कि आप ने जो मजदूरों को राहत दिलाई है वह पूंजीपतियों से दिलाई। उसके लिये आपने कानून बनाये, फैक्टरी ऐक्ट लागू किया, लेकिन उसमें पूंजीपति मुनाफा बचाने के लिये और अपना मुनाफा कम दिखाने के लिये ग़लत तरीके का हिसाब किताब अपनी मिलों में रखते हैं, इस तरह से इनकम टैक्स से बचत करते हैं और उधर मज़दूरों को बोनस न मिल पाये, इसलिये घाटे की सारी चीजें आपके सामने पेश करते हैं और मुनाफा शो नहीं करते, इस तरह की यह पूंजीपति मिल मालिक गड़बड़ी करते हैं और आपकी मंशा पूरी नहीं हो पाती।

हमारी पार्टी ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का राष्ट्रीय करण करने के लिये मांग की, लेकिन आपने हमारी न सुनी और इस तरह करप्शन और भ्रष्टाचार को बढ़ने का अबसर दिया। आप समझते हैं कि पूंजीपति आपके साथ हैं लेकिन मैं आपको चेता देना चाहता हूं कि आज पूंजीपति आपके साथ नहीं हैं वह आप के साथ बेईमानी करते हैं, आप उनके साथ सुलह करते हैं, उनको राहत देते हैं मेरा कहना है कि बुनियादी नीति में जब आप परिवर्तन करेंगे तो देश के अन्दर जो असंतोष है वह असंतोष दूर होगा और यह परिवर्तन समाजवादी अर्थ-व्यवस्था लागू करने से ही हो सकता है और किसी दूसरे तरीके से नहीं हो सकता है।

श्री त्यागी : क्या मैं आप की इजाज़त से पूछ सकता हूं कि मेम्बर साहब जो सात सौ करोड़ रुपये बता रहे हैं, तो यह फ़ीगर वह कहां से लाये हैं, सात सौ करोड़ कहां और किस पर वाजिब था, मैं नहीं समझ सका।

श्री मगन लाल बागड़ी : सात सौ लाख रुपया जिस में से सत्तर लाख आपने वसूल किया।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य के कहने का मतलब यह है कि देय राशि ७ करोड़ रुपये की थी और उन्होंने केवल ७० करोड़ रुपये वसूल किये हैं ?

श्री त्यागी : यह कैसे संभव है ?

श्री कक्कन (मदुरई-रक्षित अनुसुचित जातियां) : सर्व प्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं और मेरा विचार है कि वह देश के विकास के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

पहिले मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान मद्रास राज्य में खाद्यान्न की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्षा न होने तथा फसलों के नष्ट हो जाने के फलस्वरूप दक्षिणी जिलों में स्थिति गम्भीर हो गई है। कुछ भागों में तो पीने के पानी की भी कमी है : अतः वित्त मंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि वह राज्य के उस क्षेत्र से खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिये मद्रास राज्य को अधिक सहायता तथा ऋण दें। मैं जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने १ करोड़ का ऋण देने का वायदा किया था परन्तु वह समय पर न दिया गया। मैं तो केवल यही कहूंगा वायदा समय पर पूरा होना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह पैरियर विद्युत योजना तथा अमरावती

[श्री कक्कन]

योजना के लिये पूंजीगत ऋण दें—इन्हें अन्य योजनाओं सहित पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये मद्रास सरकार द्वारा प्रार्थना की गई थी। पैरियर योजना का उद्देश्य सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं का विकास करना है। त्रावनकोर-कोचीन तथा मदरास सरकारों के बीच एक समझौता हो गया है अतः इस योजना को कार्यान्वित करना सरल है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ३०० गांवों में सामूहिक विकास योजना बड़ी ही सफलतापूर्ण चल रही है। मैं आशा करता हूं कि एक या दो वर्ष में योजना के अच्छे परिणाम दिखाई देने लगेंगे और उस क्षेत्र में खाद्यान्न का अधिक उत्पादन होगा।

कृषि मजदूरों के लिये गृह व्यवस्था योजना के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इनके पास रहने के लिये उचित घर नहीं है। तंजोर जिले में साम्यवादी हरिजनों को यह कह कर बहका रहे हैं "तुम्हारे पास रहने के लिये उचित घर नहीं है। यह सरकार की ग़लती है"। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह कृषि मजदूरों के लिये गृह-व्यवस्था-योजना के लिये अधिक धन दें।

भारत सरकार को मैं सुझाव देता हूं कि वह रिजर्व बैंक आफ इंडिया से केन्द्रीय बैंकों को अधिक ऋण देने के लिये कहे और इस प्रकार बन्धक बैंकों को अधिक ऋण दे। केवल इस प्रकार ही गरीब किसानों को अधिक ऋण मिलेगा और वे अपनी भूमि में सुधार कर सकेंगे। अन्त में मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह मदरास नगर से गन्दी बस्तियों को साफ करने के लिये ऋण दें

श्री बिदारी (बीजापुर दक्षिण) : वित्त मंत्रालय का काम करने का ढंग अत्यन्त सराहनीय है। वाशिंगटन स्थित पुनः निर्माण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अधिकोष के अध्यक्ष ने भी इसकी सराहना की है। अब स्पर्धा काल समाप्त हो गया है अथवा धीरे से समाप्त होने वाला है और सहकारिता काल आरम्भ हो गया है। अब तक सहकारी कार्यवाही के क्षेत्र का प्रसार ध्यान देने योग्य नहीं था। सहकारी बैंकों के पास प्रयोग के लिये बहुत थोड़ा धन था और प्रक्रिया के नियम बड़े ही कठिन थे।

पंचवर्षीय योजना में सहकारिता-आन्दोलन को राष्ट्र के पुनः निर्माण में मुख्य स्थान दिया गया है। प्रारम्भिक अवस्था में राष्ट्रीय जीवन सहकारिता के बढ़ते हुए महत्व के कारण गुटबन्दी होना स्वाभाविक ही है परन्तु इन व्यक्तिगत बुराइयों को सहकारिता की प्रशिक्षा का उत्तम प्रबन्ध करके तथा प्रारम्भिक सदस्यों को सहकारी सिद्धान्तों की शिक्षा दे कर दूर किया जा सकता है। यदि यह नीति सत्य करती है कि कृषक ही भूमि के स्वामी हों तो रिज़र्व बैंक आफ इंडिया को ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिये धन की व्यवस्था करने का अधिक प्रयत्न करना चाहिए।

मेरे राज्य में कमी इतनी फैल गई है कि भयानक परिस्थिति का सामना करना बहुत ही कठिन हो गया है। केन्द्रीय सरकार भी घटे दामों पर खाद्यान्न देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहायता कर रही है। परन्तु निर्वाह-मजदूरी मजदूर और उस के आश्रितों को भोजन नहीं दे सकती। इस के अतिरिक्त कृषक को स्वयं को तथा अपने पशुओं को जीवित रखना होता है। कृषक बेजान हो चुका है, उसके पशु निर्बल हो गये ह तथा भूमि की उपज-शक्ति क्षीण हो गई है।

पंचवर्षीय योजना की समस्त योजनायें मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों के लिये हैं जो पहले से ही विकसित ह। गरीब देश के योजना-निर्माताओं

के लिए यह सोचना सराहनीय है कि वे न्यूनतम धन से अधिकतम लाभ उठायें परन्तु इससे जन-कल्याण-राज्य के आदर्श पर परदा पड गया है। हमें दूसरों की समृद्धिता से ईर्या नहीं है। हम विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों पर अधिकार पाने की योग्यता रखते हैं। यदि सरकार शक्ति एकत्रित करने में सहायता दे, तो हम केवल अपूर्ण क्षति को ही पूरा नहीं करेंगे अपितु हमारे क्षेत्र व्यापारी नगरों आदि को खाद्यान्न भेजने वाले खाद्यान्न के गोदामों में बदल जायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

बहुत से माननीय सदस्यों को जनता के सहयोग का संदेह है। एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिसमें साधारण पुरुष तथा स्त्री के प्रभाव को पर्याप्त रूप से अनुभव किया जाये। जन-कल्याण-राज्य की ओर जाने वाला यह वास्तविक पथ है। योजना आयोग ने सहकारी संस्थाओं के बनाने तथा ग्राम पंचायतों की स्थापना का विशेष उल्लेख किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। मुझे मंत्री महोदय से अब उत्तर देने के लिये कहना चाहिए।

श्री सी० डी० देशमुख: वित्तीय समस्याओं पर जब इस सदन में तथा अन्य सदन में वार्ता हो रही थी तो यह सोच कर मुझे मानसिक थकावट अनुभव हो रही थी कि अधिकतर आलोचनायें वही हैं जो पहले की जा चुकीं तथा जिनका विस्तारपूर्ण उत्तर दिया जा चुका है। यह कथन विशेष रूप से कम्यूनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में लागू है। वित्तीय या किसी अन्य क्षेत्र में सरकार कुछ भी करे तो वे तुरन्त कोई न कोई अनुचित अर्थ लगा लेते हैं। संसार के विभिन्न देशों की विभिन्न आर्थिक प्रणालियों का मैंने अध्ययन किया है और मैं कह सकता हूं कि अनुकूल परिस्थितियों में अनेक प्रणालियों को संचालित किया जा सकता है तथा उससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु देखना तो यह है कि क्या इस देश की परिस्थितियों में, किसी प्रणाली विशेष, न कि आर्थिक प्रशासन के एक असनातनी प्रकार, का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत विचार

६ म० प० करने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि न तो साम्यवाद से न समाजवाद से न इनके किसी और परिवर्तित रूप से इस देश में कार्य लिया जा सकता है। कम्यूनिस्ट पार्टी के तर्कों के सम्बन्ध में मेरा विश्वास है कि मैं कुछ भी कहूं, उन को कभी सन्तोष नहीं हो सकता है। तेलेगू में एक मसल है कुत्ते की दुम को चाहे जितना खींचो वह कभी सीधी नहीं होती। मेरा विचार है कि कम्यूनिस्ट अर्थ प्रणाली के सम्बन्ध में इन के विचार आवश्यकता से अधिक आशावादी हैं। यह लोग सम्भवतः यह कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे कि ऐसे अर्थ प्रणाली के लिये अनावश्यक रूप से कुछ वे तत्व तथा जनता को ऐसी कठिनाइयों के सामना करने की आवश्यकता पड़ेगी जैसी कि किसी वास्तविक लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में सहन नहीं की जा सकती। इसलिये मेरा विचार है कि यदि कभी दुर्भाग्यवश इस देश में कम्यूनिस्ट शासन स्थापित हुआ तो एक बडे काल तक जनता को जीवन के स्तर की गिरावट सहन करनी पड़ेगी। इस प्रकार की बात कहने से मेरा आशय उन देशों की सफलताओं के महत्व को कम करना नहीं है जहां इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था संचालित है।

योरप के हाल के आर्थिक परिमाप का जिसने भी अध्ययन किया है वह देखेगा

[श्री सी० डी० देशमुख]

कि कम्यूनिस्ट क्षेत्र में भी जो उन्नतियां की गई हैं वह कई योजनाओं को पूरा करने के बाद सम्भव हो सकी हैं। मेरे विरोधी दलों के माननीय सदस्य अत्यधिक रूप से असन्तोष पूर्ण हैं। सामाजिक गण-राज्यों के संयुक्त राज्य की योजनाओं तथा चीनी योजनाओं को यदि कोई देखे तो उसे मिलेगा कि समय समय पर उन देशों के नेताओं ने अनुचित असन्तोष की निन्दा की है। चीनी सार्वजनिक गणतन्त्र के एक अधिकृत प्रकाशन में कहा गया है कि सारे अच्छे उद्देश्य एक साथ नहीं प्राप्त किये जा सकते। परन्तु मैं कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्यों से इस सम्बन्ध में कोई लम्बी चौड़ी बहस करने को तैयार नहीं हूं।

यदि हम कहें कि हमारी एक मिली जुली अर्थ व्यवस्था है तो वे कहेंगे कि आपका काम एक मिश्रित अर्थ व्यवस्था चलाना नहीं है। यदि हम पूंजी के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये सुविधायें देते हैं तो कहते हैं कि सारे पूंजीपति हमारे दास हैं या यह कहते हैं कि सरकार पूंजीपतियों की चेरी है।

इसी प्रकार प्रजा सोशलिस्टों के सम्बन्ध में कहते यह हैं कि वे संविधान तथा लोकतन्त्र के आधीन काम करना चाहते हैं तथा उनके व हमारे अन्तिम लक्ष्यों में भी कोई बड़ा अन्तर नहीं है फिर भी वास्तविकता यह है कि व्यावहारिकता के सम्बन्ध में हमारा उनका मतभेद है तथा इस बात की ओर भी समय समय पर निर्देश किया जा चुका है। आपको आवश्यकता न केवल नेतृत्व की है वरन् आपको मनुष्यों तथा शासन यंत्र के बड़े बड़े संसाधनों की भी आवश्यकता है तथा इन्हीं कठिनाइयों के कारण विस्तृत राष्ट्रीयकरण सम्भव नहीं है। एक चौथी आलोचना छोटे छोट दलों के सदस्यों तथा स्वतन्त्र सदस्यों की ओर से की गई है। कुमारी एनी मस्करीन ने संसद् कार्यमंत्री तथा उन के कर्मचारियों की बड़ी तीव्र आलोचना की है परन्तु मुझे भय है इस माननीया महिला सदस्या ने उस कार्य को समझने का प्रयत्न नहीं किया है जो इन लोगों को करना पड़ता है।

जैसा आपको ज्ञात है, श्रीमान्, प्रधान सचेतक तथा उस के विभाग का कार्य प्रकाश में नहीं आता है न सदन को अथवा जनता के सामने रखा जाता है परन्तु इसका कोई कारण नहीं है कि सदन के सदस्यों को उसकी सूचना न हो।

एक ओर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विधि मंत्रालय के उपलेख तैयार करने वालों तथा दूसरी ओर संसद् के दो सचिवालयों के बीच अनेक छोटे छोटे समायोजन करने होते हैं। सब मंत्रालयों को सन्तुष्ट करना जो अपने अपने विधेयकों के लिये प्रथम स्थान चाहती हैं उन सब को सन्तुष्ट करना आसान नहीं है। संसद् कार्यमंत्री का ही कार्य है कि वह इस की चिन्ता करे कि संसदीय यंत्र ठीक ठीक चलता रहे तथा वही उसके दैनिक कार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिये उत्तरदायी है। यदि अन्तिम घड़ी में कोई अकल्पित समायोजन करना पड़े तो उसे भूल नहीं कहा जा सकता उदाहरण के लिये राज्य परिषद् के सत्र के सम्बन्ध में जो शिकायत की गई है उसको दूर नहीं किया जा सकता था क्योंकि जिस समय कार्यक्रम बनाया गया था किसे पता था कि लोक सभा को पेप्सू आयव्ययक लेखा तथा कुछ अन्य आवश्यक प्रस्ताओं को लेना पड़ेगा।

मैं यह बताना चाहता हूं कि चालू सत्र आयव्ययक सत्र है तथा लोक सभा में बहुत

परिमाण में वित्तीय कार्य ऐसा होता है जो राज्य परिषद् में वादविवाद के लिये नहीं रक्खा जाता है । पहले जब दोनों सत्रों की योजना बनाई गई थी तो आशा यह की जाती थी कि लोक सभा कुछ विधेयक पारित कर चुकेगा जो राज्य परिषद् में चले जायेंगे जब वह एक अल्प स्थगन के पश्चात् पुनः समवेत होगा मेरा विचार है कि अनुमान किया जाता था कि वह तिथि १० होगी । दुर्भाग्यवश पेप्सू के प्रशासन के राष्ट्रपति के द्वारा अपने हाथ में लिये जाने तथा उस के सम्बन्ध में विधियों को पारित करने के कारण यह अवस्था आने ही नहीं पाई । क्योंकि ३१ मार्च १९५३ के पूर्व पेप्सू सम्बन्धी विनियोग विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित कराना था इसलिये २५ मार्च, ही को राज्ज परिषद् को बुलाना पड़ा । पहले विचार यह था कि राज्य परिषद् १० अप्रैल तक समवेत की जायेगी । मैं संसद् कार्यमंत्री के संसर्ग में रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि यद्यपि उनका विभाग बहुत छोटा है, फिर भी उनको बहुत आवश्यक कार्य करना पड़ता है । संसद् के सत्रों का आयोजन करना, दोनों सदनों के दैनिक कार्य का प्रवन्ध करना, दोनों सदनों के सदस्यों से सम्पर्क रखना तथा संसदीय कार्य के सम्बन्ध में अनेक कार्यों में उनकी सहायता करना, इन सब कार्यों के अतिरिक्त इस विभाग को मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों के सम्बन्ध में प्रत्येक सामग्री का दोनों सदनों की कार्यवाहियों से संकलन करना पड़ता है तथा इसका ध्यान रखना कि यह वचन तथा आश्वासन कार्यान्वित किये जा रहे हैं या नहीं ।

एक माननीय सदस्य ने जो सम्भवतः प्रजासोशलिस्ट पार्टी के हैं अपने व्याख्यान में बहुत से आंकड़े दिये है । उन्होंने ७०० करोड़ से आरम्भ किया, तब ७०० लाख पर आये तब कहा ७० लाख तथा अन्त में सात लाख बताया । मैं आशा करता हूं कि हमें उन समस्याओं की जांच करने का अवसर देंगे जिनकी ओर उन्होंने निर्देश किया है । उन्होंने कहा तो यह है कि यदि जांच के बाद कोई बात गलत प्रमाणित हो तो वे दण्ड भोगने को तैयार है परन्तु मैं आशा करता हूं कि वे उन शब्दों को वापिस ले लेंगे तो क्षमा दान मांगेंगे ।

उस ओर से दिये जाने वाले व्याख्यानों में विस्थापित धनागारों की ओर निर्देश किया गया था । उन्होंने तीन बातें कहीं थीं । (१) यह कि इन धनागारों को कर्जे के भुगतान करने के मियाद बढ़ाने के लिये विधि बनाया जाय, (२) सरकार इन धनागारों के सारे देवधन को अपने ऊपर ले ले तथा इनका पाकिस्तान की इनकी सम्पत्ति के साथ समायोजन करा दे; (३) सरकार इन धनागारों को पाकिस्तान स्थिति सम्पत्तियों का एक भाग उनको दिला दें ।

विस्थापित व्यक्ति ऋण समायोजन विधेयक में पहले एक उपबन्ध था जिस के अनुसार अन्य विस्थापित व्यक्तियों के समान विस्थापित धनागार भी अधिकरण को अपने कर्जे कम करने का प्रार्थना-पत्र दे सकते थे । न्यायालयों द्वारा सम्मोदित व्यवस्था की स्कीमों में हेर फेर करने का उपबन्ध था । परन्तु प्रवर समिति में विस्थापित धनागार संघ ने कहा कि अपने ऋणग्रहीताओं से जो समझौता वे कर चुके हैं उस को एक बार फिर विधि की दृष्टि में विचारणीय नहीं बनाना चाहिये । इस प्रकार इन धनागारों के विस्थापित ऋण ग्रहीताओं को, जिन के साथ धनागार कोई समझौता कर चुका था, को अपने ऋण कम कराने की सहायता से वंचित कर दिया गया तथा इसके अनुरूप विस्थापित धनागारों के व्यवस्था की स्कीमों को दुहराये जाने का उपबन्ध भी हटा दिया गया । इसके अतिरिक्त विधेयक के खण्ड

[श्री सी० डी० देशमुख]

२९ में भी परिवर्तन कर दिया गया । इस प्रकार विस्थापित धनागारों को दिये जाने वाली कुछ ठोस सुविधाओं को ध्यान में रख कर विस्थापित धनागारों की व्यवस्थाओं के परिवर्तन का उपबन्ध हटा दिया गया । अतः हमारी दृष्टि में अब यह उचित न होगा कि अब फिर उसी सुविधा को देने के लिये एक अलग विधेयक तैयार किया जाय । न्यायालय की अनुमति से ऐसा पुनर्विलोक हमेशा किया जा सकता है । माननीय सदस्य की शिकायत थी कि न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने के पूर्व ऋणदाता जनों की स्वीकृति आवश्यक है और अब धनागार चाहते हैं कि विधि बना कर इस आवश्यकता को हटा दिया जाय ।

जो कुछ घटित हो चुका है उसके पश्चात् मेरी समझ में और सुविधायें देना उचित न होगा । जहां तक अन्य दोनों सुझावों का सम्बन्ध है हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक निराक्राम्य सम्पत्ति का सारा प्रश्न हल न हो जाय पाकिस्तान स्थित किसी सम्पत्ति का प्राप्त करना कितना कठिन है । परन्तु मेरा तो विश्वास है कि सरकार में यदि क्षमता भी हो तो भी सरकार को केवल पाकिस्तान से धनागार की सम्पत्ति को प्राप्त करने का भार नहीं लेना चाहिये ।

जहां तक श्री सोमानी के व्याख्यान का सम्बन्ध है मैं वित्तीय विधेयक पर वादविवाद होने के समय उनके द्वारा उठाये जाने वाले कपड़े के उत्पादन तथा ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करूंगा । उन्होंने उद्योग के पुनर्वास के लिये अपेक्षित वित्त के दूसरे विषय पर बार बार जोर दिया है । हमारा विचार है कि इसके तथ्यों, आंकड़ों तथा सिद्धान्त के सम्बन्ध में उचित रूप से जांच तो केवल कर निर्धारण जांच आयोग जैसी विशेषज्ञ संस्था द्वारा ही किया जा सकता है । इस को वह समस्या को टालना कहते हैं । मैं ने उस फेडरेशन के ज्ञापन को बड़े ध्यान से पढा है । पहली कठिनाई तो यह है हमारे तथ्य तथा आंकड़े बहुत भिन्न हैं । साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि तात्कालिक सहायता की मुझे कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती है । मुझे विश्वास नहीं है कि यह विषय इतना आवश्यक है । अतः जो कुछ भी कहा गया है उस के बावजूद अन्धकार में भटकने तथा इस कार्य को किसी अन्य आयोग को जैसा योजना आयोग, सौंपने के बजाय मेरे विचार से सब से उत्तम रास्ता यही है कि कर निर्धारण जांच समिति की सिफारिशों के बाद जांच कराई जाय ।

मेरा विचार है कि विरोधी दल के सब व्याख्यानों के सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं अब मैं संक्षेप में इस ओर से दिये जाने वाले व्याख्यानों पर ध्यान दूंगा जिन में या तो प्रशंसा की गई है या कुछ शिकायतें बताई गई हैं जो ध्यान देने योग्य हैं । प्रशंसा के लिये मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं तथापि मैं अपने कठिन कार्य के करने में प्रशंसा तथा आलोचना दोनों ही के प्रति उदासीन हो गया हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री स्थिति प्रज्ञ हो गये ह ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं उस अवस्था में पहुंच रहा हूं श्रीमान् । मैं दो एक सदस्यों को, जैसे श्री बंसल तथा श्री पटेल, बनों तथा कोयले के संरक्षण की आवश्यकता पर अत्यन्त राजदर्शी व्याख्यान देने पर बधाई देता हूं । सामान्य रूप से योजना के साथ सम्बद्ध होने के अतिरिक्त यद्यपि यह वाद-विवाद की सीमा में नहीं आता था । परन्तु जैसा कि मुझे भूमि संरक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करते समय कहने का अवसर

मिला था यह भारत की सब से बडी समस्या है यदि हम जागृत न हुये और अभी से इस का उपाय करना आरम्भ न किया तो आने वाली पीढ़ियां जब इस समस्या को हल करना चाहेगीं तो इसका परिमाण एक हजार गुना बढ चुका होगा तथा इसमें कोई अतिशयोक्त नहीं है ।

लेखा परीक्षण के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने, संभवतः श्री रेड्डी ने, कहा है कि सरकार को चाहिये कि लेखा सम्बन्धी विषयों में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर ज्यादा भरोसा करे तथा विधान के अनुच्छेद १५० के अनुसार उस से परामर्श करे। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं सरकार का ध्यान इस आवश्यकता की ओर पहले से है तथा ऐसा सहयोग पर्याप्त मात्रा में , व्यवहार में उपस्थित है जैसा कि जन लेखा समिति के सदस्यों को ज्ञात है । मैं कह सकता हूं कि जन लेखा समिति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तथा वित्त मंत्रालय में बहुत घनिष्ट सहयोग स्थापित ह ।

कुछ सदस्य जानना चाहते थे कि स्वतन्त्रता के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने बचत करने के जो प्रयत्न किये उन का क्या परिणाम हुआ । जैसा कि मैं कह चुका हूं इन प्रयासों का परिणाम कौतुकपूर्ण नहीं हुआ है । जिस क्षेत्र में सबसे अधिक बचत की जा सकती थी वह है सुरक्षा, जिसके सम्बन्ध में सरकार पूरी सूचना देना उचित नहीं समझती है । परन्तु मैं इतना बता सकता हूं कि इस क्षेत्र में जो बचत की गई है वह करोड़ों की दो संख्याओं में है ।

अन्य मंत्रालयों में पहली स्थिति तो बचत समिति के प्रतिवेदन की थी ४,६०,००,००० रुपये की बचत की सिफारिश की गई थी परन्तु इस को कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि जब तक इन सिफारिशों पर विचार किया जाय बचत करने की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई तथा मेरे पूर्वाधिकारी जान मथाई ने प्रतिशतता के अनुसार कटौती करने का निर्णय कर लिया । यह दूसरी स्थिति थी । ७,३०,००,००० रुपये की बचत का प्रस्ताव किया गया । परन्तु पता यह चला कि प्रतिशतता के अनुसार कटौती करना व्यवहारिक रूप से लगभग असम्भव है । यद्यपि मंत्रालयों ने बड़ी अनिच्छापूर्वक इसको सहन कर लिया परन्तु अन्त में हमें पता चला कि हम इन कटौतियों को पूर्ण रूप से वसूल नहीं कर सके तथा कुछ दशाओं में तो हमें सदन के पास अनुपूरक अनुदानों के लिये जाना पड़ा । तीसरी स्थिति में मैं ने राजस्व तथा व्यय खण्ड के सचिव को विशेष जांच करने का आदेश दिया । उन्होंने ६,६७,००,००० रुपये की बचत का प्रस्ताव रखा जिसमें से ३,३४,००,००० रुपये की बचत करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । वास्तव में, कुछ परिस्थितियों के कारण, यह धनराशि भी पूरी पूरी वसूल नहीं की जा सकी । इसके बाद आने वाली स्थिति में मंत्रालयों ने स्वयं बचत के प्रस्ताव किये । उन्होंने २,२८,००,००० रुपये की बचत १९५०-५१ में तथा ३,१०,००,००० रुपये की बचत १९५१-५२ में करने का प्रस्ताव रखा । व्यय में जो कमी की गई वह अधिकतर योजनाओं की गति को घटा कर अथवा टाल कर तथा संमोदित नौकरियों में किसी को नौकर न रख कर तथा ऐसी ही रीतियों से । इस से यह प्रकट होता है कि सारी धनराशि वास्तविक बचत नहीं थी । और अब अन्तिम स्थिति यह है कि हमने एक बचत कार्यालय स्थापित किया है । यह तो लगातार कार्य करने वाला यंत्र है । इस का कार्य तदर्थ

[श्री सी० डी० देशमुख]

जांच जैसा नहीं है वरन् यह सदा ही एक न एक मंत्रालय के साथ व्यस्त रहता है तथा इस का कार्यदीर्घ काल में होने वाला है। अभी तक केवल थोड़े से मंत्रालयों में इस ने ८१·५४ लाख रुपये की बचत का प्रस्ताव रक्खा है। इस की सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है परन्तु लगभग एक तिहाई सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इस प्रकार जो परिणाम हैं वह कोई कौतुकपूर्ण नहीं हैं। केन्द्रीय आयव्ययक में ठेकों पर व्यय होने वाले ४० करोड़ रुपयों का ध्यान रखते हुये ही बचत की जा सकेगी। जो कुछ बचत की गई है उसके स्थान पर विकास सम्बन्धी तथा अन्य अवांछनीय सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय किया जा चुका है। अतः मैं यही कह सकता हूं कि बचत के साधनों की खोज की जा रही है हालांकि मैं इसी परिणाम पर पहुंचा हूं कि यह सारे प्रयास कभी भी कोई कौतुकपूर्ण प्रभाव नहीं दिखा सकेंगे।

सामान्य महत्व के विषयों की ओर भी, जैसे सामाजिक सुरक्षा इत्यादि, अनेक सदस्यों द्वारा भी निर्देश किया गया है तथा यह भी कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा के उपबन्ध अपर्याप्त हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं सामाजिक सुरक्षा में निहित सिद्धान्त से पूर्णतः सहमत हूं। सरकार मानती है कि एक जन कल्याण राज्य का उद्देश्य होना चाहिये कि गरीबी, बेकारी, अस्वस्थता, गंदगी तथा मूर्खता से व्यक्ति की अधिक से अधिक रक्षा करे। सर विलियम बीवरिज द्वारा इन पांच दैत्यों का उल्लेख किया गया है तथा इन को परास्त करने के लिये न केवल इच्छा की वरन् संसाधनों तथा संगठन की भी आवश्यकता है। इन के विकसित होने में समय लगता है। ऐसे देश में जिस में वेतन कम है, अर्थ व्यवस्था के औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्र स्वपेक्षतः छोटे छोटे हैं, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम का स्थान आरम्भ में तो सीमित ही होगा।

मुझे यह बताते हुये हर्ष होता है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा भविष्य निधि योजना द्वारा हम ने इस दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा योजनायें यदि विस्तृत रूप से ध्यान दे कर बनाई जायें तथा कुशलतापूर्वक संचलित की जायें तो इन में न केवल व्यक्तियों को—जैसे बीमा कराने वाले तथा उनके परिवार—लाभ पहुंचाने की क्षमता है वरन्, जो मेरे विचार से और भी महत्वपूर्ण है वह यह है कि इन में समाज के विनियोज्य संसाधनों को बढ़ा देने की भी क्षमता है जैसा कि इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि भविष्य निधि योजना से होने वाले संग्रह से हम औद्योगिक गृह व्यवस्था का प्रबन्ध कर सके हैं। मेरा विचार है कि कई देशों में सामाजिक सुरक्षा की निधियां विकास के संसाधनों को बढ़ाने में बहुत बडा सहयोग देती हैं। इन योजनाओं द्वारा अर्थ व्यवस्था में थोड़े थोडे समय पर आने वाले संकटों में काम आने वाला लचीलापन भी उत्पन्न किया जा सकता है। अल्पविकसित अर्थ व्यवस्था में जिसमें कर प्राप्त करने का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है, सामाजिक कल्याण करने का महत्वपूर्ण साधन यही सामाजिक सुरक्षा की योजनायें हो सकती हैं। अतः मैं इस विषय की पूर्ण रूप से जांच कराने का विचार रखता हूं जिससे पता चल सके कि अधिक से अधिक कौनसी मति से हम इस दिशा में बढ़ सकते हैं।

कुछ शिकायतें की गई हैं कि कर निर्धारण तथा लोक व्यय द्वारा राष्ट्रीय आय के फिर से होने वाले वितरण की गति बहुत ही कम है। इस विषय

में भी जहां तक उद्देश्य का प्रश्न है कम्यूनिष्ट सदस्यों से भी हमारा मतभेद न होगा तथापि और बातों को देखते हुये जिन पर हमारी दृष्टि है जिस गति से हम बढ़ रहे हैं उस के सम्बन्ध में मतभेद अवश्य होगा । मैं कुछ आंकड़े देता हूं जो मैं पहले भी दे चुका हूं । प्रत्यक्ष करों द्वारा भारी भारी आमदनियों का एक बड़ा भाग सार्वजनिक राजकोष में सम्मिलित किया जा रहा है । १९४०–४१ में ४०,००० रुपये से ऊपर की कुल आय जिस पर कर निर्धारण किया गया था ६८ करोड़ रुपया थी । इस में से २४ प्रतिशत आय-कर तथा अधिकर द्वारा ले लिया गया था । १९४८-४९ में इस प्रकार की आय का योग २७१ करोड़ रुपया हो गया जिस में से ४२ प्रतिशत आयकर तथा अधिकर के रूप में १९५१–५२ में राज पाने का अधिकारी था । कर निर्धारण को जाने वाली कुल का योग ३१७ करोड़ रुपया था जिस में ४८ प्रतिशत आयकर तथा अधिकर के रूप में ले लिया गया । इसका अर्थ है कि हम ने अनुपात ११ वर्षों में दूना कर दिया है । कर निर्धारण व्यवस्था में किस सीमा तक परिवर्तन करने की आवश्यकता है यह तो कर निर्धारण जांच आयोग के विचार करने की बात है परन्तु हमारा कहना है कि लोक व्यय की धारायें स्पष्ट हैं । केन्द्र तथा राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं तथा विकास पर किये जाने वाले व्यय का कुल व्यय से अनुपात कुछ ही वर्षों में बढ़ा हुआ है तथा जैसे जैसे योजना बढ़ती जायेगी तथा उस का संचालन गतिमान होता जायेगा यह अनुपात और भी बढ़ता जायेगा । अत: लोक व्यय के इस परिवर्तन तथा ऊंचे स्थानों में अधिक कर निर्धारण तथा राजस्व में सम्पदा शुल्क से होने वाली वृद्धि—इन सब पर विचार करने के बाद मैं आशा करता हूं कि सार्वजनिक वित्त का आय वितरण पर वही प्रभाव पड़ेगा जैसा कि हम चाहते हैं ।

साधारण व्यक्ति की क्रय नीति के सम्बन्ध में कुछ निर्देश किये गये थे । ध्यान देने की बात है योजना के काल में देश ने विनियोग सम्बन्धी व्यय का एक निश्चित मापमान निर्धारित कर लिया है । तथा इस के लिये अपेक्षित संसाधन उपलब्ध करने के लिये हमें उपभोग को कम करना ही पड़ेगा । सारे संसार में भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान काल में कुछ त्याग करना ही पड़ता है, चाहे वह कोई भी व्यवस्था क्यों न हो । अत: प्रश्न यह नहीं है कि अर्थ व्यवस्था में सारा उपभोग बढ़ाया जा सकता है या नहीं वरन् यह कि साधारण व्यक्ति का उपभोग बढ़ाया जा सकता है या नहीं । कठिनाई यह है कि हमारे देश का साधारण व्यक्ति सारे समाज का कोई छोटा अंश नहीं है जिसको शेष भाग पर बोझ डाल कर कुछ सहायता दी जा सके । प्रत्यक्ष कर निर्धारण की हमारी मुक्ति सीमा बहुत ऊंची है । यदि सदन सहमत हुआ तो इस वर्ष इसे ४,२०० रुपये से घटा कर ३,६०० रुपया कर दिया जायेगा । इसलिये केवल अप्रत्यक्ष कर निर्धारण के द्वारा ही साधारण व्यक्ति से, समाज की प्रशासन, सुरक्षा, सामाजिक सेवा तथा विकास की जैसी आवश्यकताओं के वित्तपोषण में सहयोग लिया जाता है । तथा मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है इस क्षेत्र में भी कर निर्धारण आयोग इन अप्रत्यक्ष करों के भार का परीक्षण करेगा तथा जो परिवर्तन आवश्यक होंगे उनका सुझाव देगा । मैं पहले भी सदन को बता चुका हूं कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लिये जाने वाले कर राष्ट्रीय आय का जो भी भाग है वह उस से बहुत कम हैं जसा कि वह अन्य देशों में होता है । यह ठीक है कि जब आय कम है तो कर निर्धारण का सीमान्त भाग भी कम होगा परन्तु जब कोई देश विकास का कार्यक्रम पूरा करने का निर्णय करता है तो यह बात अनिवार्य हो जाती है कि समाज का हर

[श्री सी० डी० देशमुख]

अंग अपने हिस्से का बोझ सहन करे । इस सम्बन्ध में मैं यौरप के आर्थिक परिमाप के नवीनतम संस्करण में पूर्वी यौरप की योजनाओं तथा नीतियों का जो सिंहावलोकन दिया गया है उस की ओर निर्देश करूंगा ।

यह देश अपनी राष्ट्रीय आय का २० प्रतिशत पूंजी निर्माण में लगा रहे हैं तथा वे अधिकतर मूल उद्योगों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं परन्तु टर्न ओवर टैक्स तथा लाभ से दिये जाने वाला भाग तथा टूट फूट के अलाउंस विनियोग के मुख्य साधन हो रहे हैं तथा इन देशों की योजनाओं में उपभोग सामग्रियों के उद्योगों को कम महत्व दिया जा रहा है जिस का परिणाम है कि उन का उत्पादन बढ़ने नहीं पाता है । विकास के प्रयत्नों के मापमान के सापेक्षता में उनके जीवन का स्तर कम ही बना रहता है । सोवियत रूस में पांचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विनियोग में भारी वृद्धि करना है । उपलब्ध आगणन के अनुसार १९५१—५६ के पंच वर्षीय काल में विनियोग की मात्रा १९४६—५० की अपेक्षा ९० प्रतिशत अधिक होगी । यू० एस० एस० आर० की पांचवीं पंचवर्षीय योजना जीवन-स्तर को बहुत ऊपर उठाने का विचार करती है परन्तु बहुत आगे बढ़े हुये पश्चिमी देशों की अपेक्षा फिर बहुत पिछड़ा हुआ रहेगा । मैं यह सारी बातें यह प्रकट करने के लिये कहता हूं कि यदि साधारण व्यक्ति के जीवन स्तर को भविष्य में ऊपर उठाना है तो यह आवश्यक है कि उससे कहा जाय कि देश जो प्रयत्न कर रहा है उस में अपना योग दे इस के बिना कोई चारा नहीं है ।

इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं कि किस सीमा तक साधारण व्यक्ति को सहायता देना आवश्यक तथा संभव है तो हम कह सकते हैं कि सीमा शुल्क का सारा भार साधारण व्यक्ति पर नहीं पड़ता है । उदाहरण के लिये मैं ने तथा श्री बंसल ने बताया है कि निर्यात शुल्क का प्रभाव केवल विदेशी आयात करने वाले पर पड़ता है या निर्यात करने वाले के असाधारण लाभ पर तथा इस देश के साधारण व्यक्ति के कन्धों पर उसका भार नहीं फेंका जा सकता है । सीमा शुल्क आयोग के १७७ करोड़ रुपये के समग्र आगणन में से ५५ करोड़ रुपये निर्यात शुल्क से प्राप्त होते हैं ।

आयात शुल्क में भी , १२० करोड़ रुपये के राजस्व का लगभग एक तिहाई विलास सामग्रियों पर लगाये जाने वाले करों से प्राप्त होता है जिन्हें साधारण व्यक्ति आम तौर से नहीं क्रय कर सकता है । शुल्क की दरें इस प्रकार समायोजित की जाती हैं कि विलास सामग्रियों पर तो कभी कभी उन के मूल्य के अनुसार शत प्रतिशत शुल्क होता है तथा साधारण उपयोगिता की सामग्रियों पर इतना कम होता है कि जितना आयव्ययक तथा रक्षा सम्बन्धी अन्वेषों को ध्यान में रखते हुये हो सकता है । कभी कभी अपने देश में उत्पादन करवाने के लिये हमें बहुत मूल्य देना पड़ता है तथा कुछ आवश्यक सामग्रियां जैसे खाद्यान्न शुल्क से विमुक्त होती हैं । मोटे उत्पादनों के अनुसार धनी व्यक्तियों पर आयात शुल्क का प्रति व्यक्ति भार ५६ रुपये ३ आने तथा गरीबों पर २ रुपये ९ आने है ।

यह लगभग तीस गुना है जैसा कि अनुपात विरोधी दल के सदस्यों को बहुत प्रिय है ।

श्रीमान्, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष के वित्त विधेयक में दूध वाले भोजनों, आवश्यक औषधियों आदि पर रियायत देने के प्रस्ताव रखे गये हैं । उपरोक्त की दृष्टि से, यह दृष्टिगोचर होगा, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, कि उचित समायोजन के बिना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के सम्पूर्ण संचय

का अनुपात जन साधारण पर करों के भार का उचित संकेत नहीं करता है। इस अनुपात की गणना करने के लिए भी, यह ध्यान में रखना चाहिये कि आय-व्ययक आंकड़ों में आय-कर में राज्यों का भाग सम्मिलित नहीं है। इस कारक के लिए गुंजाइश रखने तथा निर्यात शुल्क का समायोजन होने के पश्चात जो इस देश वालों को प्रभावित नहीं करती, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का अनुपात और कहीं के ऐसे ही अनुपात से अच्छी तरह तुलना करता है। समस्त आंकड़े बता कर मैं सदन का समय नहीं लूंगा। १९३९–४० में प्रत्यक्ष कर का सही अनुपात २८ था। फिर १९४८–४९ से १९५२–५३ तक यह ५५ और ४५ के बीच बदलता रहा। १९५३–५४ के वित्त-वर्ष के लिए, यह ४३ प्रतिशत है। अतः हाल के वर्षों में अनुपात बढ़ गया है परन्तु १९३९–४० में यह २८ था, और, जैसा कि मैं ने बताया, यह ४३ और साधारणतः ४५ के बीच है। निराक्राम्य कर तथा आयात करों के सम्पूर्ण संचय में भी १९५१–५२ में १४२ किरोड़ से १९५२–५३ में १२० किरोड़ रह जाने की आशा है। अतः यह इस सीमा तक प्रत्यक्ष-कर के भाग को कम करता है।

अब मैं भिन्न श्रेणी के विषय पर आता हूं—बैंकों तथा बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीकरण करना। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे पंच वर्षीय योजना में इस से सम्बन्धित पैराग्राफ़ों को बड़े ध्यान से पढ़ें। प्रथम, पूर्ण ग्रंथ के पृष्ठ ३७ पर २८, २९ तथा ३० पैराग्राफ़ों में ऋण-प्रणाली का वर्णन है। पृष्ठ ६८ पर पैराग्राफ़ ५४ का सम्बन्ध बीमा कम्पनियों से है। मेरे लिए यह उचित न होगा कि मैं सारांश में यह बताऊं कि सावधानीपूर्ण विचार करने के पश्चात इन पैराग्राफ़ों में, जो मैं ने बताये हैं, क्या कहा गया है। यहां मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं वह यह है कि इन पैराग्राफ़ों का बड़ी सावधानी से अध्ययन किया जा रहा है, और राष्ट्रीयकरण करने के लिए राष्ट्रीकरण करना इतना उद्देश्य नहीं है जितना उन परिणामों को प्राप्त करना है जो, यह कहा जाता है, राष्ट्रीयकरण के होंगे। बैंकों के सम्बन्ध में किसी भी ऐसे प्रेक्षक को, जो भावातुर न हो, यह स्पष्ट होना चाहिए कि जब हमारी आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है और वैयक्तिक वर्ग बड़ा ही महत्वपूर्ण है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से कोई लाभ न होगा। जैसे ही जन-वर्ग में वृद्धि होती है और यह अधिक महत्व पाता है तो ऐसी प्रक्रिया स्वयं ही होती है। जब तक वैयक्तिक वर्ग है तब तक, मेरा विचार है, यह स्वीकार किया जायेगा कि सर्वोत्तम यही है कि ऐसे मामलों का प्रबन्ध वैयक्तिक एजेंसियों को करने दिया जाये, उतने समय तक—यह महत्वपूर्ण है—जब तक उचित नियंत्रण लागू रहता है। स्वयं अपने अनुभव और कार्यवाहियों से जो स्वयं मैं ने आरम्भ की हैं, मैं विश्वासनीय ढंग से कह सकता हूं कि इस देश में बैंक-कार्य सम्बन्धी नियंत्रण तथा नियम उसी प्रकार से ठीक काम कर रहा है जितना कि किसी अन्य जनतन्त्रीय देश में करने की कोई आशा करता है।

बीमा कम्पनियों के सम्बन्ध में, श्रीमान्, इस तर्क में कुछ मिथ्या धारणा जान पड़ती है कि योजना की पूर्ति के लिए धन प्राप्त करने की स्थिति में होने के लिए आप को केवल बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करना होगा। अब उस उद्देश्य की दृष्टि से व्यक्ति को वैयक्तिक वर्ग तथा जन-वर्ग में भेद समझना चाहिए, और हमारी योजना में यद्यपि यह जन-वर्ग के रूप में है, वैयक्तिक वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। कदाचित उन उद्देश्यों के और अधिक निरीक्षण द्वारा कुछ किया जा सकता है जिन के लिए बीमा कम्पनियों के धन की, स्वीकृत प्रत्याभूतियों में धन लगाने के पश्चात् व्यवस्था

[श्री सी० डी० देशमुख]

की गई है। यह पता लगाने की दृष्टि से कि क्या प्रत्यक्ष रूप में धन लगाने में दृढ़ता के साथ कुछ और अधिक किया जा सकता है, आरम्भ में ही कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि हम इस दिशा में अधिक आगे नहीं बढ़े हैं। वास्तव में इस देश में राष्ट्रीकरण किया हुआ बीमा डाक बीमा के रूप में बहुत थोड़ी मात्रा में विद्यमान है, और हो सकता है कि विकास-काल में उस वर्ग को अपने कार्य का प्रसार करने की अनुमति मिल जाये यदि, उदाहरण के लिए, यह उस क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त कर दिखाये जो इस समय उसे नियत किया गया है— न कि इस के लिए नियत है, जहां इसे कार्य करने की अनुमति है, नाम्ना सरकारी कर्मचारियों का वर्ग अतः मैं ने जो संकेत किया वह यह है कि योजना आयोग ने जिस समस्या की सिफ़ारिश की उस का आजकल गहरा परीक्षण हो रहा है और संसार के झुकावों तथा उन देशों के अनुभवों का, जिन्हों ने बीमा का राष्ट्रीकरण कर लिया है, अध्ययन आरम्भ हो गया है। इस समय इस मामले में मैं इस सीमा तक ही जाना चाहता हूं।

नमूना का राष्ट्रीय परिमाप के बारे में कुछ प्रश्न किये गये हैं। यद्यपि मेरे पास अधिक समय नहीं है, परन्तु मैं कुछ समय इस विषय के किसी सीमा तक उन अनुसूचित अवलोकनों का उत्तर देने में लगाना चाहता हूं जो श्री मुरारका ने किये हैं। इस का कारण यह है कि भारतीय आंकड़ा-संस्था, नमूना का राष्ट्रीय परिमाप तथा राष्ट्रीय आय समिति के कार्य से मेरा गहरा सम्बन्ध रहा है। मेरी प्रथम आलोचना यह है कि श्री मुरारका को प्रत्यक्षतः भारतीय कृषि अनुसन्धान के ढंगों के प्रति कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु ये वही ढंग हैं, नाम्ना, नमूना का परिमाप करने के ढंग तथा फसल काटने के ढंग, जो नमूना के राष्ट्रीय परिमाप द्वारा अपनाये जाते हैं। नमूना के परिमाप का यह ढंग भारत में अपनाया गया है क्योंकि सम्पूर्ण गणना का ढंग—और यह सब को स्पष्ट होना चाहिए—अपनी लागत में प्रतिषेधक होगा। नमूना के परिमाप के इस ढंग को नमूने के आंकड़ों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रीय उप-आयोग तथा ख्यातिप्राप्त वैदेशिक विशेषज्ञों का, जो भारत आये थे, जैसे प्रो० आर० ए० फिचर, प्रो० एफ० पाट्स, प्रो० सिमोन कुज़नेस तथा मि० विलियम हरविट्ज़, जिन का सम्बन्ध संयुक्त राज्य अमरीका के जन-गणना विभाग आदि से है, का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है।

मुझे आलोचनाओं की गहराइयों में नहीं जाना चाहिये सिवाये इस के कि यह कहूं कि वह सम्पूर्ण आलोचना झूठी थी, मुख्य कर आकृति की जटिलता के सम्बन्ध में। इतने विस्तृत विषय पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए जटिल प्रश्न-पत्र का होना आवश्यक है। नमूना के राष्ट्रीय परिमाप द्वारा बनाई गई अनुसूचियां सम्पूर्ण-भारत की अनुसूचियां हैं और उन का लगातार परीक्षण हो रहा है। यह सत्य नहीं है कि इन प्रश्नों के उत्तर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों द्वारा दिये जायेंगे। जांचकर्ता इन अनुसूचियों से ऐसे विभिन्न विषयों को छांटता है जिन का सम्बन्ध क्षेत्र से है, और गांवों से केवल उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, चावल-उत्पादन तथा चावल-उपभोग सम्बन्धी प्रश्न उन क्षेत्रों से नहीं किये जायेंगे जो ज्वार उत्पन्न करते हैं। अतः इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक भ्रमण से पहिले, जांचकर्ताओं को भारतीय आंकड़ा संस्था द्वारा विस्तृत प्रशिक्षा दी जाती है जिस का पाठ्यक्रम लगभग एक मास तक चलता है, और देख भाल तथा निर्देश का एक यन्त्र है

जिस में सुपरिन्टेंडेंट, सहायक निर्देशक आदि सम्मिलित हैं ।

यह भी कहा गया था कि डा० गाडगिल द्वारा की गई जांच का कुछ भाग प्रकाशित नहीं हुआ है । यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि हम ने डा० गाडगिल को अनुमति दे दी है कि वह अपने प्रतिवेदन को गोखले केन्द्र में छुपाकर प्रकाशित कर सकते हैं, और मेरा विचार है कि यह हमारे ऊपर लगाये गये इस दोष का स्पष्टीकरण कर देगा कि हम कोई बात छिपाना चाहते हैं ।

अब मैं योजना सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आता हूं । प्रथम, सामूहिक योजनाओं को कार्यान्वित करने में स्थानीय अगुआई का प्रश्न था, जो मेरे माननीय मित्र श्री शिवा राव ने किया था । लाल फीता को न्यूनतम तक रखने तथा अधिकतम अधिकार देने की आवश्यकता का सदैव ही राज्य सरकारों को संकेत किया गया है, और जब कभी योजना आयोग का कोई पदाधिकारी या कोई और निरीक्षण पदाधिकारी भ्रमण पर जाते हैं, तो यह उन मामलों में से एक है जिस पर हम विशेष ध्यान देते हैं । १९५२ में विकास आयुक्तों के पिछले सम्मेलन में विकास आयुक्तों को अधिकार देने के सम्बन्ध में कुछ विशेष सुझाव दिये गये थे, ताकि योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब न हो । इन में से कुछ सुझाव निम्नानुकूल थे:—

१. विकास आयुक्तों को पूर्ण अधिकार हो कि वे वित्त विभाग को पूर्व निर्देश किये बिना एक लाख रुपये तक की लागत की वैयक्तिक योजनाओं के लिए स्वीकृति दे दें ;

२. जहां कहीं विकास के लिए संघ पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ है वहां सम्बन्धित विभागों के अध्यक्षों तथा विकास आयुक्तों की बैठक में वैयक्तिक योजनाओं को स्वीकृति दी जा सके । राज्य सरकारों के बहुत से विभागों द्वारा बढ़ा चढ़ा कर नोट लिखने तथा आवश्यकता से अधिक परीक्षण करने के कारण वैयक्तिक योजनाओं की स्वीकृति के मामले में विलम्ब होने से यह बदल आवश्यक हो गया है; तथा

३. विकास आयुक्तों तथा योजना पदाधिकारियों को वही अधिकार मिलते हैं जो क्रमानुसार सुपरिन्टैन्डिग इन्जीनियरों तथा ऐक्ज़ीक्योटिव इन्जीनियरों को प्राप्त हैं ।

रचनात्मक रूप में यह पाया गया है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने, निर्माण कार्य के सम्बंध में, निर्माण-कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों को केवल शासकीय तथा वित्तीय अधिकार दिये हैं । यह एक ऐसा विषय है जिस पर विकास आयुक्तों के आगामी सम्मेलन में जो १६ से १८ अप्रैल तक होगा, फिर विचार होना चाहिए । इसलिए सदन को विश्वास होना चाहिए कि हम इस अच्छे सिद्धान्त की उपेक्षा नहीं करेंगे, यद्यपि क्रियात्मक रूप में, यह माना जायेगा कि सुनेहरा साधन पाना सरल नहीं है ।

कुछ प्रश्न, मेरा विचार है, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करती हुई संस्थाओं को २० लाख रु० की सहायता देने की व्यवस्था के सम्बन्ध में थे । वास्तव में, उस में कुछ और जोड़ने के लिए मेरे पास बहुत कम है जो योजना आयोग की पूर्ण रिपोर्ट के ६०७ पृष्ठ पर पैराग्राफ़ १७ में कहा गया है । वहां यह कहा गया है कि ऐसी संस्थाओं को सहायतार्थ दान देने के लिए चार किरोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो स्वच्छापूर्ण सामाजिक सेवा कर रही हैं, परन्तु इस वर्ष केवल २० लाख रुपये की व्यवस्था है क्योंकि हमारा विचार है कि ऐसा करना यन्त्र स्थापित होने तथा कार्य आरम्भ करने से कुछ समय पूर्व होगा ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

योजना आयोग ने सिफ़ारिश की है कि यह एक बोर्ड द्वारा चलाया जाना चाहिये जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया जायगा और जिसे बहुत कुछ शासकीय अधिकार दिये जायेंगे। बोर्ड में मुख्यतः गैर-सरकारी सदस्य होंगे जिन्हें स्वेच्छापूर्ण-कार्यवाही आरम्भ करने में क्षेत्रीय कार्य का वास्तविक अनुभव हो। अब, हम सब को विश्वास हो गया है कि यह जन-सहयोगी का अत्याधिक महत्वपूर्ण पहलू है जो उत्साह उत्पन्न करेगा, और आजकल सरकार इस मामले पर बड़े सक्रिय रूप में विचार कर रही है।

स्थानीय कार्यों के लिए तीन किरोड़ रुपया की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी कोई प्रश्न था। कुछ समय पूर्व—३ अप्रैल को—प्रेस सूचना विभाग ने इस सम्बन्ध में विस्तार-पूर्ण व्याख्या प्रकाशित की थी कि तीन किरोड़ की इस व्यवस्था का, जो १५ किरोड़ की व्यवस्था का भाग है, उपयोग कर के स्थानीय अगुआई को उत्साहित करने का प्रस्ताव कैसे दिया गया था : मैं सोचता हूं कि आज प्रातः ही या कल, समाचार पत्रों ने प्रथम स्वेच्छा-पूर्ण सहकारिता-योजना का विशाल प्रकाशन किया है जो योजना आयोग की सिफ़ारिश पर वित्त मन्त्रालय ने स्वीकार की थी। यह धन केवल उन्हीं क्षेत्रों में तथा उन योज-नाओं पर, जिन की अगुआई स्वयं व्यक्ति करेंगे, व्यय किया जायेगा जिन के लिए योजना में कोई व्यवस्था नहीं है—अर्थात् जिन का क्षेत्र योजना के किसी पहचानने योग्य भाग के अन्तर्गत नहीं लाया गया है। इस का लक्ष्य जनता में योजना में भाग लेने की भावना उत्पन्न करना तथा स्थानीय साहसपूर्ण कार्य में सहायता देना था। ये अनुदान दिये जायेंगे चाहे राज्य सरकार या सम्बन्धित स्थानीय संस्था इस में सहायता करें या न करें—चाहे यह नगरपालिका हो अथवा जिला परिषद। प्रायः यह पाया गया है कि कुछ स्थानीय सहायता सहित स्थानीय अगुआई सदैव ही आगे आती हैं, पर क्यों कि ऐसी सहायता उन राशियों के बराबर नहीं हो सकती जो किसी स्थानीय संस्था या किसी राज्य द्वारा दी जा सकती है, इन प्रयत्नों का कोई फल नहीं निकलता। अब, अधिकतर यह इस कार्य-स्थिति को ठीक करने के लिए हम ने इस धन की व्यवस्था की है। अतः सम्बन्धित स्थानीय संस्थायें या राज्य सरकार सहायता दें या न दें, वे स्थानीय कामों की ऐसी योजनायें आगे रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, गन्दी बस्तियों को साफ़ करने की योजना नगरपालिका द्वारा भेजी जा सकती है। यह विनिधान करने का उद्देश्य कि प्रार्थनायें स्थानीय संस्था या सम्बन्धित राज्य द्वारा की जानी चाहिएं, इस बात का विश्वास करना है कि सम्पत्ति का प्रबन्ध होने के पश्चात बनाये रखने का उत्तरदायित्व किसी जन-संस्था द्वारा ले लिया जायेगा। यह किस तरह चलाया जायेगा, इस की पूर्ण व्याख्या राज्य-सरकारों को भेज दी गई है। योजना आयोग ने १ अप्रैल १९५३ को एक पत्र भेजा था। ३ किरोड़ की व्यवस्था में से २.५ किरोड़ राज्यों को नियत कर दिया गया है, और ५० लाख इस के लिए सुरक्षित कर दिया गया है कि वित्त मंत्रालय योजना आयोग, जो इस के लिए स्वयं एक समिति के रूप में काम कर सकता है या वित्त मंत्रालय को सलाह देने के लिये छोटी समितियां बना सकता है, की सलाह पर प्रत्यक्ष अनदान दे सके।

अब मैं घाटे के वित्त के प्रश्न का निर्देश नहीं करूंगा—इस तथ्य के अतिरिक्त कि मेरे पास समय नहीं है—क्योंकि मैं अपने उत्तर में जिस में मैं ने १९ या २० विषयों पर विचार प्रगट किये हैं मैं घाटे के वित्त पर पहिले ही विचार प्रकट कर चुका हूं। मैं केवल यही

कहना चाहूंगा कि कदाचित कोई ऐसा देश होगा, रूस के देशों को छोड़े बिना, जो किसी प्रकार के घाटे के वित्त के बिना विकास-कार्यों को चलाने में सफल हुआ हो। वास्तव में उन्हों ने यह अनुभव किया है कि मुद्रास्फीति के दबाव पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता था और धन सम्बन्धी सुधार करने थे। यह मेरी आशा तथा विश्वास है कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, घाटे के वित्त के आंकड़ों की छांट में हम इतने न्यायपूर्ण हैं कि मैं ने सुझाव दिया है, और हमें आवश्यक उपायों का उपयोग करने की अपनी योग्यता पर इतना विश्वास है कि हमारे लिए उस उदाहरण का अनुसरण करना सम्भव नहीं होगा जो बहुत सराहनीय नहीं है।

सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्रालय की मांगें हैं।

प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में क्रम-पत्र के स्तंभ दो में उल्लिखित मांग शीर्षों के निमित्त जो व्यय होगा, उस के लिए राष्ट्रपति को मांग संख्या २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१ और १२२ के विषय में क्रम-पत्र के स्तंभ तीन में दिखाई गई तत्संवादी राशियां प्रदान की जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ ऐसी मांगें रख रहा हूं, जिन पर वर्गीय नेताओं के साथ हुए समझौते के कारण चर्चा नहीं हुई।

प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में क्रम-पत्र के स्तंभ दो में उल्लिखित मांग शीर्षों के निमित्त जो व्यय होगा, उस के लिए राष्ट्रपति को मांग संख्या ४८, ४९, ५०, ५१, ५९, ६०, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०७, १०८, १०९, १२६, १२८, १३२, १३३, १३६, १३७, और १३८ के विषय में क्रम-पत्र के स्तंभ तीन में दिखाई गई तत्संवादी राशियां प्रदान की जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[स्वीकृत मांगों के नाम और राशियां नीचे उद्धृत किए जाते हैं—संपादक, संसदीय प्रकाशन]

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय—	१,३२,३३,०००	रुपये
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क—	३,०९,३३,०००	"
मांग संख्या २८—संघीय उत्पादन शुल्कें—	४,९८,९१,०००	"
मांग संख्या २९—निगम कर समेत आयों पर कर—	३,१२,४३,०००	"
मांग संख्या ३०—अफीम—	३७,३४,०००	"
मांग संख्या ३१—स्टाम्प—	१,०९,५४,०००	"
मांग संख्या ३२—शाखाविषयों के प्रशासन और कोषागारों के प्रबन्ध के लिए अन्य सरकारों, विभागों आदि को किया गया भुगतान—	१०,१७,०००	"
मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षा—	६,९८,९४,०००	"
मांग संख्या ३४—मुद्रा—	१,५०,६५,०००	"
मांग संख्या ३५—टकसाल—	८८,२०,०००	"

मांग संख्या	३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें—	२०,९२,०००	रुपये
मांग संख्या	३७—वार्द्धक्य वृत्तियां तथा निवृत्ति वेतन—	२,७६,१९,०००	”
मांग संख्या	३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय—	१,८३,८१,०००	”
मांग संख्या	३९—राज्यों को सहाय-अनुदान	१०,७२,४२,०००	”
मांग संख्या	४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समन्वय—	१,६१,०००	”
मांग संख्या	४१—असाधारण भुगतान—	२१,०१,१०,०००	”
मांग संख्या	४२—विभाजन पूर्व के भुगतान—	१,७८,१६,०००	”
मांग संख्या	११६—भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय—	७,२०,०००	”
मांग संख्या	११७—मुद्रा पर पूंजी व्यय—	२,२१,०००	”
मांग संख्या	११८—निवृत्ति वेतनों का निष्क्रमण मूल्य—	९५,१५,०००	”
मांग संख्या	१२०—छंटनी किए गए व्यक्तियों को भुगतान—	१,६८,०००	”
मांग संख्या	१२१—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी-व्यय—	६,५१,७५,०००	”
मांग संख्या	१२२—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम धन—	२४,४९,६०,०००	”
मांग संख्या	४८—स्वास्थ्य मंत्रालय—	५,८५,०००	”
मांग संख्या	४९—चिकित्सा सेवाएं—	९८,५०,०००	”
मांग संख्या	५०—लोक स्वास्थ्य—	१,०५,४९,०००	”
मांग संख्या	५१—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय—	६९,९९,०००	”
मांग संख्या	५९—सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय—	९४,०९,०००	”
मांग संख्या	६०—प्रसारण—	२,०९,६७,०००	”
मांग संख्या	७०—विधि मंत्रालय—	१,६०,७८,०००	”
माँग संख्या	७१—न्याय-व्यवस्था—	१,७४,०००	”
मांग संख्या	७२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय—	६,६५,०००	”
मांग संख्या	७३—भारतीय भूपरिमाप—	९५,५८,०००	”
मांग संख्या	७४—वानस्पतिक परिमाप—	२,४६,०००	”
मांग संख्या	७५—प्राणकीय परिमाप—	४,००,०००	”
मांग संख्या	७६—भूतत्वीय परिमाप—	४७,०८,०००	”
मांग संख्या	७७—खानें—	१९,६४,०००	”
मांग संख्या	७८—वैज्ञानिक अनुसंधान—	२,८९,८९,०००	”
मांग संख्या	७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय—	१४,०००	”
मांग संख्या	८०—संसद् कार्य विभाग—	१,११,०००	”
मांग संख्या	८१—उत्पादन मंत्रालय—	६,८५,०००	”
मांग संख्या	८२—नमक—	१,१५,३८,०००	”
मांग संख्या	८३—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन—	१,०८,१८,०००	”
मांग संख्या	८४—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय—	१,६८,९८,०००	”
मांग संख्या	९६—यातायात मंत्रालय—	२८,४८,०००	”
मांग संख्या	९७—पत्तन तथा पोतमार्ग प्रदर्शन—	५७,२५,०००	”
मांग संख्या	९८—प्रकाशस्तंभ तथा प्रकाशपोन—	७३,०३,०००	”

मांग संख्या ९९—केन्द्रीय सड़क निधि—	४,५०,३२,०००	रुपये
मांग संख्या १००—यातायात (राष्ट्रीय राजमार्गों समेत) —	४,३३,०७,०००	"
मांग संख्या १०१—यातायात मंत्रालय के अधीन विविध व्यय—	४,०१,०००	"
मांग संख्या १०७—संसद्—	८६,३०,०००	"
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय—	२७,०००	"
मांग संख्या १०९—उपराष्ट्रपति का सचिवालय—	७६,०००	"
मांग संख्या १२६—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय—	३,०८,१४,०००	"
मांग संख्या १२८—प्रसारण पर पूंजी व्यय—	६५,३०,०००	"
मांग संख्या १३२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय—	६५,०८,०००	"
मांग संख्या १३३—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय—	३,६८,९४,०००	"
मांग संख्या १३६—पत्तनों पर पूंजी व्यय—	२,९३,७६,०००	"
मांग संख्या १३७—सड़कों पर पूंजी व्यय—	७,९५,५१,०००	"
मांग संख्या १३८—यातायात मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय—	२,०८,६०,०००	"

विनियोजना (संख्या ३) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं भारत के संचित कोष में से १९५३–५४ वित्तीय वर्ष के कार्य के लिए कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का अधिकार देने वाले एक विधेयक* को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संचित कोष में से १९५३–५४ वित्तीय वर्ष के कार्य के लिए कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का अधिकार देने वाले एक विधेयक * को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

*राष्ट्रपति के अनुमोदन से पुर:स्थापित ।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्गों के नेता विनियोजन विधेयक पर चर्चा के लिए दो घंटे चाहते थे, जो शायद न दिए जा सकेंगे । कल प्रश्न-काल के बाद खादी विधेयक लिया जाएगा और उस के बाद यह विधेयक । इस विधेयक पर उन बातों का दुहराना निरर्थक होगा, जिन की चर्चा मांगों के वाद-विवाद में हो चुकी है । माननीय सदस्यगण इस सम्बन्ध में जिन बातों की चर्चा करना चाहते हैं, वे बातें कल ११ बजे से पहले मुझे बता दें, जिस से मैं सम्बन्धित मंत्रियों को पहले से तैयार रहने के लिए सूचित कर सकूं । खादी विधेयक के बाद हम ७–३० तक इसे निपटाने की चेष्टा करेंगे, अन्यथा इस पर शेष चर्चा फिर किसी दिन होगी ।

इस के पश्चात सदन की बैठक बुधवार, ८ अप्रैल, १९५३ तक के २ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।